शैक्षणिक-नियम-परिचायिका

2026 - 2027

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,

नई दिल्ली-११००१६

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	सामान्य परिचय	
I.	विश्वविद्यालय : संक्षिप्त-परिचय	4-6
II.	कुलपति का अभिमत	7-8
III.	कुलसचिव का अभिमत	9
	वेद-वेदाङ्गपीठम्	10-16
1	वेद-विभाग	
2	पौरोहित्य-विभाग	
3	व्याकरण-विभाग	
4	धर्मशास्त्र-विभाग	
5	ज्योतिष-विभाग	
6	वास्तुशास्त्र-विभाग	
	दर्शनशास्त्रपीठम्	17-27
7	न्याय-विभाग	
8	सांख्ययोग-विभाग	
9	जैनदर्शन-विभाग	
10	सर्वदर्शन-विभाग	
11	मीमांसा-विभाग	
12	विशिष्टाद्वैतवेदान्त-विभाग	
13	अद्वैतवेदान्त-विभाग	
14	योग-विज्ञान विभाग	
	साहित्य-संस्कृतिपीठम्	28-31
15	साहित्य-विभाग	
16	प्राकृतभाषा-विभाग	
	पुराणविद्यापीठम्	32-34
17	पुराणेतिहास विभाग	
18	प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग	
19	पुरातत्व विभाग	
20	धर्मागम विभाग	
21	संगीत विभाग	
	शिक्षापीठम्	35-36
22	शिक्षाशास्त्र-विभाग	
	आधुनिकविषयपीठम्	37-44
23	शोध विभाग	

24	मानविकी विभाग (हिन्दी,अंग्रेजी,समाजशास्त्र,राजनीतिशास्त्र, एन. सी.सी.)	
25	आधुनिकज्ञान विभाग (संगणकप्रयोग,पर्यावरण अध्ययन, मूल्यशिक्षा एवं मानवाधिकार)	
26	हिन्दू अध्ययन विभाग, भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS)	
27	शैक्षणिक पीठ	45
28	छात्रकल्याण-पीठम्	46
29	क्रीड़ा	47
30	राष्ट्रीय सेवा-योजना	48
31	एन.सी.सी.	49
32	कुलानुशासक, कुलानुशासक-मण्डल एवं अनुशासन-समिति	50-51
33	विभिन्न-कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं प्रवेश-नियम	52-69
34	रैगिंग-रोकथाम-समिति एवं रैगिंग-निषेध-अधिनियम	70-72
35	अनुशासन एवं सुरक्षा-व्यवस्था	73-74
36	उपस्थिति-नियम	75-77
37	परिचय-पत्र	78
38	आरक्षण का प्रावधान	79-80
39	आंतरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ	81
40	सतर्कता-अधिकारी	81
41	शिकायत-समिति	81
42	पाण्डुलिपि-संग्रहालय	82
43	वराहमिहिर-वेधशाला	82
44	कर्मकाण्ड-यज्ञशाला एवं देवसदनम्	82
45	अनुसूचितजाति-जनजाति प्रकोष्ठ	82
46	संङ्गणक-केन्द्र	83
47	शुल्क-वापसी एवं सुरक्षित-धनराशि-सम्बन्धी-नियम	83-84
48	छात्रकल्याण-परिषद्	84-85
49	छात्रवृत्ति नियम	85-89
50	सह-शैक्षणिक-प्रवृत्तियाँ	
51	पुस्तकालय	90-91
52	पुरस्कार	92-93
53	छात्रावास	94
54	अन्य विवरण	95-96
55	शुल्क-तालिका	97-100
56	शैक्षणिक कैलेण्डर 2026-27	101-104

विश्वविद्यालय : परिचय

'अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन' के कलकत्ता-अधिवेशन में लिये गये निर्णय के अनुपालन में 8 अक्तूबर, 1962 को विजयदशमी के दिन दिल्ली में 'संस्कृत विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई । डॉ. मण्डन मिश्र को विश्वविद्यालय का 'विशेष-कार्याधिकारी' एवं 'निदेशक' नियुक्त किया गया । सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार, 'अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ' नाम से एक पृथक् संस्था स्थापित की गई । इसके संस्थापक-अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री थे । विश्वविद्यालय के सर्वाङ्गीण-विकास में तत्कालीन प्रधानमंत्री की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का महत्त्वपूर्ण-योगदान है । प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री जी द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर की संस्था के रूप में विकसित करने की कामना की थी ।

शास्त्री जी के आकस्मिक-निधन के पश्चात् प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विश्वविद्यालय की अध्यक्षता स्वीकार की । उन्होंने घोषणा की कि 2 अक्तूबर, 1966 से विद्यापीठ को 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ' के नाम से जाना जाएगा । भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 1967 को विश्वविद्यालय का अधिग्रहण किया गया । श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ 21 दिसम्बर, 1970 को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) का अंग बन गया ।

इस विश्वविद्यालय को शास्त्रीय-परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने, शास्त्रों के विश्लेषण, आधुनिक-परिप्रेक्ष्य में शास्त्रों की उपादेयता, संस्कृत-शास्त्रों के पठन-पाठन एवं संरक्षण, आधुनिक एवं शास्त्रीय-परम्परा में संस्कृत-शिक्षक-शिक्षण तथा उनके गहन-प्रशिक्षण के लिये संसाधन उपलब्ध कराने, अनुसन्धान एवं शोध, प्रकाशन आदि उद्‌देश्यों एवं कार्यों के लिये स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के सर्वतोमुखी-विकास से प्रभावित होकर मार्च, 1983 में भारत सरकार ने इसको 'मानित-विश्वविद्यालय' का स्तर देने का प्रस्ताव रखा। अन्ततः आवश्यक-परीक्षण एवं मूल्याङ्कन के पश्चात् भारत सरकार ने 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की संस्तुति को दृष्टि में रखते हुये नवम्बर, 1987 में विद्यापीठ को 'मानित-विश्वविद्यालय' का स्तर प्रदान किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' से पृथक् एक संस्था 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ' के नाम से तत्कालीन मानव-संसाधन-विकास-मन्त्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में 20 जनवरी, 1987 को पञ्जीकृत की गयी । डॉ. मण्डन मिश्र 1989 में विश्वविद्यालय के प्रथम-कुलपति नियुक्त हुए। विश्वविद्यालय ने 1 नवम्बर, 1991 से मानित-विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। यह संस्था दक्षिणी-दिल्ली के 'कुतब-सांस्थानिक-क्षेत्र' में अवस्थित है।

विश्वविद्यालय में छः पीठ हैं- वेद-वेदाङ्गपीठ, दर्शनशास्त्रपीठ, साहित्य संस्कृतिपीठ, आधुनिक-विषयपीठ, शिक्षापीठ तथा पुराणविद्यापीठ। प्रारम्भ के पांच पीठ में विभिन्न शास्त्रीय-विषयों में शास्त्री उपाधि-हेतु एवं स्नातकोत्तर-उपाधि-हेतु (आचार्य-उपाधि हेतु) द्विवर्षीय-पाठ्यक्रम के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में शास्त्री कक्षा से नवीन पाठ्यक्रम शैक्षण्कि सत्र 2021-22 से लागू किया जा चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर की उपाधि तीन/चार वर्ष की अवधि की होगी। इस अवधि के भीतर कई विकास विकल्प के साथ पसंदीदा विकल्प होगें।

उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं। 'राष्ट्रीय-अध्यापक-शिक्षा-परिषद्' (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के प्रावधानों को लागू करने के साथ ही सत्र 2015-16 से 'शिक्षाशास्त्रपीठम्' में 'शिक्षा-शास्त्री'- उपाधि हेतु द्विवर्षीय

'अध्यापक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम' तथा शिक्षाशास्त्र में 'उच्च-स्तरीय' अध्ययन हेतु 'शिक्षाचार्य'- उपाधि-हेतु द्विवर्षीय-पाठ्यक्रम का प्रवर्तन किया गया है। उपर्युक्त छः पीठों में संस्कृत की विभिन्न शास्त्रीय-शाखाओं एवं शिक्षाशास्त्र में उच्चस्तरीय विशेष-अध्ययन के क्षेत्र में शोधकार्य करने हेतु विद्यावारिधि एवं विद्यावाचस्पति-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय में वैदिक-शास्त्रों की विभिन्न-विद्याओं में शोध, पाण्डुलिपियों के संरक्षण आदि के लिए शोध विभाग के अन्तर्गत किया जा रहा है । विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के पाठ्यक्रमों के लिए शोध-विभाग कार्यरत है। शोध-ग्रंथों और विभिन्न शोध-पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन एवं विक्रय के लिये 'प्रकाशन' अनुभाग है। विश्वविद्यालय द्वारा न केवल प्राचीन पाण्डुलिपियों का अन्वेषण किया जाता है, अपितु वैदिक-साहित्य के विद्वानों की उत्कृष्ट-रचनाओं का प्रकाशन भी किया जाता है। प्रकाशन-अनुभाग द्वारा विश्वविद्यालय की शोध-पत्रिकाओं 'शोध-प्रभा', 'भैषज्य-ज्योतिष-मंजूषा', 'वास्तुशास्त्र-विमर्श' एवं 'सुमंगली' आदि का प्रकाशन किया जाता है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' विनियम, 2022 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शोध-छात्रों के लिए शोध-सम्बन्धी सत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन शोध-विभाग द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय में शास्त्रीय-पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक-संस्कृत, व्यावसायिक योग, ज्योतिष, संस्कृत पत्रकारिता एवं संगणक-प्रयोग-सम्बन्धी पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रमों को नियमितरूप से अध्ययन-अध्यापन में सम्मिलित किया गया है। शास्त्रीय-परम्परा में कौशल-विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित-ज्योतिष, भैषज्य-ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, योग, योग एवं नैचुरोपैथी, धर्मशास्त्र, जैन विद्या, पाण्डुलिपि शास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र और पौरोहित्य नये पाठ्यक्रमों आदि विधाओं में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम, एकवर्षीय डिप्लोमा-पाठ्यक्रम एवं द्विवर्षीय एडवांस-डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्कृत-शिक्षण और सम्भाषण के साथ-साथ उन्नत कौशल-विकास-हेतु संगणक-क्षेत्र में भी उच्चस्तरीय प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एकवर्षीय पी.जी. योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया जाता है और प्रतिवर्ष एक सप्ताह का योग-शिविर का भी आयोजन किया जाता है। सामान्यजन के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा के अधिकांश पाठ्यक्रम शनिवार और रविवार को संचालित किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय अपने निर्धारित शैक्षणिक-उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुये दीक्षान्त-समारोह का आयोजन करता है। इस दिशा में विशेष-दीक्षान्त-समारोह 03 दिसम्बर, 1993 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह में भारत के तत्कालीन-राष्ट्रपति डॉ. शङ्करदयाल शर्मा को विश्वविद्यालय की मानद-उपाधि 'वाचस्पति' प्रदान की गयी थी। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त-समारोह 15 फरवरी, 1994 को विश्वविद्यालय -परिसर में सम्पन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डॉ. शङ्करदयाल शर्मा ने प्रथम दीक्षान्त-भाषण दिया। विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षान्त-समारोह 11 जनवरी, 1996, तृतीय दीक्षान्त-समारोह 11 जनवरी, 1999, चतुर्थ दीक्षान्त-समारोह 11 फरवरी, 2000, पञ्चम दीक्षान्त-समारोह 28 फरवरी, 2001, षष्ठ दीक्षान्त-समारोह 17 फरवरी, 2002, सप्तम दीक्षान्त-समारोह 11 नवम्बर, 2003, अष्टम दीक्षान्त-समारोह 12 नवम्बर, 2005, नवम दीक्षान्त-समारोह 10 नवम्बर, 2006, दशम दीक्षान्त-समारोह 28 नवम्बर, 2007, एकादश दीक्षान्त-समारोह 06 दिसम्बर, 2008, द्वादश दीक्षान्त-समारोह 7 नवम्बर, 2009, त्रयोदश दीक्षान्त-समारोह दिनांक 26 नवम्बर, 2010, चतुर्दश दीक्षान्त-समारोह 7 जनवरी, 2013, पञ्चदश दीक्षान्त-समारोह 27 नवम्बर, 2015, षोडश दीक्षान्त-समारोह 09 जनवरी, 2017 तथा दिनांक 21.04.2018 को विश्वविद्यालय का सत्रहवां दीक्षान्त-समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भाषण दिया गया। तथा केन्द्रीय विश्वविश्वविद्यालय घोषित होने के उपरान्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह दिनांक 05.

12.2023 को आयोजित किया गया, जिसमें माननीया राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मु महोदया द्वारा मुख्यातिथि के रूप में दीक्षांत भाषण दिया। माननीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, भारत सरकार भी उपस्थित हुए। विशेष दीक्षांत समारोह 2025

विश्वविद्यालय के नवीन प्राशासकीय भवन 'स्वर्ण जयन्ती सदनम्' का उद्‌घाटन डॉ. एम.एम. पल्लम राजू, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.01.2013 किया गया। 'वेद और पौराहित्य-विभाग' के लिये एक नया भवन बनाया गया और पौरोहित्य के लिये यज्ञशाला का निर्माण किया है, जिसका उद्‌घाटन 07.01.2013 को सम्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय में ज्योतिषीय-काल-गणना के लिये एक सुसज्जित-वेधशाला है। वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्', बंगलौर द्वारा विश्वविद्यालय के बहुआयामी-उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय को 'ए' तथा वर्ष 2025 से ए++ ग्रेड प्रदान किया गया है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की पुनरीक्षण-समिति द्वारा भी वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय का पुनरीक्षण करने के उपरान्त इसकी प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त किया है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के पत्र संख्या 19-1/2016 (सी.पी.पी.-1/डी.यू.) दिनांक 12/6/2017 के अनुसार आयोग की स्वीकृति के उपरान्त 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय (मानित विश्वविद्यालय)' को आयोग की 12-बी सूची में सम्मलित किया गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शास्त्रीय पारम्परिक विषयों के अध्ययन-अध्यापन एवं गहन अनुसन्धान के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक-परम्परा का संरक्षण करते हुये आधुनिक वैज्ञानिक शैक्षणिक परम्पराओं से समन्वय स्थापित करने का सार्थक प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ बौद्धदर्शन, प्राकृतिक-चिकित्सा, वैदिक-गणित आदि विषयों में अध्ययन-अध्यापन और आधुनिक-विषयों के साथ अन्तःवैषयिक अध्ययन की दिशा में भी योजना बनायी जा रही है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्य योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है, तथा मंत्रालय की स्वीकृति अनुसार सम्बन्धित विषयों पर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

विश्वविद्यालय में 'महिला-छात्रावास-निर्माण' और 'अन्तर्राष्ट्रिय-स्तर के संस्कृत-ग्रंथालय' को स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। नवीन भवनों के निमार्ण हेतु डी.पी.आर. बनाने के लिए सी.पी.डब्लू. डी. को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । साथ ही साथ विश्वविद्यालय संस्कृत-स्नातकों को रोजगारपरक-शिक्षण प्रदान करते हुये कुशल-शिक्षकों के निर्माण में 'शिक्षाशास्त्र-विभाग' के माध्यम से सतत-प्रयत्नशील है। फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय के छात्र एवं शोधार्थी देश एवं विदेशों की प्रतिष्ठित उच्च-शैक्षणिक एवं शोध-संस्थाओं में भी अभूतपूर्व-योगदान देने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना संख्या 4-4/2018Skt-II dated 17-4-2020 के अनुसार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, मानित विश्वविद्यालय को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दिनांक 30.4.2020 से कार्य प्रारम्भ करने हेतु सूचना जारी की। उसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1(149)LBSV/Admn/2019-20/20 दिनांक 30.4.2020 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उक्त तिथि से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त उद्येश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. (हिन्दी, हिन्दू-अध्ययन, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, योग, राजनिति विज्ञान, पर्यावरण तथा IKS स्नातकोत्तर नियमित पाठ्यक्रम संचालित किये जा चुके हैं।

कुलपति का अभिमत

राष्ट्र के मनीषी-राजनेताओं एवं शिक्षा-शास्त्रियों के परामर्श के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में 'अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत-विद्या केन्द्र' के अभाव की पूर्ति-हेतु सन् 1985 में भारत के तात्कालिक 'मानव संसाधन विकास-मंत्री' श्री पी.वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ नामक एक स्वायत्तशासी-संस्था का गठन एवं पञ्जीयन किया गया। इस संस्था को 16 नवम्बर, 1987 को भारत सरकार द्वारा 'मानित विश्वविद्यालय' का स्तर प्रदान करने की अधिसूचना प्रसारित की गई। 'मानित विश्वविद्यालय' के रूप में इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामस्वामी वेंकटरामन् के करकमलों द्वारा 23 फरवरी, 1991 को सम्पन्न हुआ।

भारत की राजधानी नई दिल्ली में श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 'मानित-विश्वविद्यालय' के रूप में इसके विकास की उज्ज्वल-पृष्ठभूमि है। स्वतन्त्रता के अनन्तर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने भारत की राजधानी दिल्ली में संस्कृत-विद्या के अध्ययन के लिए एक आदर्श संस्था की स्थापना पर बल दिया था। इस विचार को मूर्त-रूप प्रदान करने में भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री के आशीर्वाद एवं सक्रिय-मार्गनिर्देशन मुख्य-प्रेरक बने। भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र बाबू आदि की प्रेरणा पर 'अखिल भारतीय संस्कृत-विश्वविद्यालय' नामक शिक्षण-संस्था का शुभारम्भ सन् 1962 में विजय-दशमी के पुण्य-दिवस पर किया गया। उसके प्रथम-निदेशक के रूप में डॉ. मण्डन मिश्र की नियुक्ति की गयी। सम्मेलन एवं विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने संस्कृत-विद्या के प्रसार की दिशा में महनीय योगदान किया एवं उनके नेतृत्व में इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्या-केन्द्र बनाने का उपक्रम किया गया। शास्त्री जी के निधन के अनन्तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इसके सभापति-पद को सुशोभित किया तथा 2 अक्टूबर, 1966 को उन्होंने स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में सञ्चालित इस संस्कृत विश्वविद्यालय को श्री शास्त्री जी के स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु इस संस्था के साथ स्वर्गीय शास्त्री जी का नाम जोड़ते हुए 'भारत सरकार' द्वारा इस संस्था के अधिग्रहण की घोषणा की गई। 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय ' का चार वर्ष तक सञ्चालन 'भारत सरकार' द्वारा किया गया तथा सन् 1971 में 'भारत सरकार' द्वारा 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' की स्थापना के अनन्तर इस विश्वविद्यालय का नामकरण 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ' करते हुए 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' के अन्तर्गत इसका प्रबन्धन सौंप दिया गया।

'भारत सरकार' ने श्रद्धेय श्री लालबहादुर शास्त्री जी की कल्पनाओं की पूर्ति-हेतु यह आवश्यक माना कि राजधानी में मानित-विश्वविद्यालय के रूप में एक संस्कृत-संस्था का सञ्चालन किया जाय। अत: 'श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली' संस्था का केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री की अध्यक्षता में गठन कर पञ्जीयन कराया गया। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा इस संस्था को मानित-विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करते हुए श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी को प्रथम-कुलाधिपति एवं डॉ. मण्डन मिश्र को प्रथम-कुलपति नियुक्त किया गया तथा 'राष्ट्रीयसंस्कृत संस्थान' के अन्तर्गत सञ्चालित श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ में कार्यरत-शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय को सौंपी गई। सत्र 1990-91 से इस मानित-विश्वविद्यालय के अधीन परीक्षाकार्य प्रारम्भ हुआ।

विश्वविद्यालय में वेद-वेदांगपीठम्, दर्शनशास्त्रपीठम्, साहित्य-संस्कृतिपीठम्, पुराणविद्यापीठम्, आधुनिक-विषयपीठम् एवं शिक्षाशास्त्रपीठम् नामक छ: पीठों का गठन किया गया है, जिनके अन्तर्गत शास्त्री विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों का अध्ययन-अध्यापन कुशलता पूर्वक करवाया जाता है । उच्चस्तरीय-शोध के प्रकाशन के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर पर त्रैमासिकी-शोधपत्रिका 'शोधप्रभा' का प्रकाशन किया जाता है। ज्योतिष-विभाग द्वारा 'पंचांग' और 'भैषज्य-ज्योतिषमंजूषा' नामक शोधपत्रिका का

नियमित प्रकाशन होता है। वास्तुशास्त्र-विभाग द्वारा उच्चस्तरीय-शोधपत्रिका 'वास्तुशास्त्र विमर्श' का प्रकाशन होता है। शिक्षाशास्त्र-संकाय द्वारा 'शिक्षा-ज्योति' और 'महिला अध्ययन केन्द्र' द्वारा 'सुमंगली' का प्रकाशन किया जाता है। सम्प्रति विद्वान् अध्यापकों द्वारा भी नियमितरूप से शोध-पत्रिकायें और पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशन-विभाग शोधर्थियों के शोध-प्रविधि-प्रशिक्षण के अतिरिक्त देश के मूर्धन्य-विद्वानों की उत्कृष्ट-रचनाओं का भी सम्पादन एवं प्रकाशन करता है।

विश्वविद्यालय के पारम्परिक-विषयों के अध्येता-छात्रों में सामाजिक एवं प्रासंगिक अधुनातन-विषयों में जागरुकता उत्पन्न करने की दृष्टि से छात्र एवं छात्राओं को एन.सी.सी. का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 'राष्ट्रीय-सेवा-योजना' के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरण-संरक्षण के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। खेल-कूद, सांस्कृतिक-आयोजनों आदि के द्वारा छात्रों एवं छात्राओं में अनुशासन एवं नेतृत्व के प्रशिक्षण के साथ-साथ सामाजिक समरसता का भी बोध कराया जाता है। विगत वर्षों में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा निर्गत क्रेडिट-प्रणाली, अंग्रेजी, हिन्दी, पर्यावरण आदि को अनिवार्य-विषय के रूप में सम्मिलित करने से सम्बन्धित-निर्देशों का अनुपालन करते हुये पाठ्यक्रमों का परिशोधन किया गया और सत्रीय-प्रणाली के साथ-साथ आयोग के अन्य विनियमों को यथावत् क्रियान्वित किया जा रहा है । शास्त्री-स्तर पर सभी विषयों के पाठयक्रमों के साथ-साथ आचार्य के पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया जा चुका है। विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अनुसार परिशोधित-पाठ्यक्रमों के आधार पर सभी सत्रों में पठन-पाठन सञ्चालित किया जा रहा है। विगत वर्षों से अवरुद्ध अन्य-कार्यों को भी गति प्रदान की जा रही है तथा सभी विभागों में अधिकांश रिक्त-पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय को 'नैक' (NAAC) द्वारा प्रत्यायन और मूल्यांकन के उपरान्त 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में 'नैक' द्वारा दिये गये सुझावों पर भी आवश्यक-कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । 'कौशल-विकास-कार्यक्रम' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध-संसाधनों के अन्तर्गत योग, संस्कृत-पत्रकारिता और स्वरोजगारपरक संगणक-प्रयोग-प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी मूर्तरूप प्राप्त कर चुके हैं। योग का नियमित-प्रशिक्षण-कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। सरकारी-कर्मचारियों और रोजगाररत-लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये स्व-वित्तपोषित-पाठ्यक्रमों का संचालन प्रतिसप्ताह शनिवार एवं रविवार को किया जा रहा है। इस परिवर्तन से अधिक से अधिक लोग ज्ञानार्जन की ओर प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें नवीन रोजगारपरक-कौशल-अभिवृद्धि का अवसर प्राप्त हो रहा है । विभिन्न प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के अध्येताओं को प्रशिक्षित करने का हमारा समवेत प्रयास संस्कृत एवं भारतीय-संस्कृति की प्रतिष्ठा में सफल सिद्ध होगा यह हमारा दृढ़-अभिमत है।

विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. हिन्दी एवं एम.ए. हिन्दू अध्ययन तथा एम.ए. अंग्रेजी एवं एम.ए. समाजशास्त्र नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है तथा शोध कार्य हेतु विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों को संचालित करने से सम्बन्धित प्रक्रिया की जा रही है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्य योजना से सम्बन्धित विषयों पर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मुल्यांकन परिषद (NAAC) द्वारा गठित पियर टीम द्वारा विश्वविद्यालय में Hybrid Mode में दिनांक 28/05/2025 से 30/05/2025 तक निरीक्षण किया गया तथा मूल्यांकन के बाद विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्रदान किया गया जो कि विश्वविद्यालय के लिए अत्यन्त गौरव का अवसर हैं।

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक
कुलपति

कुलसचिव का अभिमत

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , स्थापना-काल से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति-हेतु प्रवर्तित-कार्यक्रमों के कारण प्राच्य एवं आधुनिक-शिक्षाविदों में अत्यन्त विख्यात है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृतज्ञों को प्रशिक्षित कर विभिन्न-पदों पर देश की सेवा में समर्पित किया गया है, जिसमें संस्कृत-शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे संस्कृत-प्रचारकों की संख्या सबसे अधिक है।

विश्वविद्यालय, संस्कृतभाषा को व्यवहार-भाषा के रूप में स्वीकार करता है और अपनी समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ संस्कृत-भाषा के माध्यम से सम्पन्न करता है। यहाँ की यज्ञशाला विविधप्रकार के यज्ञों, अनुष्ठानों एवं उनके प्रशिक्षण-कार्यक्रमों से सतत प्रदीप्त रहती है। 'वराहमिहिर-वेधशाला' न केवल यहाँ के पञ्चांग निर्माण की अपितु विविध-ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्रीय-पाठ्यक्रमों की प्रयोगशाला है। सभी विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से न केवल दिल्ली-निवासी, अपितु देश के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले जिज्ञासु लाभान्वित हो रहे हैं।

विश्वविद्यालय में शास्त्री-पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावसायिक संस्कृत, व्यावसायिक हिन्दी एवं संगणक प्रयोग-सम्बन्धी पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम को नियमितरूप से अध्ययन-अध्यापन में सम्मिलित किया गया है। स्ववित्तपोषित ज्योतिष, भैषज्य-ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, योग, योग एवं नैचुरोपैथी, जैनविद्या, धर्मशास्त्र और पौरोहित्य, संस्कृत-पत्रकारिता, पाण्डुलिपिशास्त्र एवं अभिलेखशास्त्र आदि विधाओं में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम, डिप्लोमा-पाठ्यक्रम एवं एडवांस डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्कृत-शिक्षण और सम्भाषण के साथ-साथ उन्नत कौशल-विकास हेतु संस्कृत-पत्रकारिता का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

समस्त भारतीय वैदिक-विधाओं के समुचित-संरक्षण एवं पल्लवन-हेतु आवश्यक-संसाधनों को अध्यापकों, अनुसन्धाताओं एवं छात्रों को विशेषरूप से सुलभ कराना हमारा परम-लक्ष्य है। एक सुन्दर-परिसर एवं आगन्तुक-विद्वज्जनों के आतिथ्य की दृष्टि से 'अतिथिदेवो भव' की आप्त-परम्परा के परिपालन के क्रम में 'विश्रान्ति-निलय' की व्यवस्था विश्वविद्यालय -परिसर में शैक्षणिक-वातावरण के निर्माण में अनुपम-भूमिका का निर्वहन करती है। परिणाम-स्वरूप अन्य-संस्थानों ने भी अपने विविध-कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय को यथावसर केन्द्र बनाया है, जिससे संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार का हमारा कार्य और सहजता से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के भवनों की देख-रेख, नवनिर्माण एवं अन्य आधारभूत-सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अलग अनुभाग कार्यरत है। 'महिला-अध्ययन-केन्द्र' एवं 'संगणक-केन्द्र' इस विश्वविद्यालय के बहुआयामी- विकास को इंगित करते हैं। ज्ञान-अवगाहन की विशिष्ट-परम्परा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए नियमितरूप से व्याख्यानमालाओं, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न-विषयों में शोध-परियोजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिनसे ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया को सम्बल प्राप्त हो।

प्रो. पवन कुमार शर्मा
कुलसचिव

वेदवेदाङ्गपीठ

विश्वविद्यालय का बृहत्तम 'वेदवेदाङ्गपीठ' अपने नामानुरूप "ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इस आगमादेश के आलोक में मानवमात्र के चतुर्विध-पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अपेक्षित व्याकरणादि षड्-अङ्गों सहित मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद का उच्चस्तरीय एवं प्रामाणिक-प्रबोध के साथ तत्सम्बन्धी-विद्याशाखाओं के अनुसन्धान का सौविध्य उपलब्ध कराता है। वेदवेदांगपीठ के अन्तर्गत वेद विभाग, पौरोहित्य-विभाग, व्याकरण-विभाग, ज्योतिष-विभाग, वास्तुशास्त्र-विभाग एवं धर्मशास्त्र-विभाग- ये छः विभाग हैं तथा इनमें 8 विषयों का अध्ययन कराया जाता है। वेद-विभाग में 'शुक्लयजुर्वेद' के साङ्गोपाङ्ग स्वाध्याय के साथ वैदिक श्रौत, स्मार्त-कर्मों के साथ नित्य-नैमित्तिक सकल धार्मिक क्रिया-कलापों का अध्यापन एवं शोध कराया जाता है। व्याकरण-विभाग में संस्कृतभाषा के निर्दुष्ट-परिज्ञान के लिये पाणिनीय-व्याकरण की नव्य तथा प्राचीन-दोनों शाखाओं के विविध मानक ग्रन्थों का अध्ययन एवम् अनुसन्धान कराया जाता है। ज्योतिष-विभाग में फलित ज्योतिष में मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की विशद जानकारी के साथ होराशास्त्र के मानक ग्रन्थों का अध्ययन एवं शोध कराया जाता है तथा सिद्धान्तज्योतिष में आर्यभट, भास्कराचार्य, भट्टकमलाकर, गणेश दैवज्ञ, वेंकटेश केतकर आदि आचार्यों के मानक ग्रन्थों का अध्यापन एवं शोध किया जाता है। वास्तुशास्त्र-विभाग में वास्तुशास्त्र का प्रामाणिक, विशद अध्ययन तथा शोध कराया जाता है। धर्माधर्म का निर्णय पूर्णतः वेदाश्रित होने से सभी संस्कारों, धार्मिककृत्यों, सम्बन्ध-मूलक अधिकार आदि विषयों का निर्णायक धर्मशास्त्र-विभाग भी इसी वेदवेदांगपीठ के अन्तर्गत है, जिसमें विविध-स्मृतियों के विशिष्ट-विश्लेषणों द्वारा धार्मिक आचारों के सभी पक्षों का शास्त्रीय प्रबोध प्रदान किया जाता है। समाज के साथ साक्षात्सम्बद्ध होने के कारण पौरोहित्य-विभाग द्वारा विविध प्रामाणिक ग्रन्थों के अध्यापन के साथ सम्बद्ध विषय में शोधकार्य कराया जाता है। ज्योतिष-विभाग द्वारा ज्योतिष में षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम, ज्योतिष एवं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एकवर्षीय डिप्लोमा एवं ज्योतिष में द्विवर्षीय एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्यापन किया जाता है। वास्तुशास्त्र द्वारा वास्तु षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय, एकवर्षीय डिप्लोमा, द्विवर्षीय एडवांस डिप्लोमा एवं द्विवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। ज्योतिष-विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष पञ्चाङ्ग-निर्माण भी सम्पादित होता है। उपर्युक्त सभी विभागों में माननीय आचार्यों द्वारा शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं के प्राध्यापन के साथ गवेषणा की सूक्ष्म-दृष्टि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पारम्परिक अध्ययन के साथ तुलनात्मक शास्त्रीय-सम्बोध के लिए अनेकविध शैक्षिक-प्रकल्पों का विशिष्ट-आयोजन किया जाता है।

वेदवेदांगपीठ में छात्रों के विशेष-ज्ञानवर्धन के लिए समय-समय पर विशिष्ट-व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाता है। कतिपय-विभागों में यू.जी.सी. की शोध-परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसप्रकार वेदवेदांगपीठ अपने संकल्पानुरूप लक्ष्य को सामने रखकर सर्वांगीणरूप से अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक चरितार्थ कर रहा है।

प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी
पीठप्रमुख, वेदवेदांग

वेद-विभाग

अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

देश, काल की सीमा से रहित, नित्य तथा अपौरुषेय ईश्वर की दिव्यवाणी ही वेद है। वाङ्मय की दृष्टि से विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद हैं। ये चारों वेद मानवमात्र के कर्तव्याकर्तव्य के बोधक तथा सुखप्राप्ति के अलौकिकसाधनरूप हैं। इसीलिए आचार्य सायण कहते हैं– इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः।

वेद के विषय में भगवान मनु ने कहा – ''सर्वज्ञानमयो हि सः''। इस वचन के अनुसार विश्व के समस्तज्ञान एवं विज्ञान के मूलस्रों वेद मानवमात्र के सर्वविध विकास एवं मानवता को जीवन देनेवाले प्रबोध के उत्स हैं। विश्व की रचना सम्पोषण एवं विलयन के समस्त नियमों का उपदेश वेदों में ऋषि–महर्षियों द्वारा किया गया है। प्रकृति एवं मानव समाज के मध्य मञ्जुल सामञ्जस्यपूर्ण व्यवहार को अक्षुण्ण बनाने के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है। इनके अध्ययन की अनिवार्यता को लक्षित करते हुए ही श्रुति कहती है– अहरहः स्वाध्याज्य माधीयीत,। महाभाष्यकार महर्षिपतञ्जलि भी कहते है– ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्मः षडङ्गोवेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।

वेदों का अध्येता ही राज्याधिकारी, दण्डाधिकारी सेनापति तथा चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है यह महाराज मनु का उद्‌घोष है।–सैनापत्यं च राज्यं च दृण्डनेतृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यञ्च सर्वं वेदविदर्हति ॥ मनु.स्मृ. 12:100

उपर्युक्त वचन के आधर पर से राष्ट्र की अखण्डता एवं अक्षुण्णता भी वेदाध्ययन से सम्भव है। वेद विभाग में शुक्लयजुर्वेद के संहिता भाग के सस्वर–उच्चारण प्रशिक्षण के साथ जटा, माला, शिखा आदि आठ विकृतिपाठों का अध्यापन होता है। इसके साथ ही विविध श्रोतयागों के सिद्धान्तो के अध्यापन के साथ प्रयोगात्मक स्वरूप का उपस्थापन यागीय उपकरणों के माध्यम से छात्रों को कराया जाता है।

ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक एवं उपनिषदों के रहस्यों का विविध टीकाओं के आलोक में अध्यापन के साथ–साथ समय–समय पर व्याख्यान सम्मेलन/संगोष्ठी तथा श्रौतयागों के विशिष्ट विद्वानों के द्वारा श्रौतयाग का प्रयोगात्मक स्वरूप भी विभाग के द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

वैदिकवाङ्मय के अनाक्रान्तपूर्व एवं तिरोहितपक्षों के तथ्यात्मक अनुसन्धान के लिए शोध मार्गदर्शन का सौविध्य भी उपलब्ध है जिसका कार्य सातत्य में है।

प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र
विभागाध्यक्ष, वेद विभाग

वेद-विभाग

1.	प्रो. रामानुज उपाध्याय	आचार्य
2.	प्रो. गोपाल प्रसाद शर्मा	आचार्य
3.	प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
4.	प्रो. सुन्दर नारायण झा	आचार्य
5.	प्रो. हनुमान मिश्र	आचार्य
6.	डॉ. यशवंत सेलुकर	सहायक आचार्य

पौरोहित्य विभाग (कर्मकाण्ड)

'वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः' इस सूक्ति के अनुसार पौरोहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है- **पुरः अग्रे यजमानस्य हितं कल्याणं करोति स पुरोहितः, तस्य कर्म पौरोहित्यम्** ।पौरोहित्य सनातन परम्परा की (कर्मकाण्ड) **आत्मा है** ।जन्म से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तथा नित्य नैमित्तिक काम्यादि सकल कर्म कर्मकाण्ड द्वारा ही सम्पादित किया जाता है। प्राचीन काल मे ही मनुष्यों के लिए समस्त मनोरथ की पूर्ति का साधन श्रौतयाग एवं स्मार्तयाग माना गया है, किन्तु केवल संहिता की जानकारी मात्र से ही कोई याग सम्पन्न नहीं कर सकता, एतदर्थ अनुष्ठान की पद्धतियों का भी पूर्णज्ञान होना आवश्यक है,अतः अनुष्ठान की प्रक्रियाओं के सूक्ष्मतम परिचय के साथ पारम्परिक विधियों का अध्ययन अध्यापन पौरोहित्य विभाग में कराया जाता है। कर्मकाण्ड सम्बन्धी शास्त्रीय विद्या के अध्ययन तथा अनुष्ठान से समस्त जनों का कल्याण होता है। संसार के सभी जिज्ञासुओं के लिए जो ईश्वराराधना, मन्त्रोपासना, मन्त्रपुरश्चरण, रुद्राभिषेक, सप्तशती पाठ, सोलह संस्कार, प्राण प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त,शान्ति , श्राद्ध, व्रत ,उद्यापन, दान, उत्सर्ग, शुद्धि वृक्षारोपण, कुण्ड-मण्डप निर्माण, दुर्गायाग , देवी-देवताओं के यज्ञ विधान, शिलान्यास, गृहप्रवेश, वास्तुशान्ति आदि विविध यज्ञ-अनुष्ठानादि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन जिज्ञासुओं के लिए यह विषय अत्यन्त उपयोगी है। पौरोहित्य विषय के ज्ञान से आस्तिकजन समस्त मनोभिलषित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह विभाग परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों मे युक्त सामाजिक गतिविधियों तथा सनातन परम्पराओं के संरक्षण एवं सम्वर्धन में छात्र को योग्य बनाता है। साथ ही साथ आचार, व्यवहार , शिष्टाचार के सनातन तथ्यों से परिचित कराता है। पौरोहित्य विषयक अध्ययन के द्वारा वेदमन्त्र, मुहूर्त , धर्मशास्त्रीय व्रत महोत्सवादि का ज्ञान भी प्राप्त होता है। **'ज्ञात्वा कर्माणि चानुष्ठेयम्'** इस उपनिषद वाक्य को ध्येय मानकर, प्रक्रियाओं का स्मरण पूर्वक कर्मकाण्डीय प्रक्रिया का विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्तकर अनुष्ठान में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है। अतः समस्त सनातन धर्मावलम्बी सुधीजन पौरोहित्य (कर्मकाण्ड) के ज्ञान से समाज में संरक्षण एवं सम्वर्धन करने में निपुण होते हैं। अतः पौरोहित्य (कर्मकाण्ड) शास्त्र का अध्ययन अवश्य करें।

प्रो. रामराज उपाध्याय
विभागाध्यक्ष, पौरोहित्य

पौरोहित्य विभाग

1. प्रो. रामराज उपाध्याय	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2. प्रो. वृन्दावन दाश	आचार्य
3. डॉ. रविन्द्र कुमार पण्डा	सहायक आचार्य (अतिथि)
4. डॉ. मधुसूदन शर्मा	सहायक आचार्य (अतिथि)

व्याकरण विभाग

संस्कृत वाङ्मय के सम्यक् ज्ञान एवं अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत-व्याकरण की संवृद्धि एवं पुष्टता भाषा विज्ञान की दृष्टि से अतुलनीय है। विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत सबसे परिपूर्ण एवं उन्नत भाषा स्वीकार की जाती है, जिसका मूल कारण इसका व्याकरण-सम्बन्धी-पक्ष है। अपनी इस विशेषता के कारण ही यह वेद का सर्वप्रमुख अङ्ग माना जाता है। इसके मूलतः पाँच प्रयोजन हैं- रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असन्देह। व्याकरण शास्त्र का बृहद् इतिहास है, किन्तु महामुनि पाणिनि और उनके द्वारा प्रणीत 'अष्टाध्यायी' ही इसका केन्द्र बिन्दु है। पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में लगभग 4000 सूत्रों की रचना कर भाषा के नियमों को व्यवस्थित किया, जिसमें वाक्यों में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति-प्रत्यय विभाग एवं पदों की रचना आदि प्रमुख तत्त्व हैं। इन नियमों की पूर्ति के लिये पाणिनि द्वारा प्रणीत धातुपाठ, गणपाठ तथा उणादिसूत्र भी व्याकरण अध्ययन मे सहायक है। सूत्रों में उक्त अनुक्त एवं द्विरुक्त विषयों का विचार कर कात्यायन ने वार्त्तिक की रचना की। बाद में महामुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना कर संस्कृत व्याकरण को पूर्णता प्रदान की है। इन्हीं तीनों आचार्यों को 'त्रिमुनि' के नाम से जाना जाता है । प्राचीन व्याकरण में इनके द्वारा रचित शास्त्रों का अनिवार्यतः अध्ययन किया जाता है।

प्राचीनव्याकरण एवं नव्य-व्याकरण दो स्वतन्त्र विषय है। नव्य-व्याकरण के अन्तर्गत प्रक्रिया क्रम के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भट्टोजि दीक्षित, नागेशभट्ट आदि आचार्यों के ग्रन्थों का अध्ययन मुख्य है। व्याकरण विभाग में पाणिनीय व्याकरण की नव्य एवं प्राचीन नामक दोनों शाखाओं के चूडान्त ग्रंथों के अध्ययन के साथ इनके गहन अनुसंधान का सौविध्य उपलब्ध कराया जाता है।

प्रो. दयाल सिंह
विभागाध्यक्ष, व्याकरण विभाग

व्याकरण-विभाग

1. प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	आचार्य
2. प्रो. सुजाता त्रिपाठी	आचार्य
3. प्रो. राम सलाही द्विवेदी	आचार्य
4. प्रो. दयाल सिंह	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
5. डॉ. नरेश कुमार वैरवा	सह आचार्य
6. डॉ. अशोक कुमार मिश्र	सह आचार्य
7. डॉ. अर्चना कुमारी	सह आचार्य
8. डॉ. धर्मपाल प्रजापत	सहायक आचार्य
9. श्री नरेश कुमार	सहायक आचार्य

धर्मशास्त्र-विभाग

धर्मशास्त्रं सितं शान्तं चारुवक्त्रं कुशासनं ।

मुक्ताजपाक्षधद्द क्षे तुलाहस्तस्तु वामतः ॥

ऋषियों द्वारा धार्मिक आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, भक्ति, इष्टापूर्त्त, नैतिकमूल्यबोध, सामाजिक तथा वैयक्तिक कर्त्तव्याकर्त्तव्य की व्यवस्था-हेतु धर्मशास्त्र का प्रणयन किया गया है । वेदविहित कर्मों के आनुपूर्व्य से कल्पनाशास्त्र रूपक-कल्प का यह अङ्गभूत है । इस शास्त्र में मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, पारस्कर, गौतम, नारद, बृहस्पति, बौधायन, जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, माधवाचार्य, कौटिल्य-प्रभृति सूत्र, स्मृति, भाष्य एवं तात्कालिक निबन्धात्मक प्राचीन-ग्रन्थों के अध्ययन के साथ ज्वलन्त युगोपयोगी एवं आधुनिकता के साथ सामञ्जस्य रखने वाले विषयों जैसे स्त्री-अधिकार, हिन्दूविधि, संस्कार, नैतिकशिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार, राजधर्म, दण्ड, अपराध प्रभृति विषयों पर अध्ययन-अध्यापन किया जाता है, जिससे सामाजिक विधि-व्यवस्थाओं के उन्नत दर्शनों का अध्ययन और मानवीय मूल्यों के प्रणयन के साथ-साथ आत्मिक विकास होता है ।

धर्मशास्त्र विभाग द्वारा शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि स्तर के पाठ्यक्रमों का शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह विभाग जनसामान्य को सामाजिक विधिविधान तथा समाज में प्रचलित व पारंपरिक समस्त विधानों एवं व्यवस्थाओं का ज्ञान करवाने के साथ-साथ नीति , राजनीति, अर्थशास्त्र एवं कालविषयों का विचार, पर्व एवम् उत्सवों का सही व्यवस्थापन करता है। चारित्रिक एवं नैतिकविकास करने में इस विभाग का योगदान अतुलनीय है। साम्प्रतिक समाज में धर्मशास्त्र ही मानविक मूल्यबोध का प्रायशः समस्त तत्वों का है। कहा गया है

मोक्षो यस्य फलं प्रसूननिचयः कामोऽर्थ एवोत्तमः ।
प्रत्यग्रोऽरुणपल्लवो, मखमुखाः शाखाः प्रभोः प्रत्ययः ॥
स्कन्धः शाखाचये प्रमाणलसिता बुद्धिर्नवीनोऽङ्कुरः ।
बीज चास्तिकतेति सोऽतिसुदृढो धर्मदुमो राजते ॥

प्रो. सुधांशु भूषण पण्डा
विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र विभाग

1. प्रो. यशवीर सिंह	आचार्य
2. प्रो. सुधांशु भूषण पण्डा	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. हिमांशु शेखर त्रिपाठी	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. मीनाक्षी मिश्रा	सहायक आचार्य
5. डॉ. गोपालकृष्ण मिश्र	सहायक आचार्य (अतिथि)

ज्योतिष-विभाग

ज्योतिषशास्त्र 'ज्योतिर्विज्ञान' नाम से प्रसिद्ध है, इससे न केवल इसकी वैज्ञानिकता ही प्रकट होती है, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों की गति, स्थिति, युति, अमावास्या, पूर्णिमा, ग्रहणादि गणितीय-पदार्थों के वेध के द्वारा दृक्सिद्धि के कारण यह शास्त्र 'विज्ञान' की श्रेणी में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि प्राप्त करता है। यह शास्त्र सिद्धान्त, संहिता और होरा के रूप में मुख्य तीन स्कन्धों में विभक्त है।

ज्योतिष-विभाग द्वारा सिद्धान्त ज्योतिष और फलित ज्योतिष विषयों में शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधि स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रमों का अध्यापन किया जाता है। ज्योतिष विभाग जन-सामान्य को ज्योतिष-शास्त्र के परम्परागत ज्ञान से परिचित कराने के लिए एक-एक वर्ष की समयावधि के प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम 'ज्योतिष-प्राज्ञ' एवं 'ज्योतिष-भूषण' सञ्चालित करता है। इसके साथ-साथ 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्वीकृति एवं उसके द्वारा प्रदत्त विशेष सहायता योजना (SAP-DRS-I,IIएवंIIIज्यो.) के अन्तर्गत 'मेडिकल-एस्ट्रोलॉजी' में एक वर्ष का प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम सञ्चालित करता है। इस योजना के अन्तर्गत बाह्य-विद्वानों के विशिष्ट-व्याख्यान भी कराये जाते हैं। ज्योतिष-विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 'पञ्चाङ्ग' का निर्माण एवं प्रकाशन तथा षाण्मासिक पत्रिका भैषज्य ज्योतिष मञ्जूषा का प्रकाश किया जाता है।

प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा
विभागाध्यक्ष, ज्योतिष-विभाग

ज्योतिष-विभाग

ज्योतिष (फलित एवं सिद्धान्त)

1. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	आचार्य (प्रतिनियुक्ति)
2. प्रो. विनोद कुमार शर्मा	आचार्य
3. प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
4. प्रो. परमानन्द भारद्वाज	आचार्य
5. प्रो. फणीन्द्र कुमार चौधरी	आचार्य
6. प्रो. सुशील कुमार	आचार्य
7. प्रो. रश्मि चतुर्वेदी	आचार्य
8. डॉ. रतनलाल	सह आचार्य
9. डॉ. होमेश दत्त	सहायक आचार्य (अतिथि)
10. डॉ. बृजमोहन	सहायक आचार्य (अतिथि)
11. डॉ. खेमराज रेग्मी	सहायक आचार्य (अतिथि)

वास्तुशास्त्र-विभाग

स्थापत्य के रूप में वास्तुशास्त्र का वर्णन वैदिककाल से ही सर्वत्र दिखाई देता है । दिग् और काल के अनुरूप किसी भी देश एवं स्थान में स्थापत्य का विचार अभीष्ट-व्यक्ति के अनुरूप करना वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। स्थापत्यवेद के रूप में यह अथर्ववेद का उपवेद है।

वास्तु-पुरुष-मण्डल के वर्णन से यह द्योतित होता है कि जैसे हमारा सम्पूर्ण शरीर एक सजीव-इकाई है, परन्तु उसे बनाने वाली सूक्ष्म-कोशिकायें अपने में एक चैतन्य-इकाईयाँ हैं। उनकी प्रतिक्रियायें समग्र शरीर की प्रतिक्रिया होती है। वैसे ही एकात्मता का भाव वास्तु में भी प्रधान है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र आदि सभी के ऊर्जा प्रभाव के कारण वास्तुरचना अनुकूल और प्रतिकूल-परिणाम देती है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य सर्वविध-सुखी एवं शान्त-सुरक्षित गृहादि निर्माण से है, जहाँ रहकर व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें।

वास्तुशास्त्र की एक विस्तृत शास्त्रीय परम्परा एवं वर्तमान में इसके स्वरूप एवं लोगों में इस शास्त्र के प्रति रुचि को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विभागों के अनुरूप वास्तुशास्त्र विभाग में भी शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि की कक्षाओं में प्रवेश सत्र 2013-14 से प्रारम्भ किया गया। जन सामान्य की वास्तुशास्त्र में रुचि को देखते हुए एवं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के दिशा निर्देशानुसार वास्तुशास्त्र में द्विवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चल रहा है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वास्तुशास्त्र के दुर्लभ एवं पूर्ण कालिक गम्भीर शास्त्रीय-ज्ञान से सामान्य-जनता को परिचित कराना है। शनिवार एवं रविवार को अंशकालीन-पाठ्यक्रम के रूप में प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम, डिप्लोमा एवं एडवांस-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं।

वास्तुशास्त्र-विभाग द्वारा वार्षिक शोधपत्रिका 'वास्तुशास्त्र विमर्श' का सम्पादन एवं प्रकाशन वर्ष 2007 से निरन्तर किया जा रहा है। इसका विक्रय एवं आवश्यकतानुसार विद्वानों को उपलब्ध कराने का कार्य विश्वविद्यालय के 'प्रकाशन अनुभाग' द्वारा किया जाता है। वास्तुशास्त्र विभाग तथा योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (SPA), नई दिल्ली के मध्य वर्ष 2018 एवं 2021 से परस्पर सहमति ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित है। इसी प्रकार विश्वव्यापी महर्षि विश्वविद्यालयों एवं प्रस्तावित डॉ. टोनी नाडर शोध केन्द्रों (यूरोप, भारत सरकार एवं अमेरिका) के साथ भी वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा 27 दिसम्बर 2023 को परस्पर सहमति ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरीत हुआ है।

प्रो. अशोक थपलियाल
विभागाध्यक्ष, वास्तुशास्त्र विभाग

वास्तुशास्त्र-विभाग

1. प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी	आचार्य
2. प्रो. अशोक थपलियाल	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. प्रवेश व्यास	सहायक आचार्य
4. डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक आचार्य
5. डॉ. दीपक वशिष्ठ	सहायक आचार्य
6. डॉ. नवीन पाण्डेय	सहायक आचार्य
7. डॉ. अव्यक्त रैणा	सहायक आचार्य (अतिथि)

दर्शनशास्त्रपीठम्

परिचय –

भारतीय संस्कृति और ज्ञान-परम्परा का मूल आधार दर्शन है। दर्शन केवल सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं, बल्कि जीवन, जगत, आत्मा और सत्य की खोज की प्रक्रिया है । यह पीठ इसी भारतीय महान ज्ञान परम्परा को आधुनिक शैक्षिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यह पीठ भारतीय दार्शनिक परम्पराओं के अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का एक प्रमुख केन्द्र है, जहाँ प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान और आधुनिक बौद्धिक विमर्श का समन्वय देखने को मिलता है ।

उद्देश्य -

दर्शनशास्त्र पीठ का उद्देश्य केवल उपाधि प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों का निर्माण करना है जो भारतीय चिंतन की गहराई को मूल शास्त्रों से समझते हुए समाज और विश्व के समक्ष उसकी प्रासंगिकता को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकें । यहाँ के अध्ययन का वातावरण विद्यार्थियों में तार्किकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और स्वतंत्र चिंतन का विकास करता है ।

आठ विभागों से समृद्ध -

पीठ के अंतर्गत भारतीय दर्शन की विविध परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ विभाग संचालित हैं जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात 30 आचार्य विद्वान् गहन अध्यापन एवं शोध कार्य करवाते हैं -

1. **सांख्य-योग विभाग** - सांख्य दर्शन एवं पतंजलि योगसूत्रों की दार्शनिक परम्परा का मूल शास्त्रों से अध्ययन कराता है ।
2. **न्याय-वैशेषिक विभाग** - भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण और ज्ञानमीमांसा का मूल शास्त्रों से अध्ययन कराता है ।
3. **जैनदर्शन विभाग** - अनेकान्तवाद, अहिंसा, जैन न्याय तथा आगमों की समृद्ध परम्परा से मूल शास्त्रों के द्वारा परिचित कराता है ।
4. **सर्वदर्शन विभाग** - भारतीय दर्शन की विभिन्न प्रणालियों का मूल शास्त्रों से तुलनात्मक अध्ययन कराता है ।
5. **मीमांसा विभाग** - वैदिक परम्परा, धर्म और शास्त्रीय व्याख्या-पद्धति का मूल शास्त्रों से अध्ययन कराता है ।
6. **विशिष्टाद्वैत वेदान्त विभाग** - रामानुजाचार्य की भक्ति-प्रधान वेदान्त परम्परा का मूल शास्त्रों के आधार पर विवेचन करता है ।
7. **अद्वैत वेदान्त विभाग** - आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धान्तों के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के संबंध का मूल शास्त्रों से अध्ययन कराता है ।
8. **योग विज्ञान विभाग** - योग और चेतना के वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक पक्षों पर केन्द्रित है, जो आधुनिक जीवन में आसन एवं प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की दिशा प्रदान करता है ।

विशेषता –

दर्शनशास्त्र पीठ की विशेषता यह है कि यहाँ शिक्षा केवल कक्षाओं और पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहती। शास्त्रार्थ, कार्यशालाएं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार तथा अन्य शोधपरक गतिविधियाँ विद्यार्थियों को व्यापक बौद्धिक अनुभव प्रदान करती हैं । यहाँ का संस्कृतमय एवं अकादमिक वातावरण विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान-परम्परा से आत्मीय रूप से जोड़ता है ।

आमंत्रण

यदि आप भारतीय दर्शन, चिंतन और अध्यात्म की गहराइयों को समझते हुए अपने व्यक्तित्व और भविष्य को नई दिशा देना चाहते हैं, तो दर्शनशास्त्र पीठ आपके लिए एक आदर्श केन्द्र है ।

प्रो. अनेकांत कुमार जैन
(दर्शनशास्त्रपीठ प्रमुख)

न्याय विभाग

प्राचीन-न्याय वैशेषिक

प्राचीन-न्याय वैशेषिक विषय का अध्ययन करनेवाले छात्र मुख्यरूप से प्राचीन-न्यायदर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन के प्रारम्भिक ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन-न्याय का प्रथम-ग्रन्थ 'न्याय-सूत्र' है। इसके निर्माता महर्षि गौतम हैं। इस ग्रन्थ को आन्वीक्षिकी, न्यायविद्या, न्याय-दर्शन, न्याय-शास्त्र तथा तर्क-शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में सोलह पदार्थ या तत्त्व माने गये हैं-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रहस्थान। इन पदार्थों का विशद विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है। न्यायशास्त्र के सम्बन्ध में महान् राजनीतिज्ञ कौटिल्य का मानना है कि यह शास्त्र सभी विद्याओं को प्रकाशित करता है-

प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् ।
आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥

प्रायः सभी न्यायदर्शन के ग्रन्थ इसी मूल ग्रन्थ पर आधारित हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रथम ग्रन्थ वैशेषिक सूत्र है। इसके निर्माता महर्षि कणाद हैं। इस ग्रन्थ को कणाद-दर्शन, औलूक्य-दर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव नामक सात पदार्थ माने गये हैं। इन्हीं पदार्थों का विशद-विवेचन इस ग्रन्थ में है। इस दर्शन का नाम वैशेषिक-दर्शन इसलिये पड़ा क्योंकि इस दर्शन ने विशेष नाम का पदार्थ अलग से माना है। वैशेषिक-दर्शन के सभी ग्रन्थ इन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं। अधुनातन अनेक भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों का मूलरूप वैशेषिक-दर्शन में मिलता है, इनमें परमाणु, गुरुत्वाकर्षण, उत्क्षेपण आदि कार्यों के सिद्धान्त प्रमुख हैं। **''द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिः तं वै वैशेषिकं विदुः''** यह कथन स्पष्ट करता है कि इस दर्शन में द्वित्व-सङ्ख्या, पाक से होने वाली उत्पत्ति एवं विभाग से उत्पन्न विभाग की विशेष-चर्चा है। न्याय-दर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, इसीलिये इन्हें समान-तन्त्र माना गया है। इन दोनों दर्शनों के अध्ययन से छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास होता है तथा किसी भी विषय को युक्ति के आधार पर समझने की कला विकसित होती है।

इस दर्शन में सृष्टि का प्रारम्भ परमाणु से माना गया है। संसार के प्रमुख पाँच तत्त्वों- पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश की वैज्ञानिक-चर्चा यहाँ प्राप्त होती है।

सृष्टि के आधार परमाणु की समीक्षा करते हुए न्यायवैशेषिक दर्शन में स्पष्ट कहा गया है-

जालान्तर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः।
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु प्रचक्ष्यते॥

जब घर में झरोखे से सूर्य की रश्मियाँ प्रवेश करती हैं तब इन रश्मियों के बीच उड़ते हुए जो छोटे-छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, इनका छठा-भाग 'परमाणु' कहा जाता है। यह परमाणु-सिद्धान्त प्रायः मूल रूप से अधुनातन-वैज्ञानिकों के सिद्धान्तों से मिलता है। फलतः इस दर्शन का विशिष्ट ज्ञान भविष्य में विज्ञान क्षेत्र में गम्भीर अनुसन्धान की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है। विभागीय अध्यापकों के द्वारा शास्त्र शिक्षण के अतिरिक्त आधुनिक पद्धति से SWAYAM प्लेटफार्म पर ई-पाठादि (पाठशाला, मूक्स) का निर्माण कर सफल सञ्चालन भी करते रहते है। समय-समय पर छात्रों के मध्य शास्त्रार्थ, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजनादि से उनके समग्र विकास में हमेशा तत्पर रहते हैं।

नव्य-न्याय

नव्य न्याय विषय का अध्ययन करनेवाले छात्र प्रमुखरूप से 'तत्त्व-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ का अध्ययन करते हैं। 'तत्त्व-चिन्तामणि' नव्य-न्याय का प्रथम-ग्रन्थ है। इसके रचयिता आचार्य गङ्गेश उपाध्याय हैं, नव्य-न्याय, न्याय-सूत्र पर ही मूलरूप से आधारित है। न्यायदर्शन के प्रमाण-प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का ही नव्य-न्याय के ग्रन्थों में विशिष्ट भाषा एवं शैली में आकर्षक-प्रतिपादन है। प्राचीन न्याय में प्रमेयों की चर्चा प्रधानता से की गयी है, परन्तु नव्य-न्याय में प्रमाणों की चर्चा प्रमुखरूप से गङ्गेश उपाध्याय ने की है। नव्य-न्याय के ग्रन्थों की भाषा, प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता, निरूपकता-निरूप्यता, कारणता-कार्यता, प्रतिबन्धकता-प्रतिबध्यता, अधिकरणता-आधेयता, व्याप्यता-व्यापकता, विषयता-विषयिता आदि विशिष्टपारिभाषिक शब्दों से भरी है। इन शब्दों से बनी नव्य-न्याय की भाषा अध्येता को किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को सुस्पष्ट समझाने में अत्यन्त उपयोगी होती है। नव्य-न्याय की भाषा सभी शास्त्रों में विषय को सूक्ष्मरूप से सुस्पष्ट करने की दृष्टि से बाद के सभी समीक्षकों ने अपनायी है। कम्प्यूटर के विशेषज्ञों ने इस भाषा को कम्प्यूटर के लिये सर्वाधिक उपयोगी माना है। इस प्रकार नव्य-न्याय के अध्ययन से न्याय-दर्शन एवं वैशेषिक-दर्शन के अत्यन्त गूढ़ रहस्यों को समझने में जहाँ हम समर्थ होते हैं, वहीं व्याकरण, दर्शन, तन्त्रागम, ज्योतिष, साहित्य आदि अन्य शास्त्रों के मर्म को भी भली-भाँति समझने समझाने की विलक्षण प्रतिभा भी अनायास प्राप्त कर लेते हैं। नव्य-न्याय के अध्ययन से हर प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है। बुद्धि निर्मल होती है। संस्कृत-पदों के व्यवहार की शक्ति उत्पन्न होती है। शास्त्रान्तर के अभ्यास की योग्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार तर्कशास्त्र में किया गया श्रम छात्रों का हर तरह से उपकार करता है। 'विश्वगुणादर्शचम्पू' में ठीक ही कहा है:-

मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिम्।
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते किमिहोपकारम्॥

यह आन्वीक्षिकी न्यायविद्या सुधीजनों के सभी प्रयोजनों को भी सिद्ध करने वाली है। सभी दर्शनों के विख्यात विद्वान् श्रीवाचस्पतिमिश्र न्यायभाष्य की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहते हैं-**'भाष्यकारास्तु नास्त्येतत् प्रेक्षावतां प्रयोजनं, यत्रान्वीक्षिकी न निमित्तं भवति'** प्रत्यक्ष एवं शब्द प्रमाण से विषय का ज्ञान कर लेने के बाद पुनः जो इस विषय का ईक्षण अर्थात् परीक्षण किया जाता है, इसे ही अन्वीक्षा कहा जाता है। जिस शास्त्र में इस प्रकार हर विषय की अन्वीक्षा करते हुए तत्त्व का निर्धारण किया जाता है उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं। इस प्रकार यह आन्वीक्षिकी वास्तव में भारतीय अनुसन्धान शास्त्र है तथा हर शास्त्र के लिये उपयोगी है, यह सयुक्ति प्रमाणित होता है।

प्रो. रामचन्द्र शर्मा
विभागाध्यक्ष- न्याय वैशेषिक विभाग

न्याय वैशेषिक-विभाग

1.	प्रो. विष्णुपद महापात्र	आचार्य
2.	प्रो. महानन्द झा	आचार्य
3.	प्रो. रामचन्द्र शर्मा	आचार्य
4.	प्रो. कुञ्जविहारी द्विवेदी	आचार्य

साङ्ख्य-योग-विभाग

साङ्ख्य-योग का अध्ययन करनेवाले छात्र प्रमुखरूप से साङ्ख्य दर्शन एवं योग-दर्शन के आधारभूत-ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं । साङ्ख्य-दर्शन का प्रथम-ग्रन्थ महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत साङ्ख्य-सूत्र है। प्रसिद्ध आचार्य ईश्वरकृष्ण द्वारा रचित 'साङ्ख्यकारिका' इस दर्शन का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । इस दर्शन में कुछ पदार्थ केवल प्रकृति हैं। कुछ प्रकृति एवं विकृति हैं। कुछ मात्र विकृति हैं। तो कुछ न प्रकृति हैं और न ही विकृति। इस प्रकार साङ्ख्यदर्शन में स्वीकृत सभी पच्चीस पदार्थों को चार वर्गों में बाँटा गया है ।

कपिल द्वारा प्रणीत साङ्ख्यदर्शन में ईश्वर की सत्ता न होने से इसे 'निरीश्वर साङ्ख्य' कहते हैं । इस दर्शन में प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (घ्राण-रसना-चक्षु-त्वक्-श्रोत्र), पञ्च कर्मेन्द्रियाँ (वाक्-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ) मन, पञ्च तन्मात्राएँ (गन्धतन्मात्रा-रसतन्मात्रा-रूपतन्मात्रा-स्पर्शतन्मात्रा-शब्दतन्मात्रा) एवं पञ्च महाभूत (पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश) एवं पुरुष इसप्रकार कुल पच्चीस पदार्थ माने गये हैं । इन्हीं पदार्थों का अध्ययन इस दर्शन में कराया जाता है । योग-दर्शन का प्रथम ग्रन्थ महर्षि पतञ्जलि द्वारा प्रणीत 'योग-सूत्र' है । इस ग्रन्थ को 'पातञ्जल योगदर्शन' के नाम से भी जाना जाता है । इस योग-दर्शन में साङ्ख्य दर्शन के ही सभी पच्चीस पदार्थ माने गये हैं। केवल पुरुष-विशेष के रूप में एक ईश्वर नाम का पदार्थ यहाँ अतिरिक्त स्वीकार किया गया है । इसीलिये योगदर्शन को 'सेश्वर साङ्ख्यदर्शन' भी कहा जाता है ।

प्रो. मार्कण्डेय नाथ तिवारी
विभागाध्यक्ष, सांख्ययोग विभाग

सांख्ययोग-विभाग

1. प्रो. मार्कण्डेय नाथ तिवारी	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2. श्री लेखराज सिंह	सहायक आचार्य
3. डॉ. विनय गोपाल त्रिपाठी	सहायक आचार्य
4. डॉ. रोहित कुमार	सहायक आचार्य (अतिथि)

जैनदर्शन-विभाग

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ।
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ।।

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में मुख्य दो संस्कृतियाँ आज तक प्रवाहमान रही हैं—वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त दर्शन को समाविष्ट किया जाता है तथा श्रमण संस्कृति के अंतर्गत जैनदर्शन को समाविष्ट किया जाता है।

जैन दर्शन श्रमण संस्कृति का एक प्राचीन दर्शन है। इसकी मान्यतानुसार यह अनादिनिधन है। इसके अनेक प्राचीन नाम हैं, यथा—निर्ग्रन्थदर्शन, आर्हतदर्शन, अहिंसादर्शन, श्रमणदर्शन, स्याद्वाददर्शन और अनेकान्तदर्शन आदि।

जैन कालगणना के अनुसार प्रत्येक युग में चौबीस (24) तीर्थंकर होते हैं। इस दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल से इस दर्शन के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हैं। इन्हें आदिदेव, आदिब्रह्मा, पुरुषदेव, वृषभनाथ आदि नामों से जाना जाता है। अंतिम तीर्थंकर भगवान "महावीर" हैं। इन्हें भी वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान के नाम से जाना जाता है।

जैन शब्द "जिन" शब्द से निष्पन्न हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि— "जिनो देवता यस्य सः जैनः।"
"जिन" शब्द का अर्थ है— "अनेकभवगहनविषयव्यसनप्रापणहेतून् कर्मारातीन् जयतीति जिनः।"
अर्थात् अनेक भवों के गहन विषयों रूप संकटों की प्राप्ति के कारणभूत कर्मरूपी शत्रुओं को जो जीतता है, वह जिन है। जिनके द्वारा उपदिष्ट दर्शन को जैन दर्शन कहते हैं।

जैन दर्शन की प्रमुख दो परम्पराएँ हैं— दिगम्बर और श्वेताम्बर। उक्त दोनों ही परम्पराओं में अनेक मनीषी, दार्शनिक आचार्य हुए हैं और हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी निरन्तर प्रवाहमयी लेखनी से भारतीय वाङ्मय को पुष्ट एवं पल्लवित किया है। जैनाचार्यों ने सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, पारमार्थिक, तात्त्विक, सैद्धान्तिक,ध्यान योगादि आयुर्वेदिक, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, संगीत, कर्मसिद्धान्त, पदार्थविज्ञान आदि विषयों पर दार्शनिक दृष्टि से तथा वैज्ञानिक दृष्टि से शोधपूर्ण चिन्तन मेधा के सम्मुख प्रस्तुत किया है। दोनों ही परम्पराओं के जैन दार्शनिकों के द्वारा कृत वाङ्मय विभिन्न प्राकृत भाषाओं में उपलब्ध होता है। जैन दर्शन का प्रथम सूत्र शैली में लिखा गया संस्कृत ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्र है, जिसमें सूत्रों के माध्यम से जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष रूपी तत्त्वों का वर्णन किया गया है। तत्त्वार्थसूत्र ग्रन्थ की गणना जैन दर्शन के मूलाधारभूत में की जाती है। तत्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि,राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि अनेक टीकाओं का प्रणयन जैनाचार्यों ने किया।

षट्खण्डागम, कसायपाहुड, प्रवचनसार, नियमसार, समयसार, अष्टपाहुड, रत्नकरण्डश्रावकाचार, उत्तराध्ययन प्रमेयकमलमार्तण्ड, प्रमेयरत्नमाला, न्यायदीपिका, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय तथा आचाराङ्ग आदि जैनदर्शन के प्रमुख ग्रन्थ हैं। विभाग में इन सभी ग्रन्थों का अध्यापन कराया जाता है। अहिंसा, अनेकान्त तथा अपरिग्रह जैनदर्शन के प्रमुख सिद्धान्त हैं। विभाग में इन ग्रन्थों का अध्यापन कराया जाता है।

इनके अध्ययन से व्यक्ति का अपना भी सर्वांगीण हित होता है। और समाज राष्ट्र एवं विश्व का भी परम हित होता है। इन सिद्धांतों के अनुपालन से आधुनिक विश्व की पर्यावरण प्रदूषण आतंकवाद आदि विविध समस्याओं के समाधान भी संभव है। ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। जैनदर्शन भारतवर्ष में ही नहीं विश्वभर में अमेरिका आदि अनेक देशों में भी 50 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अतः इसमें रोजगार की भी प्रचुर संभावनाएं बनती हैं।

प्रो. वीरसागर जैन
विभागाध्यक्ष, जैन दर्शन विभाग

जैनदर्शन-विभाग

1. प्रो. वीरसागर जैन	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2. प्रो. अनेकान्त कुमार जैन	आचार्य
3. प्रो. कुलदीप कुमार	आचार्य

सर्वदर्शन-विभाग

सर्वदर्शन विभाग दर्शनशास्त्र के सर्वाङ्गीण अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रतिबद्ध है। दर्शन का लक्ष्य नि:श्रेयस की प्राप्ति है। सामान्य व्यक्ति का परम-लक्ष्य भौतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक भी हो सकता है।। दर्शनशास्त्र दोनों मार्गों का औचित्य बतलाते हुए कर्तव्याकर्तव्य, शुभाशुभ का दिशाबोध कराता है । अत: व्यक्ति के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये दर्शनशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, इस उद्देश्य से दर्शनशास्त्रपीठम् के अन्तर्गत दर्शन की सभी शाखाओं एवं संस्थाओं का परिज्ञान कराने के लिए स्वतन्त्र रूप से सर्वदर्शन विभाग संयोजित किया गया है।

भारतीय दर्शन का आरम्भ वेदों से होता है, इसका उत्कर्ष उपनिषदों में एवं उत्तरवर्ती शास्त्र परम्परा में मिलता है। कालान्तर में यथार्थ तत्त्व को अलग-अलग विश्लेषण के आधार पर समझाने की प्रक्रिया में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त- इन षड्दर्शनों का एवं चार्वाक, जैन, बौद्ध, शैवादि दर्शन का अभ्युदय हुआ । इन सभी दर्शनों को सूत्र-शैली में प्रस्तुत किया, जो तत्तत् दर्शनों के सूत्र-ग्रन्थों जैसे- साङ्ख्यसूत्र, योगसूत्र, न्यायसूत्र, वैशेषिकसूत्र, मीमांसासूत्र एवं ब्रह्मसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वदर्शन विषय में इन सभी दर्शनों का अध्ययन उनके आधारभूत सूत्रग्रन्थों एवं भाष्यग्रन्थों के माध्यम से करवाया जाता है । साथ ही समकालीन-दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का संक्षिप्त-ज्ञान भी दिया जाता है।

विभाग के सम्मानित आचार्य दर्शन के विविध क्षेत्रों में ग्रन्थलेखन एवं शोध योजनाओं के माध्यम से रचनात्मक प्रस्तुति के लिए कृतसंकल्प रहते हैं। विभाग से उपाधि प्राप्त छात्र देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। दर्शन के महत्त्व को सुनिश्चित करते हुए अन्य विषयों के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से दर्शन के मूलभूत विषयों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। शोध कार्य के माध्यम से दर्शन के महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रकाशन एवं पाण्डुलिपि सम्पादन द्वारा यह विभाग समृद्ध हो रहा है। शिक्षा के साथ व्यवहार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी सर्वदर्शन का अध्ययन उपयोगी है, ऐसा सुनिश्चित होता है।

प्रो. जवाहर लाल
विभागाध्यक्ष, सर्वदर्शन विभाग

सर्वदर्शन-विभाग

1. प्रो. प्रभाकर प्रसाद	आचार्य
2. प्रो. जवाहर लाल	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. विजय गुप्ता	सहायक आचार्य
4. डॉ. मोहन लाल शर्मा	सहायक आचार्य (अतिथि)

मीमांसा-विभाग

भारतीय दर्शनों में मीमांसा दर्शन का उत्कृष्ट स्थान है। मीमांसा शब्द का अर्थ पूजित-विचार होता है। "पूजित-विचार वचनो मीमांसा-शब्द:" इति प्रसिद्धि:। "कर्मेति-मीमांसका:" इस वचन के अनुसार मीमांसा की दृष्टि से कर्म ही प्रधान और पूज्य लक्ष्य माना जाता है। कर्म ही धर्म है। इस दर्शन के प्रवर्तक भगवान् महर्षि जैमिनि हैं। इस दर्शन में द्वादश अध्याय हैं, इसलिए इसे ''द्वादशलक्षणी" नाम से जाना जाता है। इस दर्शन में प्राय: 1000 अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में एक -एक न्याय उपलब्ध है। ये सभी न्याय लौकिक रीति के अनुसार लिखे गये हैं। उपलब्ध सभी न्यायों के अनुसार ही सम्पूर्ण लोक नियमित है।

इस दर्शन में धर्म विचार ही मुख्य लक्ष्य है। यहाँ धर्म शब्द कर्म परक है। यही समझाने के लिए महर्षि जैमिनि ने "अथातो धर्म जिज्ञासा" सूत्र से इस दर्शन का आरम्भ किया। इस मीमांसा दर्शन के आधारभूत ग्रन्थ "शाबरभाष्यम्", "श्लोकवार्तिकम्", "शास्त्रदीपिका", ''न्यायरत्नमाला'', ''न्यायमञ्जरी'', ''प्रकरणपञ्चिका'', ''तौतातितमततिलकम्'', ''जैमिनीयन्यायमाला'', ''मीमांसान्यायप्रकाश:'', इत्यादि ग्रन्थ मीमांसा विभाग मे अध्यापन किये जाते है। एवं लौकिक व्यवहार तथा न्यायालय की न्याय प्रणाली में मीमांसा शास्त्रोक्त न्यायों का अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकार है।

इसलिए मीमांसा दर्शन का अध्ययन करने से उत्साही छात्र-छात्राओं का सर्वोन्मुख विकास अवश्य होगा।

प्रो. ए. एस्. आरावमुदन
विभागाध्यक्ष, मीमांसा विभाग

मीमांसा-विभाग

1. प्रो. ए.एस्. आरावमुदन — आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. राजेश कुमार गुर्जर — सहायक आचार्य
3. डॉ. पीताम्बर पौडेल — सहायक आचार्य (अतिथि)

विशिष्टाद्वैत वेदान्त-विभाग

विशिष्टाद्वैतशब्द वेदान्त दर्शन में तीन तत्त्वों का समावेश है- जीव, प्रकृति और ब्रह्म। चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म है अर्थात् चित् शब्द का अर्थ जीव, अचित् शब्द का अर्थ प्रकृति (जगत्) एवं इन दोनों तत्त्वों से विशिष्ट ब्रह्म है। इस सिद्धान्त में जीव एवं प्रकृति से भी विशिष्ट ब्रह्म-तत्त्व है अभिप्राय यह हुआ कि जीव भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, इनमें रहनेवाले विशिष्ट ब्रह्म को साक्षात् ईश्वर, भगवान् श्रीमन्नारायण आदि नामों से जाना जाता है। स्वयं भगवान् से प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत-दर्शन का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि व्यास, बोधायन, नाथमुनि-यामुन-भगवद्रामानुजाचार्य-वेदान्तदेशिक आदि आचार्यों ने अपने ग्रन्थों, कृतियों से आज भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।

सदाचार से युक्त मानव समाज को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने व उनके प्राप्ति के मार्गों के उपाय विशिष्टाचार्यों ने शास्त्रों में प्रतिपादित किया है।

वेदों के अन्तिम-भाग को 'वेदान्त' के नाम से जाना जाता है, व्यवहार में इसे ज्ञानमीमांसा भी कहते हैं। आचार्यों ने 'अर्थपञ्चक' का निरूपण इस प्रकार से किया है:-

प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः।
प्राप्त्युपायः फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥

अर्थात् प्राप्त ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप, ब्रह्म को प्राप्त करनेवाले जीव का यथार्थ-स्वरूप, परब्रह्मप्राप्ति के साधन, परब्रह्म-प्राप्ति का फल तथा परब्रह्म की प्राप्ति के अवरोधक-ज्ञान को ही 'अर्थपञ्चक' कहते हैं। अलौकिक तत्त्व का ज्ञान वेदान्त के भेद एवं अभेद-वाक्यों का उपनिषद् के द्वारा प्रमाण मानने से स्पष्ट हो जाता है। विशिष्टाद्वैतवेदान्त दर्शन में सभी वेद-वाक्यों का समन्वयपरक-अर्थ किया है। इस वेदान्त-दर्शन के आधार-ग्रन्थ सिद्धित्रयम्, स्तोत्ररत्नम् श्रीभाष्यम् तत्त्वमुक्ताकलाप, न्यायसिद्धाञ्जनम्, न्यायपरिशुद्धि शतदूषणी आदि प्रौढ ग्रन्थ एवं यतीन्द्रमतदीपिका वेदान्तकारिकावली आदि प्रकरण ग्रन्थ हैं। ये समस्त ग्रन्थ अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये गये हैं। विशिष्टाद्वैतवेदान्त का अध्ययन करने हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं का समुचित सर्वतोन्मुखी विकास अवश्य होगा।

प्रो. के. अनन्ता
विभागाध्यक्ष- विशिष्टाद्वैत वेदान्त विभाग

विशिष्टाद्वैतवेदान्त-विभाग

1. प्रो. के. अनन्ता — आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2. प्रो. सुदर्शनन् एस. — आचार्य

अद्वैत-वेदान्त विभाग

अद्वैत वेदान्त भारतीय दर्शनों मे दर्शनीयतम दर्शन है। यह दर्शन उपनिषत् प्रतिपादित आत्मैकत्व की अनुभूति पर आधारित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अद्वैत-वेदान्त विभाग आचार्य शंकर द्वारा प्रचारित अद्वैत वेदान्त विषय का गहन अध्ययन अध्यापन एवं अनुसन्धान कार्य का सम्पादन कराता है।

यह विभाग भगवत्पाद आदि शंकराचार्य द्वारा प्रसारित प्रचारित अद्वैत सिद्धान्तों के बोध एवं शोध के लिए समर्पित है। विभाग का उद्देश्य सनातन ज्ञान परंपरा को जीवन्त रखते हुए विद्यार्थियों में शास्त्रीय गहनता, तार्किक विश्लेषण पद्धति तथा आध्यात्मिक अनुभूति विकसित कराता है।

मूल सिद्धान्त- अद्वैत वेदान्त का सार है, **ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः**। संसार का मूल कारण अविद्या है। जिसकी आत्यन्तिक निवृत्ति होने पर परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्य-अखण्ड-ब्रह्मसाक्षात्कार से होती हे। **तरति शोकमात्मवित्** इस उपनिषद् वाक्य का चरितार्थ यह विभाग कराता है। जीवब्रह्माभेद को प्रतिपादित करने वाले सुप्रसिद्ध चार महावाक्य इस प्रकार है – **प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म ।**

अद्वैत-वेदान्त विभाग छात्रों के लिए प्रस्थानत्रयभाष्य एवं मधुसूदनसरस्वती की अद्वैतसिद्धि, श्रीहर्ष के खण्डनखण्डखाद्यादि प्रौढ ग्रन्थों से युक्त एक समृद्ध पाठ्यग्रन्थों का अधिगमन कराता है। विभाग के अध्यापक, एवं छात्र अपने शिक्षण कार्य के अतिरिक्त संगोष्ठीयों तथा शास्त्रार्थादि कार्यक्रमों में भाग ग्रहण करते हैं। यह विभाग आधुनिक पद्धति से ई-पाठादि(ई.पी.जी पाठशाला, मूक्स्, स्वयम्) के द्वारा ज्ञान परंपरा का सम्प्रेषण कराने में तत्पर रहता है।

प्रो. बिष्णुपद महापात्र
विभागाध्यक्ष, अद्वैत-वेदान्त विभाग

अद्वैतवेदान्त-विभागीय अध्यापक

1. डॉ. पुष्कर पराग देवपुजारी — सहायक आचार्य
2. डॉ. मानवेन्द्र मण्डल — सहायक आचार्य
3. डॉ. मनोतोष सरकार — सहायक आचार्य (अतिथि)

योग-विज्ञान विभाग

योग शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम-प्रणाली है। शताब्दियों से भारत में योगियों, ऋषियों एवं मनीषियों द्वारा योग का अभ्यास किया गया है, जिसके द्वारा जीवन के परम-लक्ष्य कैवल्य (मोक्ष) को प्राप्त किया जाता है। योगविद्या से मानसिक शान्ति एवं शारीरिक संतुलन का दिव्य-प्रभाव बना रहता है, इससे मेरुदण्ड में लचीलापन एवं स्नायुतन्त्र में निरन्तर-वृद्धि होने लगती है, इससे शनैः-शनै मूलाधारादि षट्चक्रभेदन भी होने लगता है। योगासन क्रिया अन्य व्यायामादि-क्रियाओं से नितान्त-भिन्न है। क्योंकि योगक्रियाओं में श्वास-प्रणाली को केन्द्रित कर योगाभ्यास किया जाता है।

मानव योग-प्रणाली द्वारा अपने खोये हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है। यह प्रणाली मानसिक शान्ति को जन्म देती है तथा आत्मतत्त्व में गुप्तशक्तियाँ उद्घाटित करती हैं, साथ ही अपनी संकल्पशक्ति में प्रचुर-वृद्धि करती है एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। मानव इस प्रणाली द्वारा आत्म साक्षात्कार के उत्कृष्ट शिखर पर आसीन हो सकता है। अर्थात् आत्मस्वरूप को पहचानने में सक्षम हो जाता है। इसे ही योगदर्शन में **तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् के रुप में प्रतिपादित किया गया है।**

योगक्रिया आसन, मन एवं शरीर के सूक्ष्म सम्बन्ध के पूर्णज्ञान पर आधारित एक अद्भुत मन:शारीरिक प्रणाली है। अन्य सभी योग कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग आदि की सिद्धियों के लिए यह एक साधन प्रक्रिया है।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इस युक्ति के द्वारा भगवान् हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम-उपदेष्टा माना गया है, परन्तु योग शास्त्र का सम्पूर्ण सिद्धान्त सूत्ररूप में परिणत करने वाले महर्षि पतञ्जलि का नाम योगदर्शन में प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। योग को 'समाधि' के अर्थ में स्वीकार करते हुए **''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः''** इत्यादि सूत्रों से शास्त्र का प्रतिपादन एवं प्रारम्भ किया गया है, जिसका सम्पूर्ण योगशास्त्र में उल्लेख है। योगदर्शन में मुख्यरूप से अष्टांगयोग का उल्लेख माना जाता है, जिसमें योग के आठ अंगों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, तथा अष्टम-सोपान जो समाधि है, उसे भी दो भेदों में गूढ़तम रहस्यों का प्रतिपादन किया गया है। अन्त में योग का फल मोक्ष को भी प्रमाणपूर्वक सिद्ध किया गया है। कहा गया है -जीवन ही योग है, योग ही मोक्ष है।

वर्तमान में मानव जीवन में मानसिक, शारीरिक आधि-व्याधियों को देखते हुए तथा योगविद्या का अनुकूल व्यावहारिक-पक्ष स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में योग-विभागों की स्थापना की गयी है। उसी क्रम में केन्द्रस्थ श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में भी यू.जी.सी. द्वारा योग विज्ञान विभाग एक स्वतंत्र-विभाग के रूप में स्थापित हुआ है। बी.ए. (योग) एवं एम.ए. (योग) का पाठ्यक्रम अध्ययन एवं अध्यापन संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में हो रहा है। साथ ही इस विभाग के अन्तर्गत पी.जी. योग डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विभाग द्वारा एकवर्षीय योग एवं नैचुरोपैथी पी.जी. डिप्लोमा (अंशकालीन) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा सत्र 2022-23 से शोधोपाधि प्रक्रिया (Ph.D) भी प्रारम्भ की गयी है।

प्रो. मार्कण्डेयनाथ तिवारी
विभागाध्यक्ष, योग-विज्ञान विभाग

योग-विज्ञान विभाग

1. डॉ. रमेश कुमार	सहायक आचार्य
2. डॉ. विजय सिंह गुसाई	सहायक आचार्य
3. डॉ. नवदीप जोशी	सहायक आचार्य
4. डॉ. हरिराम मीणा	सहायक आचार्य
5. डॉ. जयसिंह भड़िया	सहायक आचार्य (अतिथि)
6. श्रीमती प्रियंका पाण्डेय	सहायक आचार्य (अतिथि)
7. डॉ. बलवीर सिंह	सहायक आचार्य (अतिथि)
8. डॉ. हर्ष शुक्ला	योगप्रशिक्षक
9. डॉ. पूनम आहूजा	योगप्रशिक्षक
10. श्रीमती मिथिलेश बैसला	योगप्रशिक्षक

साहित्य संस्कृति पीठ

''सकलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्' इति यायावरीयः। गद्यपद्यमयत्वात् कविधर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च। तद्धि शास्त्राण्यनुधावन्ति''।

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः।

आचार्य राजशेखर के उपर्युक्त वचनानुसार साहित्य सभी विद्याओं, शास्त्रों एवं कलाओं का एकायतन है, सार है। इससे संस्कृत साहित्य की विपुलता, महानीयता, विशालता, वैज्ञानिकता एवं समाजोपयोगिता प्रकाशित होती है। भारतीय ज्ञान-परंपरा का संवाहक होने के कारण संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य विषय का स्थान महत्वपूर्ण है। श्री ला.ब.शा.रा.सं. विश्वविद्यालय का 'साहित्य एवं संस्कृतिपीठ' भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेषकर संस्कृतवाङ्मय, संस्कृतसाहित्य, साहित्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, प्राकृतसाहित्य एवं भारतीयसंस्कृति के अध्ययन का एक प्रमुख-केन्द्र है। इस पीठ के अन्तर्गत संस्कृत-साहित्य एवं प्राकृतभाषा विभाग विद्यमान हैं।

''साहित्य'' इस विश्वविद्यालय का सर्वाधिक प्रशस्त एवं प्रमुख विभाग है। यह विभाग प्राचीन संस्कृत-साहित्य, आधुनिकसंस्कृत-साहित्य, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, छन्दशास्त्र एवं पाश्चात्यकाव्यशास्त्र के अध्ययन में विख्यात है। साहित्य का पाठ्यक्रम उसी प्रकार बनाया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक छात्र काव्यविधा में काव्य-काव्यशास्त्र तथा नाट्यविधा में नाट्य-नाट्यशास्त्र का सम्यक् अध्ययन कर सकें। सैप के अन्तर्गत बृहत्त्रयी-पदानुक्रम कोश का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। सैप का अपना एक लघु-पुस्तकालय है, जो छात्रों के अध्ययन के लिये सहायक है। निर्धारित-पाठ्यक्रमों के अध्ययन के अतिरिक्त श्लोकावृत्ति, अन्त्याक्षरी, समस्यापूर्ति, सद्यः श्लोकरचना, निबन्ध-रचना, संस्कृत-साहित्य का भाषान्तर-साहित्य-सम्बन्ध, काश्मीरीय-वाङ्मयानुशीलन आदि के बारे में छात्रों को अतिरिक्त-समय पर शिक्षा दी जाती है। जिससे छात्रों को तथा आधुनिक भारतीय समाज को प्राचीन भारतीय गौरव एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय प्राप्त होता है।

प्राकृतभाषा-विभाग भारत की अति प्राचीन प्राकृतभाषा, अपभ्रंशादि प्राचीन समृद्ध भाषाओं, जैनागम तथा शिलालेखादि के अध्ययन का एक विशिष्ट केन्द्र है, जो अपनी गुणवत्ता तथा स्वाध्याय प्रवचन के लिए विश्रुत है।

अध्ययन में गुणवत्ता लाने हेतु छात्रों को NET, JRFआदि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिये अपने सुयोग्य अध्यापकों द्वारा पृथक् शिक्षा दी जाती है।

प्रो. कल्पना जैन
पीठप्रमुख, साहित्य संस्कृति पीठ

साहित्य-विभाग

न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला, जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्कवेः॥ (भामहाचार्यः)
न तच्छास्त्रं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥ (भरतमुनिः)

'पञ्चमी साहित्यविद्या' इति यायावरीयः – आचार्य राजशेखर की उक्ति के अनुसार वेद आदि चार विद्याओं के अतिरिक्त पञ्चमी-विद्या के रूप में साहित्य का अनिवार्य स्थान माना गया है। वर्तमान युग में भी यह उक्ति चरितार्थ है, क्योंकि निखिल संस्कृत साहित्य और साहित्यशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, कला और कलाशास्त्र, संगीत और संगीतशास्त्र, नाट्य और नाट्यशास्त्र आदि इसके अन्तर्गत होने के कारण लोकजीवन में यह साहित्य प्रतिपद अनुभूत होता है। समग्र विश्व में 'संस्कृत' शब्द के उच्चारण-मात्र से सामाजिक सद्यः वाल्मीकि व्यास, कालिदास आदि का तथा रामायण, महाभारत, अभिज्ञानशाकुन्तल, मेघदूत आदि का स्मरण करता है। इससे संस्कृत-साहित्य की महिमा और लोकप्रियता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तथापि संस्कृत-साहित्य की नाना विधाओं में से वर्गीकृतरूप से **काव्य-काव्यशास्त्र, अलंकार-अलंकारशास्त्र, नाट्य-नाट्यशास्त्र, छन्दशास्त्र एवं पाश्चात्य-काव्यशास्त्र** आदि भागों को विशेषरूप से साहित्य-विभाग के पाठ्यक्रम में रखा गया है। जैसे काव्यभाग में कालिदास, भवभूति, भारवि माघ, श्रीहर्ष, बाण आदि के क्रमशः मेघदूत, कुमारसम्भव उत्तररामचरित, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधीयचरित, कादम्बरी आदि काव्य, काव्यशास्त्र में 'षट्-प्रस्थान' के अन्तर्गत प्रमुखरूप से भरतमुनि, अभिनवगुप्त, वामन, कुन्तक, आनदवर्धन, क्षेमेन्द्र एवं तत्तत् पक्ष-समर्थक मम्मट, भामह, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि को रखा गया है। इन पारम्परिक काव्यशास्त्र ग्रन्थों के साथ अध्येताओं के लिए अलंकारशास्त्र के अन्तर्गत काव्यालङ्कार, चित्रमीमांसा, व्यक्तिविवेक, अलकांरसर्वस्व आदि तथा नाट्य-नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत भरतनाट्यशास्त्र, नाट्यदर्पण, अभिनवभारती, भावप्रकाशन, स्वप्नवासवदत्तम्, चारूदत्तम्, वेणीसंहार, अभिज्ञानशाकुन्तलम् आदि पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं साहित्यशास्त्र से छात्रों को परिचित कराने की दृष्टि से शास्त्री एवं आचार्य के पाठ्यक्रम में प्रसिद्ध कृतियों के चयनित अंश रखे गए हैं। विकल्पाधारित-पाठ्यक्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य-स्तर पर **पाश्चात्यकाव्यशास्त्र** का अध्यापन भी प्रारम्भ किया गया है। साथ ही अर्वाचीन संस्कृत-साहित्य से सम्बद्ध-पत्र भी प्रारम्भ किये गये हैं। साहित्य-विभाग का प्रयास है कि शास्त्री से आचार्य तक अध्ययन के उपरान्त छात्र एक पूर्ण-विकसित संस्कृत साहित्य-परम्परा से परिचित हों।

वर्तमान-युग में शोध की दृष्टि से तथा जनसामान्य के लाभ के लिये महाकाव्यों की प्रासङ्गिकता के प्रचार-प्रसार एवं विशद अध्ययन की दृष्टि से विभाग में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की विशेष आर्थिक अनुदान (SAP) से 'बृहत्त्रयी बृहत्कोशयोजना' के रूप में विभागीय शोधयोजना-1 (D.R.S-1) एवं (D.R.S-II) पूर्ण किया गया है। साहित्य-विभागीय-पाठ्यक्रम का संशोधन एवं विस्तार विभागीय अध्ययनमण्डल के द्वारा किया गया, जिसमें भरत से लेकर आधुनिक कालपर्यन्त समस्त साहित्यशास्त्रीय-ग्रन्थों एवं काव्यग्रन्थों का समावेश किया गया है। इस निमित्त पृथक्-कक्षाओं का संचालन साहित्य-विभाग के द्वारा किया जा रहा है। समग्र भारतीयज्ञानपरंपरा प्रमुखरूपेण संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों में ही प्राप्त होती है अतः भारतीय ज्ञान-परंपरा का परिचय साहित्य विषय के अध्ययन से प्राप्त होता है।

शास्त्री प्रथम वर्ष से लेकर विद्यावारिधि कक्षा पर्यन्त नियमित रूप से उपर्युक्त सभी विषयों एवं ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसंधान का कार्य इस विभाग के द्वारा किया जाता है। साहित्य विषय से उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए अध्यापन-शोध-प्रकाशन-अनुवाद-लेखन-पत्रकारिता-प्रभृति क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

प्रो. सुमन कुमार झा
विभागाध्यक्ष, साहित्य विभाग

साहित्य –विभाग

1. प्रो. शुकदेव भोइ	आचार्य
2. प्रो. भागीरथि नन्द	आचार्य
3. प्रो. धर्मानन्द राउत	आचार्य
4. प्रो. सुमन कुमार झा	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
5. प्रो. अरविन्द कुमार	आचार्य
6. डॉ. बेजवाडा कामाक्षम्मा	सहायक आचार्य
7. डॉ. सौरभ दुबे	सहायक आचार्य
8. डॉ. अनमोल शर्मा	सहायक आचार्य

प्राकृतभाषा-विभाग

''**वाचः प्राकृत-संस्कृतौ श्रुतिशिरो**'' आद्य-शंकराचार्य की इस उक्ति के अनुसार प्राकृत और संस्कृत-दोनों भाषायें भारतीय-विद्या की संवाहिका हैं।

समस्त भाषाशास्त्रियों ने भारत की प्राचीनतम-लोकभाषा के रूप में प्राकृतभाषा के अस्तित्व एवं महत्त्व को स्वीकार किया है। आचार्य पाणिनि, चण्ड, वररुचि, समन्तभद्र आदि अनेकों प्रख्यात भाषाविद्-मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रन्थ लिखे। भगवान्-महावीर और महात्माबुद्ध जैसे प्रख्यात ऐतिहासिक महापुरुषों ने अपने उपदेश इसी भाषा में प्रदान किये। सम्पूर्ण आगम-साहित्य इसी भाषा में निबद्ध है। लोक-साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में प्राकृतभाषा-निबद्ध साहित्य प्राप्त होता है। यथा-रूपकसाहित्य,काव्यसाहित्य, कथासाहित्य, चरितसाहित्य, दार्शनिकसाहित्य, छंदशास्त्रीयग्रंथ, कोशग्रंथ, मुक्तकसाहित्य, वास्तुशास्त्रीयग्रन्थ, ज्योतिषशास्त्रीयग्रन्थ, गणितशास्त्रीयग्रन्थ, भूगोलविद्या, खगोलविद्या, रसायनशास्त्र, धातुवाद, वनस्पतिशास्त्र, भूविज्ञान, रत्नविद्या आदि अनकेविध ज्ञान-विज्ञान के विषय अति-प्राचीनकाल से प्राप्त होते हैं, तथा विश्वभर के विद्वानों ने इनका अप्रतिम-महत्त्व माना है।

विविध भारतीय आंचलिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी भी प्राकृत-अपभ्रंश की परम्परा में विकसित हुई है, संस्कृतभाषा के मूल-उत्स छान्दस्भाषा (वेदों की भाषा) में भी प्राकृतभाषायी-तत्त्वों की प्रचुरता है।

अतः भारतीय भाषाशास्त्र, भाषाओं, बोलियों के क्रमिक विकास को समझने के लिए प्राकृतभाषा एवं इसके साहित्य का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

प्राचीन भारत के सभी शिलालेख (अभिलेखीय साहित्य) प्राकृतभाषा में ही निबद्ध है। प्राङ्-मौर्ययुगीन अभिलेख, सिक्के, सम्राट् अशोक के अभिलेख, सम्राट् खारवेल का अभिलेख, वडली का अभिलेख इन सभी की भाषा प्राकृत है। प्राकृतभाषा का बहुआयामी साहित्य भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला, दर्शन व ज्ञान-विज्ञान की महत्त्वपूर्ण-धरोहर है।

शास्त्री प्रथमवर्ष से लेकर विद्यावारिधि तक प्रायः इन सभी विधाओं के प्राकृतभाषा की वाङ्मय के ग्रन्थ विशेषज्ञ-समिति द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गये हैं, जिनमें सम्राट अशोक व खारवेल के अभिलेख, आचारांगसूत्र, समयपाहुड, पवयणसार आदि आगमग्रंथ, प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, सिद्धहैमशब्दानुशासन जैसे व्याकरणग्रंथ, चारुदत्तं, मृच्छकटिकं, अभिज्ञान-शाकुन्तलं, कप्पूरमंजरीसट्टगं, सुभद्दाणाडिगा जैसे रूपकग्रंथ, गाहासत्तसई एवं वज्जालग्गं जैसे मुक्तककाव्यग्रंथ, समराइच्चकहा, लीलावईकहा एवं कुवलयमालाकहा जैसे कथाग्रंथ, पउमचरियं आदि चरित्रग्रन्थ समाहित हैं। इनका नियमितरूप से अध्ययन-अध्यापन व अनुसन्धान का कार्य प्राकृतभाषा विभाग द्वारा किया जाता है।

इस विभाग के विषयों की उपाधि के उपरान्त छात्रों को पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, प्रशासनिक-चयन-परीक्षाओं में विशेष-पत्र, पाण्डुलिपिशास्त्र आदि क्षेत्रों के अतिरिक्त शिक्षा-विभाग एवं विभिन्न-प्रशासनिक पदों में चयनित होने की अर्हता प्राप्त होती है। साथ ही विभिनन भारतीय-भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान-परम्परा के अध्ययन के लिये मूलसूत्रों व स्रोतों की जानकारी इसके अध्ययन से मिलती है।

प्रो. कल्पना जैन

विभागाध्यक्ष, प्राकृतभाषा विभाग

प्राकृतभाषा-विभाग

1. प्रो. सुदीप कुमार जैन	आचार्य
2. प्रो. कल्पना जैन	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. विकास चौधरी	सहायक आचार्य

पुराणविद्या पीठ

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की गौरवमयी परम्परा में पुराणविद्या पीठ की संकल्पना प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक बौद्धिक विमर्श-पटल पर प्रामाणिक एवं सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा प्रतिपादित बहुविषयक दृष्टि के आलोक में पुराणविद्या पीठ के अन्तर्गत पुराणेतिहास, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व, धर्मागम तथा संगीत विषय सम्मिलित हैं। भारतीय ज्ञान-परम्परा में पुराणों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सनातन संस्कृति के स्वरूप को समझने तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की समग्र अवधारणा को ग्रहण करने में पुराणों की भूमिका विशिष्ट एवं आधारभूत मानी जाती है।

उद्देश्य

पुराणविद्या पीठ का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति तथा धरोहर की खोज, संरक्षण एवं संवर्धन के साथ उसकी ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाना है, जिससे विद्यार्थी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रामाणिक एवं सम्यक् अनुशीलन कर सकें तथा उसके बहुआयामी महत्त्व को समकालीन सन्दर्भों में समझ सकें। साथ ही इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान-परम्परा के प्रधान स्रोत—पुराण, उपपुराण, महाभारत, रामायण, आगम, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व तथा संगीतशास्त्र में निहित गूढ़ ज्ञान-विज्ञान का संरक्षण, संवर्धन एवं वैश्विक स्तर पर प्रसार करना भी है। इसके अन्तर्गत दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संरक्षण एवं प्रकाशन, शोधार्थियों को शोध कार्य में मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना, अनुसन्धान को नवीन दृष्टि एवं नवाचार से समृद्ध करना तथा शैक्षणिक एवं शोध-गतिविधियों को सुदृढ़ गति प्रदान करना इस पीठ की केन्द्रीय अकादमिक प्रतिबद्धता है।

पुराणविद्या पीठ के अन्तर्गत विभाग

1. **पुराणेतिहास विभाग** — यह विभाग पुराणों, रामायण, महाभारत तथा भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं के अध्ययन एवं अनुसन्धान का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान-परम्परा, इतिहास एवं संस्कृति का शास्त्रीय अध्ययन कराया जाता है।
2. **प्राचीन इतिहास विभाग** — यह विभाग भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन का महत्वपूर्ण अकादमिक केन्द्र है। विभाग में प्राचीन इतिहास, कालक्रम एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एवं अनुसन्धान कराया जाता है।
3. **पुरातत्त्व विभाग** — यह विभाग पुरास्थलों, अभिलेखों एवं प्राचीन अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसन्धान के लिए समर्पित है। यहाँ विद्यार्थियों को पुरातात्त्विक सर्वेक्षण, संरक्षण एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है।
4. **धर्मागम विभाग** — यह विभाग भारतीय धर्म, आगम, दर्शन एवं शास्त्रीय परम्पराओं के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र है। विभाग में धर्मशास्त्र, सांस्कृतिक मूल्यों एवं भारतीय जीवन-दृष्टि का शोधपरक अध्ययन कराया जाता है।
5. **संगीत विभाग** — संगीत विभाग में संगीतशास्त्र ,राग, ताल, गायन, वादन तथा भारतीय संगीत सिद्धान्तों का शास्त्रीय एवं व्यावहारिक अध्ययन कराया जाता है। यह विभाग भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए विद्यार्थियों को सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से समृद्ध बनाता है।

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल
पुराणविद्यापीठ प्रमुख

पुराणेतिहास विभाग

प्राचीन भारतीय शास्त्रीय परम्परा में पुराणों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास तथा उनकी परम्परा के ऋषियों द्वारा समग्र वैदिक एवं स्मार्त शास्त्रीय ज्ञान को भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग तक सहज, सुलभ एवं बोधगम्य रूप में पहुँचाने के उद्देश्य से पुराणों की रचना की गई। इस प्रकार पुराण भारतीय समाज की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परम्परा का समन्वित एवं प्रामाणिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर, स्थान, पोषण, ईशानुकथा, निरोध तथा मुक्ति—इन दशलक्षणों के माध्यम से भारतीय दर्शन, इतिहास एवं संस्कृति का सुव्यवस्थित निरूपण किया गया है। पुराणविद्या भारतीय ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं के व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक सूत्रों को अपने भीतर समाहित करती हुई एक समग्र विद्याशाखा के रूप में प्रतिष्ठित है।

आधुनिक काल में भी श्रीमद्भागवत, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण आदि ग्रन्थों की कथाएँ भारतीय समाज में निरन्तर प्रचलित हैं, जिससे इस विद्या की सामाजिक जीवंतता एवं सार्वकालिक प्रासंगिकता प्रमाणित होती है। इस विद्या का अध्ययन करने वाले अध्येता एवं विद्यार्थी आगे चलकर बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

पुराणेतिहास विभाग भारतीय पुराणविद्या के शास्त्रसम्मत, समग्र एवं अनुसन्धानाधिष्ठित अध्ययन का केन्द्रीय विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत विद्यार्थियों को भारतीय पुराण-परम्परा, सभ्यतागत चेतना एवं सांस्कृतिक गौरव का वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक परिचय प्रदान किया जाता है, जिससे वे प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान-परम्परा को समकालीन सन्दर्भों में समझने एवं आत्मसात् करने में सक्षम हो सकें।

पुराणेतिहास विभाग विश्वविद्यालय के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित विभागों में से एक है तथा पुराणविद्या पीठ की केन्द्रीय शास्त्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। यह विभाग पुराणों का अध्ययन इतिहास, समाज, दर्शन, कला तथा सांस्कृतिक परम्पराओं के सन्दर्भ में शास्त्रसम्मत एवं बहुविषयक दृष्टि रखते हुए परम्परा और आधुनिकता के मध्य एक सुदृढ़ बौद्धिक सेतु का निर्माण करता है।

इस विभाग में शास्त्री आचार्य एवं विद्यावारिधि तक के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल
विभागाध्यक्ष, पुराणेतिहास विभाग

पुराणेतिहास विभाग

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
डॉ. सीमा शर्मा	सहायक आचार्य (अतिथि)

संगीत विभाग

भारतीय परम्परा में संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा है। ऋषि-मुनियों ने उसे ज्ञान, धर्म, दर्शन और अध्यात्म से जोड़कर देखा। उनकी दृष्टि में संगीत वह माध्यम था, जो सुनने वाले को बाहरी आनन्द से हटाकर भीतर की शान्ति और एकाग्रता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि सामवेद की ऋचाएँ गाकर सुनाई जाती थीं, और उन स्वरों को तपस्या के समान पवित्र माना जाता था। सामवेद की उन प्राचीन ऋचाओं से लेकर भरतमुनि के 'नाट्यशास्त्र', मतंग के 'बृहद्देशी' और शार्ङ्गदेव के 'संगीतरत्नाकर' जैसे शास्त्रीय ग्रन्थों तक, भारतीय संगीत की एक अटूट दार्शनिक और आध्यात्मिक धारा प्रवाहित होती रही है। पुराणों की कथाओं में भी संगीत को देववाणी और भक्ति का सशक्त माध्यम बताया गया है। भारतीय चिन्तन में संगीत को 'नाद-ब्रह्म' का स्वरूप माना गया है – अर्थात वह मूल ध्वनि, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि शुद्ध स्वर केवल कानों को सुख नहीं देते, बल्कि चित्त को निर्मल, भावनाओं को परिष्कृत और मन को एकाग्र करते हैं। इसलिए संगीत को आत्म-साधना और चित्तशुद्धि का एक सशक्त साधन माना गया है। इसी पवित्र और शास्त्रीय धारा को आगे बढ़ाने के लिए पुराणविद्या पीठ के अन्तर्गत संगीत विभाग की स्थापना की गई है। यह एक अकादमिक केन्द्र है, जहाँ संगीत को केवल गाने-बजाने के कौशल तक सीमित न रखकर, उसे शास्त्र, परम्परा और सांस्कृतिक व्यवहार के सन्दर्भ में समझने और गहराई से पढ़ने का काम होता है।

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय, उप-शास्त्रीय, लोक, भक्ति और पौराणिक संगीत-परम्पराओं का प्रामाणिक, समन्वित और वैज्ञानिक अध्ययन कराना है। यह विभाग परम्परा की उस गहराई को समझने की दृष्टि विकसित करता है, जहाँ संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन का अभिन्न अंग बन जाता है। इस प्रकार, संगीत विभाग प्राचीन ज्ञान-परम्परा और वर्तमान समय के बीच एक सुदृढ़ और सार्थक अकादमिक सेतु का काम कर रहा है।

संगीत विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों में एम. ए. संगीत गायन, एक वर्षीय पी जी डिप्लोमा संगीत गायन तथा एक वर्षीय पी जी डिप्लोमा कथक नृत्य हैं।

संगीत विभाग एक अकादमिक केन्द्र है, जहाँ विद्यार्थियों में संगीत को केवल गाने-बजाने के कौशल तक सीमित न रखकर, उसे शास्त्र, परम्परा और सांस्कृतिक व्यवहार के सन्दर्भ में समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल

विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग

संगीत विभाग

डॉ. बिपुल कुमार राय	सहायक आचार्य (अतिथि)
डॉ. जगजीत शाह	सहायक आचार्य (अतिथि)

शिक्षापीठ

शिक्षापीठ के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र-विभाग विश्वविद्यालय का एक प्रमुख-विभाग है। विभाग का लक्ष्य संस्कृत-शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-अधिगम प्रणालियों में सामर्थ्य विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध, कुशल एवं आत्मविश्वास युक्त शिक्षक एवं अध्यापक-शिक्षक तैयार करना है। इस प्रयोजन की सम्प्राप्ति-हेतु विभाग का मुख्य ध्येय संस्कृत शिक्षणशास्त्र पर केन्द्रित शिक्षण अधिगम प्रणालियों का प्रभावी नियोजन, अभिकल्पन एवं क्रियान्वयन, नवाचारी कार्यक्रमों को संवर्द्धित करना तथा अन्तर्विद्यापरक शोध-उपागमों की प्रयोज्यता एवं उपादेयता सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.), शिक्षाचार्य (एम.एड.),एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शिक्षा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) एवं शिक्षाचार्य (एम.एड.) पाठ्यक्रम NCTE-2009 एवं संशोधित द्विवर्षीय बी.एड. NCTE-अधिनियम 2014 एवं NEP-2020 के अनुरूप है तथा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है।

सम्प्रति यह विभाग उत्कृष्ट भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं से सुसज्जित है। विभागीय पुस्तकालय एवं संसाधन कक्ष सहित विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं भाषा प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें अपेक्षित सभी संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ विभाग में सुयोग्य, सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी-अध्यापक-शिक्षक हैं, जो अपने विषयों में विशेषज्ञता एवं उच्च-प्रवीणता रखते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक-सत्र में विभागीय पत्रिका 'शिक्षा ज्योति' का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों के लेख शामिल होते हैं। संकाय विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े ज्वलन्त एवं समसामायिक-मुद्दों पर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय-स्तर की संगोष्ठी एवं विशिष्ट-व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। संगोष्ठी-कार्यवृत्त को प्रतिवर्ष प्रकाशित भी किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण, कार्यशालाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें आमंत्रित विषय-विशेषज्ञ एवं विभागीय-अध्यापक एन.सी.टी.ई. एवं यू.जी.सी. नियमों के तहत पाठ्यक्रमों को अद्यतन एवं प्रासंगिक-स्वरूप प्रदान करते हैं। शिक्षाचार्य (एम.एड.), एवं विद्यावारिधि (पीएच.डी.) स्तरों पर औपचारिक रूप से किये जाने वाले शोध-कार्य मुख्यतः शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-मनोविज्ञान, प्राचीन-भारतीय-शिक्षा, शिक्षा के सन्दर्भ में शास्त्र-समीक्षा आदि विषयों पर केन्द्रित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रो. रचना वर्मा मोहन
पीठप्रमुख, शिक्षापीठ

शिक्षापीठ से सम्बद्ध विभाग एवं सदस्य

शिक्षाशास्त्र विभाग

1	प्रो. रचना वर्मा मोहन	आचार्य एवं पीठप्रमुख
2	प्रो. के. भरतभूषण	आचार्य
3	प्रो. मीनाक्षी मिश्र	आचार्य
4	प्रो. अमिता पाण्डेय भारद्वाज	आचार्य
5	प्रो. एम.जयकृष्णन्	आचार्य
6	प्रो. विचारी लाल मीणा	आचार्य
7	डॉ. मनोज कुमार मीणा	सहाचार्य
8	डॉ. सुरेन्द्र महतो	सहाचार्य
9	डॉ. सविता राय	सहाचार्य
10	डॉ. उमेद कुमारी	सहाचार्य
11	डॉ. प्रेम सिंह सिकरवार	सहायक आचार्य
12	डॉ. तमन्ना कौशल	सहायक आचार्य
13	डॉ. पिंकी मलिक	सहायक आचार्य
14	डॉ. अजय कुमार	सहायक आचार्य
15	डॉ. शिव दत्त आर्य	सहायक आचार्य
16	डॉ ममता	सहायक आचार्य
17	डॉ. परमेश कुमार शर्मा	सहायक आचार्य
18	डॉ. आरती शर्मा	सहायक आचार्य
19	डॉ. जितेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य
20	डॉ. दिनेश कुमार यादव	सहायक आचार्य
21	डॉ. इक्कुर्ति वेंकटेश्वर्लु	सहायक आचार्य
22	डॉ. सुनील कुमार शर्मा	सहायक आचार्य
23	डॉ. कैलाश चन्द मीणा	सहायक आचार्य
24	श्रीमती अनीता	सहायक आचार्य
25	डॉ. भारती कौशल	सहायक आचार्य
26	डॉ. कपिल देव	सहायक आचार्य
27	डॉ. लोकेश	सहायक आचार्य
28	डॉ. हरि प्रसाद मीना	सहायक आचार्य
29	डॉ. सन्तोष गोड़रा	सहायक आचार्य
30	डॉ. मुकेश शर्मा	सहायक आचार्य

आधुनिक विषय पीठ

आधुनिक विषय पीठ विश्वविद्यालय में अंत:विषयक ज्ञान के संवर्धन के निमित 2017 में स्थापित हुआ। यह संकाय पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए समकालीन ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान के गतिशील विभागों (मानविकी विभाग, आधुनिक ज्ञान विभाग, शोध विभाग, हिन्दू अध्ययन विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रम में संरचित यह पीठ विद्यार्थियों और शिक्षकों के समय उन्नयन में समान रूप से योगदान दे रहा है।

उद्देश्य:

आधुनिक विषयपीठ का उद्देश्य एक ऐसा शिक्षण वातावरण बनाना है जिससे छात्रों में आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान दोनों की समझ विकसित हो सके। संकाय अपने छात्रों में वैश्विक दृष्टि विकसित करने के लिए दृढसंकल्पित है। संकाय के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित है-

- अंत:विषयक शिक्षा अपनाना एवं इसे बढ़ावा देना।
- नवीन एवं मौलिक विचारों का सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करना
- नवीन एवं मौलिक विचारों का सृजन, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
- नैतिक, सामाजिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास।
- वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास करना ।

मुख्य विषय क्षेत्र:

आधुनिक विषयपीठ उन प्रमुख विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है जिससे समकालीन ज्ञान के साथ ही साथ पारंपरिक ज्ञान परम्परा में समन्वय स्थापित कर सके। इस हेतु संकाय निम्नांकित क्षेत्रों में प्रयास करता है-

- प्रौद्योगिकी और नवाचार।
- अंतर्विषयक अध्ययन।
- सांस्कृतिक और विरासत अध्ययन।
- सामाजिक विज्ञान और मानविकी।
- पर्यावरण स्थिरता।
- प्रबंधन और नेतृत्व विकास।
- उन्नत अनुसंधान और प्रकाशन।

अद्वितीय विशेषताऐ:

यह पीठ अंतर्विषयक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक युगीन और बहुआयामी शिक्षा प्रदान करता है। इस संकाय की अद्वितीय विशेषताओं को निम्नाकिल रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है-

- अध्यापको एवं विद्यार्थियों को शोध कार्य करने लेखों तथा पुस्तकों के प्रणयन हेतु प्रेरित करता है।

- भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और साहित्यिक परंपराओं की गहरी समझ विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- विद्यार्थियों को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षमताओं में समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करता है।
- संकाय के द्वारा पाठ्यक्रम को इस प्रकार से संरचित किया गया है ताकि छात्र अपनी विरासत को यथावत रखते हुए अपनी वैश्विक पहचान बना सकें।

संकाय विवरणः

- आचार्यः 5
- सह आचार्यः 1
- सहायक आचार्यः 5
- अतिथि अध्यापक :9

प्रो. जगदेव कुमार शर्मा

पीठप्रमुख, आधुनिक विषय पीठ

मानविकी विभाग

मानविकी विभाग की स्थापना 2017 में हुई । इस विभाग के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को संचालित किया जाता है । हिंदी विषय में परास्नातक का संचालन सत्र 2021-22 और अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम का आरंभ सत्र 2022-23 में हुआ । आगामी सत्र से विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और N.E.P- 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुसंधानों (पी-एच.डी.) के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है । विभाग के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से कराया जाता है ।

मानविकी विभाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है । विभाग अपने छात्रों को विविध शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के लिए तैयार करता है । मानविकी विभाग ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां छात्र अपनी पूरी क्षमताओं के साथ उभर सकें तथा समाज में अपना प्रभावी योगदान दे सकें , विभाग का शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों के सर्वांगीण विकास और अभिरुचि के अनुसार अनुकूलित किया जाता है जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके । विभाग के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश करने के कारण छात्रों को एक अंतर विषयक दृष्टिकोण प्राप्त होता है । यह विभाग समाज और सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है जिससे छात्रों में समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है । इस विभाग में अंग्रेजी, हिंदी, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के लिए व्यापक और विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध है । यह विभाग छात्रों के व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है जिससे छात्र समाज में एक सक्षम और प्रभावी भूमिका निभा सके । विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिंदी जैसे भाषाओं में प्रभावी संवाद और लेखन कौशल को सुधारने, छात्रों में नवीन और मौलिक विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित करने, राजनीति विज्ञान के माध्यम से छात्रों को राजनीति विचारधारा, प्रणालियों और विचार प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करता है । समाजशास्त्र समाज, संस्कृति और साहित्यिक जटिलताओं को समझाने में छात्रों की मदद करता है । अतः मानविकी विभाग विभिन्न विषयों के अध्ययन-अध्यापन के द्वारा छात्रों की विचारशीलता और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को सुसंगठित और सटीक तरीके से विकसित एवं विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने में सक्षम तथा विभिन्न विषयों के मूलभूत और उन्नत अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करता है ।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

मानविकी विभाग अपनी स्थापना के साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं रोजगारोन्मुख परिस्थितियों को सृजित करने के लिए कटिबद्ध है । इस विभाग के उद्देश्यों को निम्नांकित रूपों में निरूपित किया जा सकता है –

- छात्रों को विषय का समुचित ज्ञान प्रदान करना ।
- छात्रों में वैचारिक दृष्टि, शोध कौशल, व्याख्यात्मक और विश्लेषण क्षमता विकसित करना ।
- छात्रों में सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक समझ विकसित करना ।
- छात्रों में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे उनमें नवाचार, नवोन्मेषी ज्ञान और मौलिकता का विकास हो सके।
- छात्रों को भाषायी कौशल और रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान करना ।
- छात्रों में चहुंमुखी व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संवर्धन करना ।

प्रमुख विषय क्षेत्र

मानविकी विभाग में हिंदी, अंग्रेजी ,समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त

- भारतीय संविधान
- मानव अधिकार
- अंतरराष्ट्रीय संबंध
- जेंडर स्टडी
- व्यक्तित्व विकास
- NCC के विभिन्न पक्षों को भी अध्यापन होता है ।

मानविकी विभाग

हिन्दी

1.	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2.	डॉ. सुदेश कुमार	सहायक आचार्य
3.	प्रियंका मिश्रा	सहायक आचार्य (अतिथि)
4.	डॉ. नीरज भारद्वाज	सहायक आचार्य (अतिथि)

अंग्रेजी

1.	प्रो. मीनू कश्यप	आचार्य
2.	डॉ. अभिषेक तिवारी	सह आचार्य
3.	डॉ. हिमानी शर्मा	सहायक आचार्य (अतिथि)

समाजशास्त्र

1.	श्रीमती वन्दना शुक्ला	सहायक आचार्य
2.	डॉ. श्वेता यादव	सहायक आचार्य (अतिथि)

राजनीतिविज्ञान

1.	डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र	सहायक आचार्य
2.	डॉ. आलोक यादव	सहायक आचार्य (अतिथि)

एन.सी.सी.

1.	श्री चन्द्रभूषण मिश्र	प्रशिक्षक

प्रो. जगदेव कुमार शर्मा
(विभागाध्यक्ष, मानविकी विभाग)

आधुनिक-ज्ञान विभाग

इस विभाग के अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों को पढ़ाए जाने वाले आधुनिक विषयों का अध्ययन् अध्यापन कराया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एवं संगणक का प्रयोग के अतिरिक्त मानवाधिकार एवं मानव-मूल्य-शिक्षा का भी अध्यापन स्नातक-स्तर पर इस विभाग द्वारा कराया जाता है।

प्रो. आदेश कुमार
विभागाध्यक्ष, आधुनिक-ज्ञान विभाग

आधुनिक ज्ञान विभाग

संगणक प्रयोग

1. प्रो. आदेश कुमार	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
2. श्री आदित्य पंचोली	सहायक आचार्य
3. श्री पीयूष शर्मा	सहायक आचार्य (अतिथि)
3. श्री अमित निषाद	सहायक आचार्य (अतिथि)

पर्यावरण अध्ययन

1. डॉ. सुमिता त्रिपाठी	सहायक आचार्य

शोध-विभाग

उच्च शिक्षा में अनुसन्धान की महती भूमिका को अभिलक्षित कर प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय में पृथक् रूप से स्वतन्त्र शोध विभाग की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विविध विषयों में अनुसन्धान करने वाले छात्रों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अनुसन्धान प्रविधि प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया का प्रशिक्षण एवं समीक्षण विभाग द्वारा सञ्चालित किया जाता है।

शोधच्छात्रों में शोधदृष्टि को विकसित करना, वैश्विक स्तर पर कृतशोधकार्यों से शोधच्छात्रों को अवगत कराना, विविध शास्त्रों के अन्तः शास्त्रीय सम्बन्ध का विश्लेषण कर संस्कृत की विशाल ज्ञान सम्पदा से शोधार्थियों को परिचित कराना, पाण्डुलिपियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित कर पाण्डुग्रन्थों के सम्पादन का प्रशिक्षण करना आदि कार्य विभाग द्वारा किये जाते हैं।

शोध विभाग द्वारा अनुसन्धान के क्षेत्र में अत्यन्त सुप्रतिष्ठित त्रैमासिकी शोध-पत्रिका **शोधप्रभा** का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है। शोध-पत्रिका 'शोध-प्रभा' में संस्कृत के शीर्षस्थ विद्वानों के साथ-साथ नये अनुसन्धानकर्ताओं के शोधपत्र भी प्रकाशित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों के परिचय हेतु इस विभाग द्वारा त्रैमासिक संस्कृत समाचार पत्र (न्यूज लेटर) **'विश्वविद्यालय वार्ता'** का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। शोधविभाग द्वारा विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम के अनुरूप आचार्यों द्वारा विलिखित पाठ्यपुस्तकों, मौलिक एवं शोधपरक विशिष्ट ग्रन्थों तथा दुर्लभ (अप्राप्त) ग्रन्थों का टंकण, संशोधन, डिजाइन सम्पादन आदि का कार्य पूर्ण करके प्रकाशनार्थ तैयार किया जाता है। इस विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर शोध-संगोष्ठियों, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा शोध के सम्बन्ध में घोषित 'पी-एच.डी. विनियम-2022' तथा समय-समय पर अद्यतन किये गये यू.जी.सी. के नियमों का क्रियान्वयन कराया जाता है। संस्कृत के विशिष्ट-विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन भी विभाग द्वारा समय-समय पर सम्पन्न कराकर शोधच्छात्रों की अनुसन्धानदृष्टि तथा विषय को अद्यतन करने का विशिष्ट प्रयत्न किया जा रहा है। शोधच्छात्रों के समस्त क्रियाकलाप, पंजीकरण से शोधोपाधि पर्यन्त शोधविभाग के अवलोकन में सम्पन्न किया जाता है ।

(प्रो. विष्णुपदमहापात्र)
विभागाध्यक्ष, शोध विभाग

शोध-विभाग

1.	प्रो. शिवशंकर मिश्र	आचार्य (प्रतिनियुक्ति)
2.	प्रो. देशबन्धु शर्मा	आचार्य

हिन्दू अध्ययन विभाग

हिन्दू अध्ययन भारतीय ज्ञान की शाश्वत परम्पराओं का अध्ययन है, जिसमें हिन्दू जीवनपद्धति, भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन, भारतीय ऋषियों के योगदान तथा भारत की ज्ञान परम्परा एवं क्रियाकलापों के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। हिन्दुओं की बौद्धिक परम्परा अंतर-विषयक है, जहाँ पाठ्य और मौखिक, मौखिक और दृश्य, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, पारलौकिक और कार्यात्मक पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समृद्ध ज्ञान प्रणाली युक्त हिन्दू सभ्यता, सनातन या वैदिक सभ्यता से भिन्न नहीं है। हिन्दू अध्ययन केवल वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है; अपितु इसमें अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, खगोल, विदेश नीतियाँ, कानून एवं न्यायपद्धति, कलाएँ एवं मनोविज्ञान आदि विषय भी उपनिबद्ध है।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, धर्म-दर्शन एवं अध्यात्म के संरक्षणार्थ, भारतीय समाज को अपने पुरातन ज्ञान वैभव के परिज्ञान हेतु विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन विभाग की स्थापना वर्ष 2021 में हुई। एम.ए. हिन्दू अध्ययन पाठ्यक्रम को सञ्चालित करने वाला यह प्रथम विश्वविद्यालय है। 18.11.2021 को इस पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरलीमनोहर पाठक की अध्यक्षता में, प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय (पूर्व कुलपति) के सान्निध्य में एवं प्रो. नागेश्वर राव (पूर्व कुलपति, इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) के मुख्यातिथित्व में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के योग्य आचार्यों के मार्गदर्शन एवं अध्यापन द्वारा तथा अतिथि प्राध्यापकों के सक्रिय अध्यापन एवं योगदान द्वारा यह विभाग व्यवस्थित रूप में सञ्चालित हो रहा है जो निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर है। सत्र 2024-25 से इस विभाग में पी-एच.डी प्रोग्राम सञ्चालित करने का प्रस्ताव है।

(प्रो. रामसलाही द्विवेदी)
विभागाध्यक्ष, हिन्दू अध्ययन विभाग

हिन्दू अध्ययन विभाग

1. डॉ. जीवन जोशी, सहायकाचार्य (अतिथि)
2. डॉ. श्रद्धा मिश्रा, सहायकाचार्य (अतिथि)

<u>भारतीय ज्ञान परम्परा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</u>

<u>M.A. in Indian Knowledge System</u>

भारतीय ज्ञान परम्परा (Indian Knowledge Systems - IKS) केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, धातु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मनोविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े अनेक वैज्ञानिक तत्व निहित हैं। वैदिक, औपनिषदिक्, जैन,बौद्ध एवं शास्त्रीय ग्रंथों में प्रकृति, मानव शरीर, ब्रह्मांड तथा समाज के वैज्ञानिक **विश्लेषण** विषण के स्पष्ट संकेत दृष्टिगोचर होते हैं।

आधुनिक समय में भारतीय ज्ञान परम्परा के वैज्ञानिक पक्षों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, जिससे पारम्परिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मध्य सेतु स्थापित किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्ययन विभाग के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का आरम्भ वर्ष 2025 से किया गया। एम ए-आई. के. एस. को संचालित करने वाला यह उत्तर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है तथा देश के चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में ही यह पाठ्यक्रम वर्तमान में संचालित हो रहा है।

दिनांक 14/11/2025 को इस पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरलीमनोहर पाठक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के योग्य आचार्यों के मार्गदर्शन एवं अध्यापन द्वारा यह पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है जो निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर है।

(प्रो. देशबन्धु शर्मा)
समन्वयक, भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रम
(IKS PG Programme)

शैक्षणिक पीठ

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पीठ कार्य कर रहा है जिस के अधीन समग्र शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन होता है। छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम निर्माण, समय सारिणी का निर्माण, वार्षिक अवकाशों की सूची प्रस्तुति, विद्यावारिधि (Ph.D), अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं संचालन, छात्रों की विविध समस्याओं का निवारण, छात्र उत्पीडन का समाधान, छात्रोपस्थिति का आकलन तथा शैक्षणिक नियमों का निर्धारण इत्यादि कार्य शैक्षणिक प्रभाग माध्यम से कराये जाते हैं। विश्वविद्यालय की परिचय नियमावली इस पीठ और प्रभाग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। विश्वविद्यालय के वार्षिक विवरण के निर्माण में इस पीठ का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र ही आत्मरूप होते हैं। इस दृष्टि से शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण पद्धति, समयानुवर्तिता, छात्रों की समस्याओं का निदान, अनुशासननिष्ठता इत्यादिओं पर यह पीठ सदैव ध्यान रखता है। प्रतिवर्ष नवप्रविष्ट छात्रों को अध्ययन एवं अनुशासन सम्बन्धी कुलपति महोदय के उद्बोधन का आयोजन इस पीठ द्वारा कराया जाता है। इस पीठ के अधीन चार प्रकोष्ठ कार्य करते हैं। वे हैं- शोध प्रकोष्ठ, अंशकालीन पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, छात्र उत्पीडन समाधान प्रकोष्ठ तथा अनुशासन प्रकोष्ठ। शिक्षण के समग्र संचालन के कारण यह पीठ और इस के अन्तर्गत आनेवाला शैक्षणिक प्रभाग अति महत्त्वपूर्ण हैं।

(प्रो. भागीरथि नन्द)
पीठप्रमुख, शैक्षणिक पीठ

छात्रकल्याण पीठ

'छात्रकल्याण पीठ' छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरन्तर कार्य करते हुए उनकी समस्त समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर रहता है। विभिन्न अवसरों पर अनेक प्रकार की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। रक्तदान शिविर, संस्कृत सप्ताह, राष्ट्रचिन्तन प्रभृति विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्रों में सामाजिक-भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रतियोगिताओं में छात्रों की सहभागिता के लिये प्रेरित करने का कार्य इस पीठ के माध्यम से किया जाता है।

'छात्रकल्याण-पीठ' विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में नैतिक मूल्यों के निवेश में महती भूमिका का सम्पादन करता है। छात्रों को अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहते हुये अपने सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं अनुपालन के लिये प्रेरित करता है। समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा नाट्यमंचन, छात्र-संसद, कविसम्मेलन, गीतापाठ आदि का आयोजन भी इस पीठ द्वारा किया जाता है।

छात्रों के हित संवर्धन के लिये यह पीठ सतत प्रयत्नशील रहता है। संस्कृत-सप्ताह, हिन्दी-पखवाड़ा, स्वच्छता अभियान, सतर्कता जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा-दिवस, मातृभाषा-दिवस, शिक्षामन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विशेष दिवसों का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रीय पर्व एवं संस्कृति से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रम भी इस पीठ के द्वारा आयोजित किये जाते हैं। अन्य कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती है। न केवल विश्वविद्यालय में, अपितु अन्य विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली संस्कृत अकादमी, अखिल भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् प्रभृति संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों-नाटक, भाषण, श्लोक-गायन, प्रश्न-मञ्च आदि प्रतियोगिताओं में भी छात्रों को भेजा जाता है। इन प्रतियोगिताओं में छात्रों द्वारा निरन्तर पुरस्कार भी प्राप्त किये जाते हैं। छात्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक,एवं व्यवहारिक सद्भाव की भावना को प्रवर्धित किया जाता है। शास्त्र संरक्षणार्थ शास्त्रीय प्रतियोगिताओं के प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिये भी 'छात्रकल्याण-पीठ' सतत प्रयासरत रहता है। छात्रकल्याण पीठ के माध्यम से विश्वविद्यालय में पञ्जीकृत छात्रों हेतु दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है।

(प्रो. मार्कण्डेय नाथ तिवारी)
छात्रकल्याण पीठप्रमुख

छात्रकल्याण पीठ

1. प्रो. मार्कण्डेय नाथ तिवारी, पीठप्रमुख
2. डॉ. दिनेश यादव, सहायक पीठप्रमुख
3. डॉ. परमेश कुमार शर्मा
4. डॉ. आदित्य पंचोली
5. डॉ. आरती शर्मा

क्रीड़ा प्रभाग

विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विविधप्रकार की क्रीडाओं की समुचित-व्यवस्था करता है।

प्रत्येक सत्र में विश्वविद्यालय के छात्र विभिन्न खेलों में अखिल भारतीय व अन्तर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेते हैं जैसे क्रिकेट, वालीबाल, कुश्ती, कबड्डी तीरन्दाजी, धावन पथ आदि में सभी गतिविधियाँ All India Inter University Sports Calendar के अनुसार होती है।

विभाग द्वारा समय-समय पर खेलो में भाग लेने से पहले उन खेलों की कोचिंग कैंप आयोजित किये जाते है उसके बाद सर्वक्षेष्ठ चयनित दल को अन्तर विश्वविद्यालय एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगीताओं में भाग लेने के लिए दल भेजा जाता है।

प्रत्येक सत्र में विश्वविद्यालय वार्षिक खेलकूद-प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है व वार्षिक खेलकूद पुरस्कार वितरण समारोह मे विजेता छात्र-छात्रा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिये जाते है। विभिन्न क्रीडाओं का आयोजन विश्वविद्यालय आचार्यो व कर्मचारियों के सहयोग से किया जाता है।

विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र खिलाड़ी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करते है। मेडल जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते है। समय-समय पर विश्वविद्यालय स्तर पर इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु प्रमाण पत्रों व मेडल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रो.विनोद कुमार शर्मा
डॉ. रतन लाल
प्रभारी-क्रीड़ा विभाग

एन.सी.सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था

वर्तमान समय में देश के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एन.सी.सी. अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णरूप से सफल सिद्ध हुई है। एन.सी.सी. का उद्देश्य युवा-नागरिकों में चरित्र-निर्माण, परस्पर भाईचारा एवं अनुशासन की स्थापना के साथ-साथ धर्म-निरपेक्षता, साहसिक-कार्यो को सफलता के साथ क्रियान्वित करने की भावना एवं नि:स्वार्थ-सेवा की व्यापक-परम्परा को स्थापित करना भी है। एन.सी.सी. पूर्णरूप से व्यवस्थित, संगठित प्रशिक्षित, समर्पित एवं नेतृत्व-गुण से समन्वित युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों के लिये सन्नद्ध करती है, जो देश की सेवा में हर परिस्थिति में सक्षम हों।

अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय में भी एन.सी.सी निदेशालय, दिल्ली के द्वारा छात्र वर्ग में 54 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। एन.सी.सी. अधिकारी के रूप में डॉ. अभिषेक तिवारी को नियुक्त किया गया है।

एन.सी.सी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित है । दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद **'बी' सर्टिफिकेट** एवं तीन वर्ष के प्रशिक्षण के बाद **'सी' सर्टिफिकेट** छात्रों को प्राप्त होता है। इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त कर लेने पर कई संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवा प्राप्त करने में विशेष-सुविधा होती है।

शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीयवर्ष में प्रविष्ट प्रतिभाशाली-छात्र एवं छात्राओं को नियमानुसार प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया जाता है। विशेष-परिस्थिति में आचार्य प्रथम-वर्ष के छात्र-छात्राओं का भी प्रवेश सम्भव है। जो प्रविष्ट छात्र-छात्रा शास्त्री या आचार्य-परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे, उनका नामाङ्कन एन.सी.सी. से निरस्त कर दियाजाता है। तथा जो छात्र-छात्रा इन कक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होंगे, उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय द्वारा विशेष-छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है। 'बी' एवं 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षा में वे छात्र-छात्रा ही भाग ले सकेंगे, जिनकी एन.सी.सी. की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। 'बी' सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए एक कैम्प तथा 'सी' सर्टिफिकेट-परीक्षा के लिए दो कैम्प करना अनिवार्य होगा। युवा छात्र-छात्राओं में अनुशासन एवं एकता के साथ देशभक्ति की भावना का संचार तथा उदात्त-व्यक्तित्व के निर्माण का दृढ़-लक्ष्य एन.सी.सी.-प्रशिक्षण का उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली एन.सी.सी. के छात्र-छात्राओं को यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है, जिससे उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके इसके अतिरिक्त अन्य कई सुविधाएँ एवं उपलब्धियाँ एन.सी.सी. के छात्रों को यथावसर प्राप्त होती है। इनकी विशेष-जानकारी के लिए उपर्युक्त-अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

डॉ. मीनाक्षी मिश्र
(प्रभारी) (एन.सी.सी) छात्रा

डॉ. अभिषेक तिवारी
लैफ्टिनेन्ट (एन.सी.सी) छात्र

राष्ट्रीय सेवा-योजना

सन् 1984–85 से राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का सञ्चालन करता है। महात्मा गाँधी जन्म शताब्दी वर्ष में 24 सितम्बर, 1969 को विश्वविद्यालयों में स्नातक-स्तर पर इस योजना का सर्वप्रथम क्रियान्वयन किया गया। समाजसेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास ही इसका मूल-उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा छात्र-छात्राओं को समाज तथा राष्ट्रहित के सृजनात्मक-कार्यों में प्रवृत्त किया जाता है। इस योजना में दो प्रकार से कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं- 1. नियमित-कार्यक्रम 2. विशेष-शिविर।

नियमित कार्यक्रम :

इसके अन्तर्गत आस-पास की गन्दी बस्तियों की सफाई, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक प्रकोप के समय समाजसेवा आदि कार्य प्रमुख हैं।

विशेष शिविर :

विशेष-शिविरों द्वारा छात्र राष्ट्रीय-एकता के विविध-कार्यक्रम सम्पन्न करते हैं तथा साक्षरता-अभियान में गति पैदा करने हेतु आस-पास की बस्तियों में जाकर शिक्षण-शिविर लगाते हैं।

डॉ. ब्रजेश मिश्रा

को-आर्डिनेटर, एन.एस.एस

कुलानुशासक, कुलानुशासक-मण्डल एवं अनुशासन-समिति

विश्वविद्यालय-परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था एवं छात्रों में अनुशासन-प्रियता को सुदृढ़ करने के लिये कुलपति द्वारा किसी भी आचार्य को कुलानुशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कुलानुशासक का कार्यकाल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेश के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने, छात्रों को अनुशासित रखने और विश्वविद्यालय की सुरक्षा-हेतु कुलानुशासक उत्तरदायी होते हैं। कुलानुशासक के सहयोग के लिये कुलानुशासक-मण्डल का गठन किया जाता है। इस मण्डल में सभी पीठ प्रमुख एवं वरिष्ठ-आचार्य सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। कुलानुशासक-मण्डल का गठन कुलपति द्वारा किया जाता हैं। यह मण्डल सुरक्षा एवं अनुशासन से सम्बद्ध आवश्यक-विषयों पर यथासमय कुलानुशासक की अध्यक्षता में विचार-विमर्श करता है और आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयों पर अपनी संस्तुति प्रदान करता है। विश्वविद्यालय नियमानुसार सभी छात्रों एवं शोधछात्रों के लिए अनुशासनात्मक समस्यों के समाधान के लिए आवश्यकतानुसार निम्नलिखित-सदस्यों से युक्त अनुशासन-समिति का गठन किया जाता है-

1. कुलपति या कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य	अध्यक्ष
2. पीठप्रमुख (छात्र-कल्याण)	सदस्य
3. समस्त पीठप्रमुख	सदस्य
4. छात्रावास अधिष्ठाता, विशेष आंमत्रित (छात्रावास से संबंधित प्रकरण की स्थिति में)	सदस्य
6. कुलानुशासक	सदस्य सचिव

अनुशासन-समिति की संस्तुतियों को कुलपति महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। कुलपति महोदय के निर्णय के अनुसार अनुशासनहीनता के लिये आरोपी-छात्र के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी
कुलानुशासक

लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम-2023 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्रों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करने हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिये एक लोकपाल की नियुक्ति भी की गई है।

छात्र शिकायत निवारण समिति की संरचना का विवरण निम्नप्रकार से है:-

1	एक पीठप्रमुख / आचार्य कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा	अध्यक्ष
2	विश्वविद्यालय के चार प्रोफेसर / वरिष्ठ संकाय सदस्य-सदस्या / सह आचार्य	सदस्य
3	शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रों में से एक प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित सदस्य
4	एक महिला	सदस्या
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से एक	सदस्य

छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

वर्तमान में प्रोफेसर केदार प्रसाद परोहा, पीठप्रमुख (सेवानिवृत्त) को लोकपाल नियुक्त किया गया है।

नोटः अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम-२०२३ विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विभिन्न-कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में

प्रवेश-नियम एवं उपाधि, नियत-स्थान एवं न्यूनतम-अर्हता

- शास्त्री (बी.ए.) तीन / चार वर्षीय पाठ्यक्रम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार)
- बी.ए. (योग) तीन / चार वर्षीय पाठ्यक्रम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार)
- आचार्य (एम.ए.)
- एम.ए. (योग)
- एम.ए. हिन्दी
- एम.ए. हिन्दू-अध्ययन
- एम.ए. अंग्रेजी
- एम.ए. समाजशास्त्र
- एम.ए. राजनीति विज्ञान
- एम.ए. पर्यावरण
- एम.ए. भारतीय ज्ञान परम्परा IKS
- एम.ए. (जैनविद्या अध्ययन)
- शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
- शिक्षाचार्य (एम.एड.)
- विद्यावारिधि (पीएच.डी.)
- स्ववित्तपोषित अंशकालिक-प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा-पाठ्यक्रम

विभिन्न-पाठ्यक्रमों में अर्हता एवं प्रवेश-नियम

१. विश्वविद्यालय निम्नलिखित-पाठ्यक्रमों के अध्यापन की व्यवस्था करता है और नियमानुसार उपाधियाँ एवं प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित-सीटें	अवधि	अर्हता
१. शास्त्री (बी.ए.)	185	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि तीन / चार वर्ष की होगी	1. किसी भी राज्य-सरकार अथवा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संस्था से मान्यता प्राप्त 12वीं / उत्तरमध्यमा / प्राक्शास्त्री तत्समकक्ष-परीक्षा में 40% अंकों से उत्तीर्ण। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 3. अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। (आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक)
२. बी.ए. योग	50	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि तीन / चार वर्ष की होगी	1. किसी भी राज्य-सरकार अथवा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संस्था से मान्यता प्राप्त 12वीं / उत्तरमध्यमा / प्राक्शास्त्री तत्समकक्ष-परीक्षा 40% अंकों से उत्तीर्ण। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 3. अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। (आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक)
३. आचार्य (एम.ए.)	38 प्रति विषय	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. शास्त्री (बी.ए.) या बी.ए. संस्कृत-विषय-सहित तत्समकक्ष-परीक्षा में 40% अंकों से उत्तीर्ण। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
४. एम.ए. योग	50	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. 10+2+3 परीक्षा 40% अंकों से उत्तीर्ण 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 3. अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। (आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक)
५. एम.ए. हिन्दू-अध्ययन	20	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. इस पाठ्यक्रम में कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक उपाधि धारक हो, वह चाहे किसी भी पाठ्यक्रम (विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, चिकित्सा इत्यादि)में अध्ययन किया हो अथवा देश-विदेश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तत्समकक्ष उपाधि धारक हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

६. एम.ए. हिन्दी	20	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. इस पाठ्यक्रम में कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो तथा एक पत्र हिन्दी विषय का अनिवार्य रूप से पढ़ा हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
७. एम.ए. अंग्रेजी	15	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. इस पाठ्यक्रम में काई भी आवेदक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
८. एम.ए. समाजशास्त्र	20	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. इस पाठ्यक्रम में काई भी आवेदक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
९ एम.ए. राजनीति विज्ञान	20	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	इस पाठ्यक्रम में काई भी आवेदक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
१० एम.ए. पर्यावरण अध्ययन	20	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	इस पाठ्यक्रम में कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो तथा एक पत्र पर्यावरण अध्ययन/पर्यावरण विषय का अनिवार्य रूप से पढ़ा हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
११ एम.ए. भारतीय ज्ञान परम्परा **IKS**	20	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	इस पाठ्यक्रम में काई भी आवेदक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 6 सत्रीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आवेदक ने किसी भी विषय में स्नातक किया हो। 2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
१२ एम.ए. जैनविद्या अध्ययन (M.A. Jain Studies)	25	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से, किसी भी विषय से छः सत्रीय/आठ सत्रीय स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि धारक हो । जैनविद्या, प्राकृतआगम, दर्शन विषय के साथ उत्तीर्ण स्नातक को, स्नातक के साथ एक वर्षीय जैनविद्या डिप्लोमा धारक को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी ।

१३. शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)	200	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. शास्त्री(बी.ए.) / बी.ए. (संस्कृत) / आचार्य / एम.ए. (संस्कृत) में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड। 2 राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 3. अर्हता-परीक्षा में प्रविष्ट-छात्र भी आवेदन कर सकते है। 4. आयुसीमा 01.10.2026 तक कम से कम 20 वर्ष
१४. शिक्षाचार्य (M.Ed.)	50	द्विवर्षीय पाठ्यक्रम	1. शास्त्री(बी.ए.) /बी.ए. (संस्कृत) एवं शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)/बी.एड.(संस्कृत-शिक्षण विषय-सहित) में कम से कम 50% अंक या समकक्ष-ग्रेड। 2 राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 3. अर्हता-परीक्षा में प्रविष्ट-छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। 4. आयुसीमा 01.10.2026 तक कम से कम 22 वर्ष
१५. (क) **विद्यावारिधि (पीएच.डी.) परंपरागत विषय:-** शुक्लयजुर्वेद, धर्मशास्त्र, नव्यव्याकरण, प्राचीनव्याकरण, पौरोहित्य, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्राचीनन्याय, नव्यन्याय, सर्वदर्शन, सांख्ययोग, अद्वैतवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, जैनदर्शन, मीमांसा, साहित्य, पुराणेतिहास, प्राकृतभाषा (ख) शिक्षाशास्त्र (ग) योग (घ) हिन्दू-अध्ययन (ड़) आधुनिक विषय:- हिन्दी, अंग्रेजी	'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के विनियम, 2022 के अनुसार: 1) आचार्य-8 2) सह-आचार्य-6 3) सहायक आचार्य-4	तीन वर्षीय शोधकार्य	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि 55 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण प्रत्येक विषय में यू.जी.सी. द्वारा आयोजित प्रवेशिका परीक्षा में **श्रेणी-1.** JRF with NET, **श्रेणी-2.** NET for Ph.D and Qualifying for Assistant Professor ship, **श्रेणी-3.** NET for Ph.D Admission only में उत्तीर्ण न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे। **श्रेणी-१** की उत्तीर्णता उनकी उत्तीर्णता तिथि से तीन वर्ष अवधि के लिये मान्य होगी। **श्रेणी- २ एवं ३** की उत्तीर्णता उनकी उत्तीर्णता तिथि से एक वर्ष अवधि के लिये मान्य होगी। शिक्षाचार्य (एम.एड.) 55 प्रतिशत अंक/एम.ए. शिक्षा 55 प्रतिशत अंक सहित साथ ही स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (पीएच.डी) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड प्रक्रिया विनियम, 2022 तथा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेश के अनुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन.टी.ए द्वारा आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में प्राप्त परिणाम को 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार में परिणाम को 30 प्रतिशत अंकभार दिया जायेगा।

सूचना:- अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, ओ.बी.सी., अन्य असक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ऊपर - निर्दिष्ट अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय है। इनमें भारत सरकार की आरक्षण-नीति लागू होगी।

अंशकालिक-पाठ्यक्रम
निर्धारित-स्थान एवं न्यूनतम-अर्हता

क्रमांक	अंशकालिक-पाठ्यक्रम	अवधि	स्थान	न्यूनतम-अर्हता
1	षाण्मासिक ज्योतिष-प्रवेशिका प्रमाणपत्रीय	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	एकवर्षीय ज्योतिषप्राज्ञ डिप्लोमा	1 वर्ष	125	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
3	द्विवर्षीय ज्योतिषभूषण-एडवांस डिप्लोमा	2 वर्ष	50	स्नातक/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा ज्योतिष प्राज्ञ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण
4	एकवर्षीय भैषज्य ज्योतिष (मेडिकल-एस्ट्रोलॉजी) डिप्लोमा	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
5	षाण्मासिक वास्तुशास्त्र प्रमाणपत्रीय	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
6	एकवर्षीय वास्तुशास्त्र डिप्लोमा	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
7	द्विवर्षीय वास्तुशास्त्र एडवांस डिप्लोमा	2 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं एकवर्षीय वास्तुशास्त्र-डिप्लोमा उत्तीर्ण
8	द्विवर्षीय पी.जी. वास्तुशास्त्र डिप्लोमा (इस पाठ्यक्रम की कक्षाऐं प्रतिदिन सायंकाल में आयोजित की जाती है)	2 वर्ष	50	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
9	षाण्मासिक योग प्रमाणपत्रीय	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
10	एकवर्षीय पी.जी. योग डिप्लोमा	1 वर्ष	150	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने पर ही प्रार्थी का प्रवेश मान्य होगा।
11	एकवर्षीय पी.जी. योग एवं नैचुरोपैथी डिप्लोमा	1 वर्ष	50	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने पर ही प्रार्थी का प्रवेश मान्य होगा।
12	षाण्मासिक पौरोहित्य(कर्मकाण्ड) प्रशिक्षण -प्रवेशिका प्रमाणपत्रीय	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
13	एकवर्षीय पौरोहित्य(कर्मकाण्ड) डिप्लोमा	1 वर्ष	150	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
14	एकवर्षीय संस्कृत व्याकरण प्रायोगिक-प्रशिक्षण एवं सम्भाषण डिप्लोमा	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
15	एकवर्षीय पी.जी संस्कृतभाषा-पत्रकारिता डिप्लोमा	1 वर्ष	50	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
16	एकवर्षीय संस्कृत-वाङ्मय(दर्शन) डिप्लोमा	1 वर्ष	50	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
17	एकवर्षीय संगणक अनुप्रयोग डिप्लोमा	1 वर्ष	40	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
18	षाण्मासिक जैनविद्या प्रमाणपत्रीय	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
19	एकवर्षीय जैनविद्या डिप्लोमा	1 वर्ष	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

20	षाण्मासिक पाडुलिपि-विज्ञान एवं अभिलेखशास्त्र प्रमाणपत्रीय	6 माह	25	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
21	पुरालिपि एवं पाण्डुलिपि पाठ्यक्रम	6 माह	50	इण्टरमीडिएट (10+2) / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
22	एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा संगीत (गायन)	1 वर्ष	50	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
23	एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा कथक नृत्य	1 वर्ष	50	स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

1. अंशकालिक-पाठ्यक्रमों में प्रवेश-अर्हता योग्यता के अनुसार वरीयता-सूची के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर् किया जाएगा। एक शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही अंशकालिक-पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
2. समस्त स्ववित्तपोषित-पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएंगी। यदि आवश्यकता हुई, तो अन्य-कार्यदिवसों में प्रात:काल/सायंकाल में भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।
3. योग की प्रायोगिक-कक्षाएं प्रात: 6.30 से 9.30 तक होंगी तथा शनिवार-रविवार तथा अन्य कार्य दिवसों में भी सैद्धांतिक-कक्षाएं 10.00 से 1.00 तक होंगी।
4. द्विवर्षीय पी.जी. वास्तुशास्त्र डिप्लोमा की कक्षायें प्रतिदिन कार्य दिवसों में 05:00 बजे से आयोजित की जायेगी।
5. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश-हेतु बाह्य-अभ्यर्थियों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं से एक समान प्रवेश-शुल्क लिया जाएगा।
6. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्रा की कक्षा में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
7. अंशकालिक-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट-छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालिक-पाठ्यक्रमों को संचालित करने-हेतु समय-समय पर निर्धारित-नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी नियम की अस्पष्टता या नए नियम की आवश्यकता की स्थिति में कुलपति का निर्णय प्रभावी होगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार संबंधित विभागाध्यक्ष / पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

प्रवेश-नियम एवं पंजीकरण का निरस्तीकरण

(क) एक शैक्षणिक-वर्ष में अभ्यर्थी किसी एक नियमित-पाठ्यक्रम में ही अपनी पात्रता के अनुसार प्रवेश ले सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित-अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) विश्वविद्यालय के नियमित-पाठ्यक्रम में पंजीकृत-छात्र को मात्र एक ही अंशकालिक-पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा । प्रवेश देते समय प्रवेश-समिति द्वारा यह ध्यान दिया जायेगा कि नियमित एवं अंशकालिक-पाठ्क्रम में प्रविष्ट छात्र का विषय एक न हो ।

(घ) यदि किसी विषय में छात्रों की संख्या अधिक है, तो छात्र की रुचि के अनुसार अन्य-विषय में स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश की अनुशंसा की जाएगी ।

(ङ) प्रवेश-परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो या परीक्षा दी हो। **30 सितम्बर, 2026 तक** अर्हता-परीक्षा-परिणाम न आने पर या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्रा का अस्थाई प्रवेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी को संबंधित उत्तीर्ण कक्षा के प्रमाणपत्र एवं सभी अंकतालिकाएँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसका विवरण प्रवेश आवेदन पत्र में भी उल्लेख करना होगा। प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता की अस्पष्टता की स्थिति में प्रवेश पर विचार नही किया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(च) शास्त्री (बी.ए.), बी.ए. (योग), संस्कृत विषयों में आचार्य (एम.ए.), एम.ए. (योग), एम.ए. हिन्दू-अध्ययन, एम.ए. हिन्दी, एम.ए. अंग्रेजी, एम.ए. समाजशास्त्र, एम.ए. राजनीति विज्ञान, एम.ए. **IKS,** एम.ए. जैनविद्या अध्ययन एवं स्ववित्तपोषित-अंशकालिक-पाठ्यक्रमों का प्रवेश घोषित-कार्यक्रमानुसार निश्चित होगा।

(छ) शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) एवं शिक्षाचार्य (एम.एड्) एवं विद्यावारिधि में प्रवेश-हेतु प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

(ज) आवेदकों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित मूल-प्रमाणपत्र लाना आवश्यक है। निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को कार्यालय में जमा नहीं किये जाने की स्थिति में पीठ-प्रमुखों की समिति की संस्तुति के आधार पर छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

1. पूर्व-उत्तीर्ण-परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था द्वारा जारी प्राप्त प्रमाणपत्र।
2. जन्मतिथि-प्रमाणपत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष-परीक्षा का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्म-तिथि का उल्लेख हो)।
3. चरित्र-प्रमाणपत्र (पूर्व-संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा) (अंशकालिक-पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थी राजपत्रित अधिकारी/संस्था-प्रमुख जहाँ अभ्यर्थी ने अध्ययन किया हो या कार्यरत हो, के द्वारा)।
4. मूल-निवास-प्रमाणपत्र ।
5. मूल-स्थानान्तरण-प्रमाणपत्र (टी.सी.)/ निष्क्रमण-प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)/ अंक-तालिकाएं (मार्कशीट) **30 सितंबर, 2026 तक** अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-विभाग में जमा करानी होंगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त जायेगा।
6. क्रीडा-सम्बधी-प्रमाणपत्र (राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाणपत्र (यदि हो)।
7. प्रमाणपत्र (यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित-जाति, जनजाति या नॉन-क्रिमीलेयर-सम्बन्धी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक-वर्ग, आर्थिक कमजोर श्रेणी, या विकलांग-श्रेणी का हो)। (नगर मजिस्ट्रेट,

सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/ तहसील/एम.आर.ओ. द्वारा निर्गत अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति-प्रमाणपत्र हो। विकलांग प्रत्याशियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)

भारत सरकार के नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर-श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय आय से सम्बन्धित सभी प्रमाणपत्र जमा करने अनिवार्य होंगे।

08. राजकीय-चिकित्सालय अथवा रजिस्टर्ड-मेडिकल-प्रेक्टिशनर द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आवेदनपत्र में उपलब्ध-प्रपत्र के अनुरूप ही मान्य होगें। शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य में प्रवेश हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य-सम्बन्धी-नियम प्रभावी होंगे।

09. सेवारत अभ्यर्थी के लिए अंशकालिक/स्ववित्तपोषित-पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवायोजक-संस्था के प्रधानाचार्य-अधिकारी का अनुमति-पत्र। स्ववित्तपोषित-पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ने पर किसी प्रकार की जमा की गई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

10. ऑनलाइन-आवेदनपत्र जमा करने की स्थिति में आवेदक को अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य वांछित प्रमाणपत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उक्त आवेदनपत्र की स्वप्रमाणित-प्रतिलिपि और समस्त आवश्यक-प्रपत्रों के साथ प्रवेश के समय कार्यालय में जमा करना होगा।

11. शास्त्री (बी.ए.) प्रथमवर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा 30 दिन के भीतर ही विषय-परिवर्तन कर सकता/सकती है। विषय-परिवर्तन करने हेतु सम्बन्धित-विषयों के विभागाध्यक्ष एवं पीठ प्रमुख के माध्यम से आवेदनपत्र संस्तुत करवाकर शैक्षणिक-विभाग में जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् विषय परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

12. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विभिन्न-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट सभी अभ्यार्थियों को अपने आधार-कार्ड एवं बैंक-खाते से संबंधित-दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रवेश-आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदनपत्र के साथ अपनी एक अतिरिक्त नवीन फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. योग पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को योग-वेशभूषा एवं यौगिक-सामग्री का व्यय-निवर्हन स्वयं करना होगा।

14. किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता, अमर्यादित-आचरण, रैगिंग-सम्बन्धी-अपराध, दुर्व्यवहार आदि की शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासन-समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलपति की स्वीकृति अनुसार छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, जो कम से कम एक वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक हो सकता है।

15. **एक विषय से आचार्य करने के बाद द्वितीय विषय में आचार्य में प्रवेश के समय पात्रता-क्षमता एवं मौलिक-ज्ञान को दृष्टिगत रखा जायेगा तथा प्रवेश का विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा। एक विषय में विश्वविद्यालय से आचार्य-उपाधि प्राप्त करनेवाले छात्र यदि अन्य विषय में आचार्य में प्रविष्ट होते हैं, तो ऐसे छात्र छात्रावास एवं छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं होंगे।**

विशेषः आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ उपुर्यक्त-प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ अवश्य लगायें, जिन्हें प्रमाणपत्रों की मूल-प्रतियाँ से प्रवेश-शुल्क जमा कराने से पूर्व अनुभाग-अधिकारी (शैक्षणिक) द्वारा जाँच कराना होगा। अस्पष्ट-प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश नहीं किया जाएगा। शिक्षण-अवधि में किसी भी स्तर पर यदि कोई प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है तो छात्र का नामांकन स्वयं निरस्त हो जायेगा और नियम-संगत अन्य-कार्यवाही की जा सकती है।

प्रवेश–सम्बन्धी नियम/उपनियमों की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति का आदेश अन्तिम निर्णय के रूप में मान्य होगा। किसी नियम के अन्तर्गत निर्धारित आयु–सीमा में छूट प्रदान करने के लिए पीठम्प्रमुखों की संस्तुति और विशेष–परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुलपति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जिसकी पुष्टि–हेतु आगामी विद्या परिषद में सम्बन्धित–प्रकरण को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रवेश एवं पात्रता–सम्बन्धी–नियमों एवं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप विद्या परिषद् द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त–नियमों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित–नियम विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त–छात्रों पर तत्काल–प्रभाव से लागू किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षानीति २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर की उपाधि तीन / चार वर्ष की अवधि की होगी।

प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विरत (Exit) होने वाले छात्र सर्टीफिकेट, द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विरत (Exit) होने वाले छात्र डिप्लोमा, तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विरत (Exit) होने वाले छात्र को स्नातक उपाधि तथा चतुर्थ वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विरत (Exit) होने वाले छात्र स्नातक शोध सहित उपाधि प्राप्त कर सकेगें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम 2021 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक से संबंधित दिशा–निर्देश तैयार किये जा चुके हैं। विश्वविद्यालय में पंजीकृत समस्त छात्रों को एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

शास्त्री (बी.ए.) एवं बी.ए. योग
(तीन / चार वर्षीय)

वेद–वेदांग–पीठ के अन्तर्गत मूल विषय	दर्शन–पीठ के अन्तर्गत मूल विषय	साहित्य एवं संस्कृति–पीठ के अन्तर्गत मूल विषय	आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत विषय	पुराण विद्या पीठ के अन्तर्गत मूल विषय
शुक्लयजुर्वेद	प्राचीनन्याय	साहित्य	हिन्दी	पुराणेतिहास
धर्मशास्त्र	नव्यन्याय	प्राकृतभाषा	अंग्रेजी	प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग
नव्यव्याकरण	सर्वदर्शन		पर्यावरण अध्ययन	पुरातत्व विभाग
प्राचीनव्याकरण	सांख्ययोग		समाजशास्त्र	धर्मागम विभाग
पौरोहित्य	अद्वैतवेदान्त		राजनीति विज्ञान	संगीत विभाग
सिद्धान्तज्योतिष	विशिष्टाद्वैतवेदान्त		संगणक विज्ञान	
फलितज्योतिष	जैनदर्शन		एन.सी.सी.	
वास्तुशास्त्र	मीमांसा			
सहिंताज्योतिष	योग			

पाठ्यक्रम संरचना

S.No.	Broad Category of Course	Minimum Credit Requirement	
		3- Year UG	4- Year UG
01	Major (Core)	60	80
02	Minor Stream	24	32
03	Multidisciplinary	09	09
04	Ability Enhance Course (AEC)	08	08
05	Skill Enhancement Courses (SEC)	09	08
06	Value Added Courses common for all UG	08	09
07	Summer Intership	02	04
08	* Research Project / Dissertation		12
	Total	120	160

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) द्वारा किया जायेगा। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मलित होने हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण ऑनलाईन माध्यम से करवाकर लिखित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित आवेदन पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) की वेबसाइट National Testing Agency (nta.ac.in) पर उपलब्ध है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर ही योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

आचार्य (एम.ए.)/एम.ए.योग/एम.ए. हिन्दी/एम.ए.हिन्दू-अध्ययन/एम.ए.जैनविद्या अध्ययन/एम.ए.अंग्रेजी/एम.ए.समाजशास्त्र, संगीत (गायन)

(द्विवर्षीय चतु:सत्रीय पाठ्यक्रम)

(1) यह पाठ्यक्रम दो वर्षो में (चार सत्रों में) सम्पन्न होता है।

(2) आचार्य-कक्षा में प्रवेश के लिए इस विश्वविद्यालय की शास्त्री या 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से मान्यता-प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, परीक्षा-संस्था अथवा तत्समकक्ष-संस्था से संस्कृत-माध्यम से निम्नलिखित किसी एक विषय-सहित शास्त्री, बी.ए. अथवा मान्य-तत्समकक्ष-उपाधि अपेक्षित है।

(3) प्रविष्ट-छात्रों को निम्नलिखित-विषयों में से एक विषय का अध्ययन करना होगा।

वेद-वेदांग-पीठम् के अन्तर्गत विषय	दर्शनशास्त्र पीठम् के अन्तर्गत विषय	साहित्य एवं संस्कृति- पीठम् के अन्तर्गत विषय	आधुनिकविषयपीठम् के अन्तर्गत विषय	पुराणविद्यापीठम् के अन्तर्गत मूल विषय
शुक्लयजुर्वेद	प्राचीनन्याय	साहित्य	हिन्दी	पुराणेतिहास
धर्मशास्त्र	नव्यन्याय	प्राकृतभाषा	हिन्दू-अध्ययन	प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग
नव्यव्याकरण	सर्वदर्शन		अंग्रेजी	पुरातत्व विभाग
प्राचीनव्याकरण	सांख्ययोग		समाजशास्त्र	धर्मागम विभाग
पौरोहित्य	अद्वैतवेदान्त		राजनीति विज्ञान	संगीत विभाग
सिद्धान्तज्योतिष	विशिष्टाद्वैतवेदान्त		पर्यावरण	
फलितज्योतिष	जैनदर्शन/जैनविद्या अध्ययन		IKS, भारतीय ज्ञान परम्परा	
वास्तुशास्त्र	मीमांसा			
	योग			

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

श्री लाल बहादुर शास्त्र राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम को विद्यावारिधि (Ph.D.) कहा जाता है। यह एक शोध-आधारित उच्च शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न विषयों में गहन अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

1. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 6 वर्ष होती है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Qualified for	Eligible for		
	JRF	**Assistant Professor**	**Ph.D. Admission**
Category-1: Award of JRF and appointment as Assistant Professor	Yes	Yes	Yes
Category-2: Appointment as Assistant Professor and admission to Ph.D.	No	Yes	Yes
Category-3: Admission to Ph.D. only	No	No	Yes

3. अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Master's Degree) में कम से कम 55% अंक होना आवश्यक है।
4. विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को छूट प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय में निम्न विषयों में पीएच.डी. (विद्यावारिधि) पाठ्यक्रम संचालित की जाती है-

वेद-वेदांग-पीठम् के अन्तर्गत विषय	**दर्शन-पीठम् के अन्तर्गत विषय**	**साहित्य एवं संस्कृति-पीठम् के अन्तर्गत विषय**	**पुराणविद्यापीठ के अन्तर्गत विषय**
शुक्लयजुर्वेद	प्राचीनन्याय वैशेषिक	साहित्य	पुराणेतिहास
धर्मशास्त्र	नव्यन्याय	प्राकृतभाषा	
नव्यव्याकरण	सर्वदर्शन		
प्राचीनव्याकरण	सांख्ययोग		
पौरोहित्य	अद्वैतवेदान्त	**शिक्षापीठ अन्तर्गत विषय**	**आधुनिक विषय पीठम् के अन्तर्गत विषय**
सिद्धान्तज्योतिष	विशिष्टाद्वैतवेदान्त		
फलितज्योतिष	जैनदर्शन	शिक्षाशास्त्र	हिन्दी
वास्तुशास्त्र	मीमांसा		हिन्दू-अध्ययन
	योग		अंग्रेजी

विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए पुस्तकालय, पांडुलिपि अध्ययन, संगोष्ठी, कार्यशाला तथा शोध पत्रिकाओं की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ भारतीय संस्कृति और संस्कृत अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनाएँ (दिनांक 27 मार्च 2024 तथा 28 मार्च 2024) https://www.ugc.gov.in/pdfnews/6669193_Letter-NET-for-Admission-to-PhD.pdf पर देखी जा सकती है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2022
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विद्यावारिधि अध्यादेश संख्या 40 https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/uploadfiles/Ordinance_13-42.pdf पर देखी जा सकती है।
4. प्रवेश हेतु विवरणिका पृथक् से तैयार की गई है। प्रवेश इच्छुक आवेदक कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका अवलोकन करें।

मूक्स पाठ्यक्रम

१. प्रस्तावना

1. शिक्षा के प्रसार-हेतु उच्चतर-शिक्षा तक पहुँच को व्यापक बनाया जाना तथा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का उपयोग कर तत्संबंधी-लागत को कम करना है।
2. पारम्परिक एवं ऑनलाइन-शिक्षा-सहित, शिक्षा प्रदान करने के लिए बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOCs) एक व्यावहारिक-मॉडल के रूप में उभरे हैं।
3. ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन के भारतीय स्वरूप 'स्वयं' (युवा एवं उच्चाकांक्षी बौद्धिकों के लिए सक्रिय ज्ञान-अर्जन की अध्ययन-पद्धति) को ज्ञान-अर्जन के स्वदेशी-प्लेटफॉर्म पर संस्कृत-सम्बन्धी-पाठ्यक्रमों में उपयोग में लाना।
4. ई-ज्ञान अर्जन की कहीं-भी, कभी-भी पद्धति तथा पारंपरिक और कक्षागत चॉक-एंड-टॉक अध्यापन-पद्धति के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता है, ताकि एक अनुपम विषयवस्तु-अन्तरण-प्रणाली को विकसित किया जा सके, जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भौगोलिक सीमाओं से इतर ज्ञान का निर्बाध-अन्तरण सुनिश्चित कर सके।
5. एक ऐसी विनियामक-प्रणाली स्थापित किए जाने के उद्देश्य से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन तथा सामान्य-कक्षागत-ज्ञान-अर्जन के बीच निर्बाध-संबध स्थापित किया जा सके।

२. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों-हेतु-क्रेडिट-ढाँचा) विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त विनियम को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुरूप 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने, निर्धारित-पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने और क्रेडिट-प्राप्ति/स्थानान्तरण करने के लिए बनाये गये नियमों को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु 'क्रेडिट-ढाँचा-नियमावली 2016' कहा जायेगा।
2. यह विनियम ऐसे छात्रों के क्रेडिट-अंतरण पर भी लागू होंगे, जिन्होंने देश में किसी भी शैक्षिक-संस्थान में एक नियमित / अंशकालिक-छात्र के रूप नामांकन प्राप्त किया है।
3. इन पाठ्यक्रमों में कोई भी अध्येता ज्ञानार्जन की दृष्टि से प्रवेश ले सकता है। जो विद्यार्थी किसी संस्थान में नियमित/अंशकालिकरूप से प्रवेश लिया हो, वे भी विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में विकल्प-आधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत पञ्जीकरण कर सकता है।

३. परिभाषाएं-

1. पाठ्यक्रम का अभिप्राय एक पत्र से होगा, जिसे विषय के भाग के रूप में कम से कम एक सेमेस्टर तक पढ़ाया जाएगा।
2. 'चतुष्पदीय-पद्धति' का अभिप्राय सामान्यत: एक ई-ज्ञान अर्जन प्रणाली से है, जिसके निम्नवत् घटक होते हैं-
   - प्रथम-पद एक ई-अनुशिक्षण है: जिसमें एक सुव्यवस्थित रूप में दृश्य-श्रव्य विषयवस्तु, एनीमेशन-फिल्में, सिम्युलेशन, वर्चुअल-लैब अंतर्निविष्ट है।
   - द्वितीय पद एक ई-विषयवस्तु है: जहाँ कहीं भी आवश्यक हों, वहाँ पीडीएफ, ई-पुस्तकें, दृष्टांत, विडियो प्रदर्शन, दस्तावेज और इंटरेक्टिव-सिमुलेशन अंतर्निविष्ट हैं।
   - तृतीय-पद एक वेब-संसाधन है: जिसमें विषय से संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त-वस्तुविषय, मामला-अध्ययन, उपाख्यान-संबंधी-जानकारी, विषयों तथा लेखों का क्रमिक-विकास अंतर्विष्ट हैं।
   - चतुर्थ-पद एक स्व-मूल्यांकन-पद्धति है: जिसमें बहुविकल्प-प्रश्न (MCQ), समस्या, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट-कार्य एवं उनके हल, चर्चा-हेतु मंच के विषय तथा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ), सामान्य-भ्रान्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण अंतर्निविष्ट हैं।
3. 'मेजबान संस्थान / विश्वविद्यालय (Host Institution / University)' का अभिप्राय - श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली है, जिससे पाठ्यक्रम की पेशकर करनेवाला मुख्य-अन्वेषक (PI) / विषय-विशेषज्ञ (SME) संबंद्ध है, जिसे मेजबान-संस्थान द्वारा विधिवत्-मान्यता अनुमोदित किया गया है।
4. 'संस्थान (Institution)' का अभिप्राय देश में पञ्जीकृत तथा कार्य-प्रचालन करनेवाले किसी शिक्षा-संस्थान से है।
5. 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (MOOCs) ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं, जो यहाँ उल्लिखित चतुष्पदी-शिक्षणशास्त्रीय-पद्धति के अनुरूप विकसित किये गये हैं, तथा भारत सरकार के स्वयं के प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराये गए हैं।
6. 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (MOOCs) संबंधी दिशानिर्देशों' का अभिप्राय ऑनलाइन-ज्ञानार्जन के विषय पर 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' द्वारा जारी किए दिनांक 11.5.2016 के दिशानिर्देशों तथा तत्संबंधी-उत्तरवर्ती-अनुबंधों से है।
7. राष्ट्र-बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम-समन्वयकर्ता (NMC), भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट ऐसी एक राष्ट्रीय-स्तरीय एजेन्सी है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों को तैयार करने संबंधी कार्य का समन्वय करना तथा ज्ञान-अर्जन के एक विनिर्दिष्ट-क्षेत्र में उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना है।
8. 'मूल-संस्थान (Parent Institution)' का अभिप्राय उस संस्थान/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से है, जहाँ पर छात्र एक नियमित/अंशकालिक-छात्र के रूप में नामांकित है।
9. 'प्रधान-अन्वेषक' (PI) से अभिप्राय है, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय के एक विषयवस्तु विशेषज्ञ (SME) से होगा, जिसे NMC द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट-क्षेत्र में बृहद्-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOCs) विकसित करने तथा पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया हो।

10. क्षेत्र का अभिप्राय स्नातकोत्तर-(M.A. (Sanskrit)/Acharya/Other equivalent courses) स्तर से है।

11. विषय का अभिप्राय शिक्षा-संस्थान में पढ़ाई जा रही एक ऐसी विधा से है (M.A. संस्कृत, ज्योतिष आचार्य आदि), जिसमें विशिष्ट-पाठ्यक्रम मौजूद हैं तथा जिनमें परिणामत: स्नातकोत्तर-उपाधि प्रदान की जाती है।

12. स्वयं-मंच 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार' द्वारा विकसित किया गया तथा चलाया जा रहा एक ऐसा सूचना-प्रौद्योगिकी-प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (एमओओसी) पद्धति पर ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों की पेशकश करना है।

४. ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रम

1. मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय के माध्यम से 'राष्ट्रीय-बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम-समन्वयकर्ता' द्वारा अंतिमरूप से तैयार की गई अनुसूची के अनुरूप चिह्नित PIद्वारा स्वयं के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर सक्षम-प्राधिकारी के माध्यम से स्वयं के प्लेटफॉर्म द्वारा पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों पर विचार करेगी तथा अपनी शिक्षा-संबंधी-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेगा जिन्हें वह क्रेडिट-अंतरण की अनुमति प्रदान करेगा।
3. कोई भी संस्थान किसी एक सेमेस्टर में किसी विशिष्ट-कार्यक्रम में पेशकश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 20 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ही स्वयं प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशकश करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
4. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आचार्य पाठ्यक्रम के विद्यार्थिओं को द्वितीयसत्र एवं चतुर्थसत्र के पत्रों में से वैकल्पिक-पत्र के स्थान पर स्वयं-मञ्च पर उपलब्ध MOOC पाठ्यक्रमों से दो पाठ्यक्रमों को लेना अनिवार्य होगा।
5. संस्थान की कक्षा में प्रत्येक ऐसा छात्र, जिसने किसी विशिष्ट-पत्र (पाठ्यक्रम) का चुनाव किया हो, उसे उस पाठ्यक्रम / पत्र-हेतु बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (एमओओसी) के लिए पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।
6. स्वयं के माध्यम से पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों के चालू रखने के लिए मूल-संस्थान द्वारा अनिवार्य वास्तविक-सुविधाएं यथा प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर-सुविधाएं, पुस्तकालय आदि नि:शुल्क तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी।
7. मूल-संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण-अवधि के दौरान छात्र को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला/क्रियात्मक सत्र/ परीक्षा को सुविधापूर्ण-ढंग से आयोजित करवाने के लिए एक पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता/सुविधा-प्रदाता को नियुक्त किया जाए।

५. बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण

1. मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय और प्रधान-अन्वेषक (PI) उनके द्वारा आरंभ किए गए बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOC) हेतु पंजीकृत-छात्रों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित-मानदंडों तथा मानकों पर आधारित होंगे तथा पाठ्यक्रम की संपूर्ण-अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट-साधनों, जैसे-चर्चा, मंच, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट-कार्य, सत्रीय-परीक्षाओं और अन्तिम-परीक्षाओं के माध्यम से व्यापक-मूल्यांकन पर आधारित होंगे।
3. परीक्षा-हेतु ऑनलाइन-पद्धति को प्राथमिकता दी जायेगी, तथापि विशेष एवं स्थानीय-परिस्थितियों के अनुकूल, प्रधान-अन्वेषक (PI)अन्तिम-परीक्षा को संचालित करने की पद्धति पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत होगा। पाठ्यक्रम को पेशकश किए जाने के समय पाठ्यक्रम की विवरणिका में इस संबंध में घोषणा की जाएगी।
4. यदि अन्तिम-परीक्षा लिखित में संचालित की जाती है, तो इसे आयोजित करने हेतु इच्छुक किसी महाविद्यालय/विद्यालय के माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा। इस संबंध में अंतिम-निर्णय-प्रधान-अन्वेषक (PI)तथा मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा।
5. परीक्षा संचालित करवाने तथा मूल्यांकन पूर्ण किए जाने के पश्चात् मेजबान-संस्थान/ विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रधान-अन्वेषक (PI) / परीक्षा-अधिकारी घोषित की गई मूल्यांकन-योजना के अनुसार अंक / ग्रेड प्रदान करेगा।
6. अन्तिम-परीक्षा के समापन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर छात्र के साथ-साथ उनके मूल-संस्थान को अन्तिम-अंक/ग्रेड की जानकारी भेजी जाएगी।
7. मूल-संस्थान स्वयं पाठ्यक्रम के प्रधान-अन्वेषक (PI) द्वारा मेजबान-संस्थान / विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक / ग्रेड को छात्र की अंकतालिका में शामिल करेगा, जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतिमरूप से उपाधि प्रदान करने के लिए गणना की जाती है, बशर्ते कि जिन कार्यक्रमों में प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक-घटक सम्मिलित हों, तो मूल-संस्थान, प्रयोगात्मक/प्रयोगशाला-घटक-हेतु छात्रों का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार इनमें प्राप्त अंकों/ग्रेडों को समग्र अंकों/ ग्रेड में सम्मिलित करेगा।
8. बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रम (MOOC) के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के संबंध में प्रमाणपत्र पर प्रधान-अन्वेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इन्हें मेजबान-संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा और मूल-संस्थान को भेजा जाएगा।
9. अन्तिम-परीक्षा का परीक्षा-शुल्क विश्वविद्यालय के परीक्षा-विभाग के नियमानुसार-पञ्जीकृत-विद्यार्थियों को देय होगा।

६. एमओओसी की क्रेडिट मोबिलिटी

1. स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों द्वारा ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट के लिए मूल-संस्थान छात्रों को समकक्ष-क्रेडिट प्रदान करेगा।
2. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी विश्वविद्यालय बृहद्-मुक्त-ऑनलाइन-पाठ्यक्रमों (एमओओसी) के माध्यम से अर्जित-क्रेडिट की मोबिलिटी के लिए किसी भी छात्र को इंकार नहीं करेगा।

७. अन्तिम उपाय

1. इस नियमावली के कार्यन्वयन के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान प्रधान-अन्वेषक (PI) / 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के द्वारा गठित स्थायी-समिति करेगी।
2. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन-ज्ञान-अर्जन-पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट-ढाँचा) विनियम, 2016 के प्रावधान और समय-समय पर आयोग द्वारा उनमें किये जाने वाले संशोधन यथावत् प्रभावी होंगे।

रैगिंग रोकथाम से संबंधित प्रावधान समिति

माननीय 'उच्चतम न्यायालय' के निर्णय तथा 'शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के रैगिंग-निषेध एवं रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय में रैगिंग रोकथाम के लिए प्रो० परमानन्द भारद्वाज, आचार्य, ज्योतिष विभाग को नोडल-अधिकारी मनोनीत किया गया है। रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए छात्र/छात्रा नोडल-अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में रैगिंग सर्वथा वर्जित है। शिकायत मिलने पर सम्बन्धित-छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है। 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग अधिनियम-2009' के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून, 2009 एवं समय-समय जारी दिशा-निर्देशो के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग दण्डनीय-अपराध है।

(विवाद की किसी भी स्थिति में न्यायिक-निर्णय 'उच्च न्यायालय, दिल्ली' की न्यायिक-सीमा में ही होगा।)

रैगिंग निषेध अधिनियम

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग विनियम-2009' के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार शैक्षणिक-परिसरों में रैगिंग दण्डनीय-अपराध है।

'रैगिंग' में निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग-हेतु उकसाना।
2. रैगिंग का आपराधिक-षड्यंत्र।
3. रैगिंग के समय अवैध-ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत-ढंग से रोकना।
8. आपराधिक-बल प्रयोग।
9. प्रहार करना, यौन-सम्बन्धी-अपराध अथवा अप्राकृतिक-अपराध।
10. बलात्-ग्रहण।
11. आपराधिक-ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
13. आपराधिक-धमकी।
14. मुसीबत से फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से काई अथवा सभी अपराध करना।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
16. शारीरिक अथवा मानसिकरूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे -

क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक-शब्दों अथवा लिखित-रूप में उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना, जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना, जो वह सामान्य-स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ वरिष्ठ-छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक-कार्य में बाधा पहुँचाएं।

ड नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक-कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक-शोषण करना।

छ शारीरिक-शोषण से सम्बन्धित कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन-शोषण, समलैंगिक-प्रहार, नंगा-करना, अश्लील तथा कामाचार-सम्बन्धी-कार्य हेतु विवश करना, अंग-चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक-कष्ट, जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज मौखिक-शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिकरूप से किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना, जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन, मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी कार्यवाही-

रैगिंग-विरोधी-दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध-घटना हुई है? और यदि हुई है, तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग-विरोधी-समिति से सूचना-प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित-विधि के अनुसार संस्तुति दे।

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही-

रैगिंग-निषेध-अधिनियम-2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में सम्मलित छात्र/छात्रा के लिए निम्नलिखित दण्ड के प्रावधान हैं:

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित विधि-अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क. रैगिंग-विरोधी-समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित-निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग-विरोधी-दल उचित-दण्ड-हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख. रैगिंग विरोधी समिति विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा एकाधिक-दण्ड देगी।

1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक-अधिकारों से निलम्बन।

2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य-लाभों को रोकना/ उनसे वंचित करना।

3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य-मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।

4. परीक्षाफल रोकना।

5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय-मीट, खेल, युवा-महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

6. छात्रावास से निष्कासित करना।

7. प्रवेश रद्द करना।

8. विश्वविद्यालय से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।

9. विश्वविद्यालय -परिसर से निश्चित-अवधि तक निष्कासन करना।

10. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके, तो संस्थान सामूहिक-दण्ड का आश्रय ले।

ग. रैगिंग-विरोधी-समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी।

1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध-संस्थान होने पर कुलपति से ।

2. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय-महत्त्व-संस्थान होने पर उसके अध्यक्ष अथवा कुलपति अथवा स्थिति के अनुसार ।

विशेष:- रैगिंग-निषेध के संबंध में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में पंजीकृत समस्त छात्रों को रैगिंग रोकथाम के संबंध में एक शपथ पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर दिए गए लिंक के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा।

अनुशासन एवं सुरक्षा व्यवस्था

विश्वविद्यालय-परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था एवं छात्रों में अनुशासन-प्रियता को सुदृढ़ करने के लिये कुलानुशासक-मण्डल उत्तरदायी होता है। यह मण्डल सुरक्षा एवं अनुशासन से सम्बद्ध आवश्यक-विषयों पर यथासमय कुलानुशासक की अध्यक्षता में विचार-विमर्श करता है। कुलानुशासक-मण्डल द्वारा अनुमोदित अनुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण-प्रस्ताव कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनका क्रियान्वयन कुलपति के आदेशानुसार किया जाएगा। वर्तमान में प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी 'कुलानुशासक' के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

1. सभी छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करते हुए कक्षाओं में नियमित-उपस्थित रखना अनिवार्य होगा।

2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित-दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।

4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित-गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हों। विश्वविद्यालय परिसर में असंवैधानिक-नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन, पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न करना, पुतला जलाना, बाह्य-छात्रों को लेकर आना, छात्रावास भोजनालय, कैन्टीन आदि में अनुशासनहीनता करना पूर्ण रूप से वर्जित होगा। इन कृत्यों में लिप्त पाये जाने वाले छात्र को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

5. विश्वविद्यालय -परिसर में छात्र द्वारा स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात असंवैधानिक-तरीके से मनवाने का प्रयास करने पर तथा बलपूर्वक अन्य छात्रों को धमकाने पर अनुशासन-समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।

6. अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

7. परिसर में कालांश (कक्षा) के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

8. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र-छात्रा का कर्तव्य होगा।

9. किसी भी छात्र को रैगिंग का दोषी पाये जाने पर 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के उच्चतर-शिक्षण-संस्थानों में रैगिंग-अपराध निषेध / रोकने के अधिनियम 2009 एवं 2016 के अनुसार दण्ड दिया जाएगा, जिसके तहत कक्षा से पंजीकरण-निरस्त तथा छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है। सभी छात्रों को रैगिंग-अपराध-निषेध-अधिनियम का पूर्ण-पालन करना अनिवार्य होगा।

10. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (उच्चतर-शैक्षणिक-संस्थानों में महिला-कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए लैगिंक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 में प्रदत्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. छात्र-कल्याण-परिषद् के सभी सदस्यों को छात्र-कल्याण-परिषद् गठित करने हेतु निर्धारित-नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. प्रत्येक छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सदाचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले-पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक-प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को कोई हानि पहुँचाये जाने पर छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति-राशि छात्र से ली जायेगी। ऐसे छात्रों का परिसर में प्रवेश भी वर्जित होगा।

13. प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

14. विश्वविद्यालय परिसर में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है।

उपस्थिति नियम

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित-उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति-प्रपत्र विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित तथा परीक्षित कर प्रतिमाह तृतीय-कार्यदिवस तक अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-अनुभाग में जमा कराना आवश्यक होगा। निर्धारित समय के भीतर उपस्थिति प्राप्त ना होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. प्रति-सेमेस्टर जिस छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, वह छात्र परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र के आकस्मिक अथवा रुग्णता-अवकाश-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र पर विचार कर अधिकतम 07 दिन का अवकाश संस्तुत किया जाएगा। अवकाश केवल कक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। बिना लिखित प्रार्थना-पत्र के 10 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।
4. एक शैक्षिकसत्र में पंजीकृत-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता के प्रमाणपत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय-अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जिसे विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति के साथ सम्बन्धित माह में ही शैक्षणिक-अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित-समय पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. एक शैक्षणिक-सत्र में आकस्मिक एवं चिकित्सकीय-अवकाश 75 प्रतिशत की उपस्थिति में जोड़े नहीं जायेंगे इनका उपयोग छात्र का नामांकन निरस्त न हो इस सम्बन्ध में किया जा सकेगा।
6. एन.सी.सी. के छात्र-छात्राओं को शिविर में जाने की सूचना एन.सी.सी. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। यह सूचना शैक्षणिक-अनुभाग कार्यालय में शिविर-समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर भेजा जाना आवश्यक होगा।
7. क्रीडा-सम्बन्धी-प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को सम्बन्धित-प्रतियोगिता से सम्बद्ध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। क्रीडा के सम्पन्न होने के बाद विभागाध्यक्ष/पीठम्प्रमुख के माध्यम से **शैक्षणिक-अनुभाग कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर सूचना देनी अनिवार्य होगी। वांछित सूचना प्रेषित न करने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा। तथा देय अवधि की उपस्थिति मान्य नहीं होगी।**
8. अन्य शैक्षणिक-प्रतियोगिता में भी प्रतिभागिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। प्रतियोगिता से सम्बद्ध-सूचना विभागाध्यक्ष/पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य होगा।
9. मातृत्व-अवकाश केवल 30 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश छात्रा को परीक्षा में भाग लेने एवं छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत होगा। मातृत्व-अवकाश के लिए संबंधित-छात्रा को आवेदनपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदनपत्र के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
10. यदि किसी छात्र द्वारा सम्बन्धित सेमेस्टर में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर ली हो, परन्तु किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्रा को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।
11. बी.ए. (योग) एवं एम.ए. (योग) में प्रविष्ट-छात्रों को प्रायोगिक-कक्षा तथा सैद्धान्तिक-कक्षा में पृथक्-पृथक् से 75% उपस्थिति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी ।
12. कुलपति द्वारा मेधावी-छात्रों को विशेष-स्थिति में उपस्थिति में 5 प्रतिशत तक की छूट विभागाध्यक्षों एवं पीठम्प्रमुखों की संस्तुति पर प्रदान की जा सकती है।

उपस्थिति नियम (शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य)

1. विश्वविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में प्रविष्ट-छात्र की नियमित-उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति-प्रपत्र विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित तथा परीक्षित कर प्रतिमाह तृतीय-कार्यदिवस तक अनिवार्यरूप से शिक्षाशास्त्र पीठम् के कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।

2. प्रत्येक सेमेस्टर में जिस छात्र की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम होगी वह छात्र परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

3. पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र के आकस्मिक अथवा रुग्णता-अवकाश-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र पर विचारकर अधिकतम 07 दिन का अवकाश संस्तुत किया जाएगा। अवकाश केवल कक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। बिना लिखित-प्रार्थनापत्र के 10 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।

4. प्रत्येक सेमेस्टर-सैद्धान्तिक-पाठ्यक्रम में प्रविष्ट-छात्रों द्वारा पंजीकृत-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता-प्रमाणपत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय-अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जिसे विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति के साथ सम्बन्धित माह में ही शैक्षणिक-अनुभाग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित-समय पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आकस्मिक-अवकाश सैद्धान्तिक-उपस्थिति, चिकित्सकीय-अवकाश 80% उपस्थित में नहीं जोड़े जाएगा, इनका उपयोग छात्र का नामांकन निरस्त न हो, इस दृष्टि से किया जाएगा।

5. शिक्षाशास्त्री-पाठ्यक्रम में प्रविष्ट सभी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय 90% अनिवार्य होगी। सभी छात्र-छात्राओं को 50 पाठयोजनाएँ,चार समीक्षा-पाठ तथा निर्धारित प्रायोगिक-कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। अन्त में इसके साथ छात्रों की दोनो विषयों की प्रायोगिक-परीक्षा में उपस्थिति भी अनिवार्य है।

6. जिन छात्र-छात्राओं की विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय 90% उपस्थिति पूर्ण नहीं होगी, वे शिक्षणाभ्यास-प्रायोगिक-परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ऐसे छात्र-छात्रायें अगले वर्ष विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम में पुन: 90% उपस्थिति तथा निर्धारित-पाठ-योजनाओं का शिक्षण पूर्ण करके शिक्षणाभ्यास-प्रायोगिक-परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

7. विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय कोई भी चिकित्सा-आवकाश मान्य नहीं होगा। केवल मातृत्व-अवकाश 30 दिन के लिए स्वीकृत किया जायेगा। इस अवकाश की विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के दौरान 90% उपस्थिति में गणना की जायेगी। किन्तु उक्त छात्राओं को विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के सभी निर्धारित-कार्य आवश्यकरूप से पूर्ण करने होंगे।

8. शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्ष एवं द्वितीयवर्ष पाठ्यक्रम में प्रविष्ट सभी छात्र-छात्राओं की सैद्धान्तिक कक्षाओं में 80% तथा प्रायोगिक-कक्षाओं में 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9. प्रति-सेमेस्टर की परीक्षा में जिस छात्र-छात्रा की उपस्थिति 80% से कम होगी, वह छात्र परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं होगा।

10. किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में कम-उपस्थिति के आधार पर परीक्षा में न बैठ पाने के कारण छात्र को आगामी-सेमेस्टर की परीक्षा के साथ दोनों सेमेस्टरों की परीक्षा देनी होगी।

11. क्रीडा-सम्बन्धी-प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को सम्बन्धित-प्रतियोगिता से सम्बद्ध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिविर एवं विशेष-कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा।

क्रीडा के सम्पन्न होने के बाद विभागाध्यक्ष / पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर सूचना देना भी अनिवार्य होगा।

12. अन्य शैक्षणिक-प्रतियोगिता में भी प्रतिभागिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को शिविर एवं विशेष कक्षा आदि की अवधि में विश्वविद्यालय में उपस्थित माना जायेगा। प्रतियोगिता से सम्बद्ध सूचना विभागाध्यक्ष/ पीठम्प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में भी सूचना देना अनिवार्य होगा।

13. मातृत्व अवकाश केवल 30 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश छात्रा को परीक्षा में भाग लेने एवं छात्रवृत्ति के लिए मान्य होगा। मातृत्व-अवकाश के लिए संबंधित-छात्रा को आवेदनपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदनपत्र के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

14. शिक्षाशास्त्री-कक्षा में प्रविष्ट-छात्रों की विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम के समय 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस कार्यक्रम के दौरान पंजीकृत-चिकित्सा-अधिकारी द्वारा छात्र के अस्वस्थता-प्रमाणपत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय-अवकाश प्रदान किया जा सकता है। सम्बन्धित-माह में विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति के साथ विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम में सम्मिलित-पर्यवेक्षक-अध्यापक की संस्तुति के आधार पर पीठम्प्रमुख द्वारा प्रदान की गई संस्तुत-प्रार्थनापत्र को छात्र द्वारा शिक्षाशास्त्र विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित-अवधि पर प्रार्थनापत्र जमा न करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आकस्मिक-अवकाश एवं चिकित्सकीय-अवकाश 90% उपस्थित में नही जोड़ा जाएगा। इनका उपयोग छात्र का नाम निरस्त न हो, इस दृष्टि से किया जाएगा।

15. शिक्षाचार्य-कक्षा में प्रति-सेमेस्टर छात्रों की 80% उपस्थिति सैद्धान्तिक-कक्षाओं में अनिवार्य होगी।

16. शिक्षाचार्य कक्षा में लघु-शोधप्रबन्ध पूर्ण करके जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र को पुनः प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षाचार्य-पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा।

17. कुलपति द्वारा मेधावी-छात्रों को विशेष-परिस्थिति में 5 प्रतिशत तक की उपस्थिति में छूट विभागाध्यक्षों एवं पीठम्प्रमुख की संस्तुति पर प्रदान की जा सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को विश्वविद्यालय में यथावत् लागू माना जायेगा।

परिचय-पत्र

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट-छात्रों को परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें छात्रों का सम्पूर्ण-विवरण उनके छायाचित्र के साथ अंकित रहता है। छात्रों को परिचय-पत्र के लिए प्रवेश आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि परिचय-पत्र की सभी सूचनाएँ आवेदनपत्र से एकत्रित की जाती है। प्रवेश आवेदनपत्र के साथ परिचयपत्र विवरण-प्रपत्र साथ जमा कराना होगा।

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट-छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परिचयपत्र शैक्षणिक अनुभाग से प्राप्त करें तथा विश्वविद्यालय -परिसर में एवं बाहर हर समय अपने साथ रखें।

परिचयपत्र के खो जाने पर एफ.आई.आर. की प्रति शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में जमा कराकर रुपये 100/- शुल्क-राशि-लेखा-विभाग में जमा करवाकर दूसरा परिचय-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

समस्त छात्रों को सत्रीय-परीक्षा के समय परीक्षा-प्रवेशपत्र के साथ अपना परिचयपत्र अवश्य लाना अनिवार्य होगा । बिना परिचयपत्र एवं परीक्षा प्रवेशपत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी । परीक्षा-प्रवेशपत्र हेतु रुपये 50/- शुल्क-राशि लेखा-विभाग में जमा करने के उपरान्त परीक्षा-प्रवेशपत्र की द्वितीय-प्रति परीक्षा-विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।

परीक्षा-प्रवेश-पत्र प्राप्त करने हेतु सभी छात्रों को पुस्तकालय एवं अन्य सम्बन्धित-विभागों से अदेयता-प्रमाण-पत्र (नो डयूज) प्राप्त कर अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-विभाग में जमा करना होगा। तदुपरान्त ही परीक्षा-प्रवेश-पत्र जारी किया जायेगा ।

प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं अन्य विशेष प्रावधान

भारत सरकार के आरक्षण-सम्बन्धी-प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	आरक्षण वर्ग	आरक्षण प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति (एस.सी.)	15%
2	अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)	7.5%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) (नॉन-क्रीमिलेयर)	27%
4	आर्थिक कमजोर श्रेणी (ई.डब्लू.एस.)	10%
5	दिव्यांग श्रेणी	04%

विशेष क्रीडा-दक्ष (अन्तर्विश्वविद्यालयीय और अन्तर्राज्यीय स्तर के खिलाड़ी) अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कश्मीरी-विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों के लिए छूट एवं आरक्षण भारत-सरकार के निर्देशानुसार देय होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रवेशार्थ अर्हता-परीक्षा के प्राप्त अकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी। एन.सी.सी. के 'बी' सर्टिफिकेट तथा 'सी' सर्टिफिकेट के प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों को 5% छूट होगा। विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बच्चों को विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। शिक्षा मन्त्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरक्षण नीति से सम्बन्धित समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् लागू माना जायेगा।

(अ.) शिक्षाशास्त्री / शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित स्थानों में भारत सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से स्थान आरक्षित हैं। यथा-

❖ अनुसूचित जाति	15% प्रतिशत
❖ अनुसूचित जनजाति	7.5% प्रतिशत
❖ दिव्यांगजन वर्ग (OH /HH/VH)	5% प्रतिशत (Horizontally reservation)
❖ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	27% प्रतिशत
❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग	10% प्रतिशत
अन्य प्रावधान (सामान्य सीटों से)	
❖ कश्मीरी प्रवासी/अप्रवासी	5% प्रतिशत
❖ युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल/मृत-व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं **(प्रमाणपत्र में हत आहत व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित है।)**	3% प्रतिशत
• खिलाड़ियों (राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय एवं अंतर राज्य स्तरों की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु)	2% प्रतिशत
• श्री ला.ब.शा.रा. संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत	2% प्रतिशत

अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चे/पति/पत्नी

- श्री ला.ब.शा.रा. संस्कृत विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शास्त्री / आचार्य/ शिक्षाशास्त्री कक्षा के छात्र — 20 प्रतिशत

सूचना-

- ➢ उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक अपने आरक्षण-प्रमाणपत्र को स्वप्रमाणित करके आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें:, अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ➢ आरक्षित-श्रेणी के अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त-स्थानों की पूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार को जाएगी।

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित-स्थानों में भारत सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से स्थान आरक्षित हो यथा-

❖ अनुसूचित जाति	15% प्रतिशत
❖ अनुसूचित जनजाति	7.5% प्रतिशत
❖ दिव्यांगजन वर्ग (OH /HH/VH)	5% प्रतिशत (Horizontally reservation)
❖ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	27% प्रतिशत
❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग	10% प्रतिशत
अन्य प्रावधान (सामान्य सीटों से)	
❖ कश्मीरी प्रवासी/अप्रवासी	5% प्रतिशत
❖ युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल/मृत-व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं **(प्रमाणपत्र में हत आहत व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित है।)**	3% प्रतिशत

सूचना-

- ➢ उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक अपने आरक्षण-प्रमाणपत्र को स्वप्रमाणित करके आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें:, अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

उच्चतर-शिक्षण-संस्थानों में गुणवत्ता चेतना के संवेग को बनाये रखना कठिन है। वास्तव में आन्तरिक गुणवत्ता-आवश्वासन-प्रकोष्ठ सांस्थानिक-स्तर पर उच्च-शिक्षा में गुणात्मक-संस्कृति के निर्माण एवं उसे सुनिश्चित करने की प्रविधि के रूप में ग्रहण की गई है। प्रत्येक उ०शि०सं० में उपयुक्त संरचना एवं प्रक्रिया से युक्त एक आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें लाभ-प्राप्तकर्ताओं की विभिन्न-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन निहित हो। विश्वविद्यालय के आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ का अभिप्राय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक-गुणवत्ता को बनाए रखने एवं इसकी अभिवृद्धि-हेतु योजना एवं निर्देशिका का निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रगति के मूल्यांकन से है।

विश्वविद्यालय में 03 दिसम्बर, 2009 को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' एवं 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' (NAAC) के निर्देशानुसार आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय के लिए एक सुविधा प्रदायी और सहभागी-अंग के रूप में सतत-कार्यरत है। यह विश्वविद्यालय में निहित-न्यूनताओं को दूर करने के लिए रणनीति का विकासकरती रहती है, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्राशासनिक-गुणवत्ता में वृद्धि सम्भव हो। यह सदैव उत्प्रेरक-शक्ति का कार्य करने की दिशा में अग्रसर है।

इस प्रकोष्ठ का गठन विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में किया गया है। विश्वविद्यालय-स्तर पर अध्यक्ष की सहायता के लिए एक वरिष्ठ-संकाय-सदस्य प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। निदेशक इस प्रकोष्ठ के कार्य को अपने निर्धारित-कार्यभार के अतिरिक्त-कार्य के रूप में करते हैं।

आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ विभिन्न-स्तरों पर कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करता है। ये सभी आयोजन विश्वविद्यालय के गुणवत्ता-विकास को केन्द्र बनाकर समायोजित किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को उत्तरोत्तर बढ़ाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया-कलापों से साक्षात् या अपरोक्षरूप से प्रभावित होने वाले सभी सहभागियों से आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ नियमितरूप में प्रतिक्रियायें प्राप्त करता है। प्रतिक्रियाओं को नियमितरूप से प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विभिन्न-सहभागियों (छात्र, अध्यापक, सहायक कर्मचारी, अभिभावक, भूतपूर्व-छात्र, सेवानिवृत्त अध्यापक) के लिये प्रतिक्रिया आवेदन-पत्र प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, जिन्हें भरकर आनलाईन एवं ईमेल आदि माध्यमों से निदेशक को भेजने की सुविधा सुलभ है। इन माध्यमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय -वेबसाईट पर फेसबुक-एकाउण्ट भी उपलब्ध कराया गया है, जहाँ पर प्राप्त-प्रतिक्रिया की समीक्षा कर आई.क्यू.ए.सी.विश्वविद्यालय की सर्वविध-विकास की दिशा में अनवरत-संलग्न है।

सतर्कता अधिकारी

भारत-सरकार के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में सतर्कता-अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो छात्रों, अध्यापकों एवं शिक्षकेतर-कर्मचारियों के सम्बन्ध में गोपनीय-प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा, आचार्य, ज्योतिष विभाग विश्वविद्यालय में सर्तकता-अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

शिकायत-समिति

विश्वविद्यालय में शिक्षारत-छात्राओं एवं कार्यरत-महिलाओं की सुरक्षा, उनके साथ भेद-भाव-सम्बन्धी शिकायतों का विश्वविद्यालयीय-स्तर पर निस्तारण तथा महिला-उत्पीड़न के रोकथाम के लिए **'शिकायत-समिति'** का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में किया गया है।

पाण्डुलिपि संग्रहालय

विश्वविद्यालय में पाण्डुलिपि संग्रहालय है, जिसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 1697 पाण्डुलिपियाँ है। ये पाण्डुलिपियाँ संस्कृत-साहित्य के विभिन्न शाखाओं- वेद, उपनिषद्, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, वेदान्त, सांख्ययोग, न्याय, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत, एवं आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित हैं। देवनागरी-लिपि की पाण्डुलिपियों का सूचीसंग्रह 'विशदपाण्डुग्रन्थसूची भाग-1' प्रकाशित किया गया है ।

वराह-मिहिर-वेधशाला

विश्वविद्यालय के ज्योतिष-विभाग के छात्रों को ज्योतिष के प्रायोगिक-ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय -परिसर में ज्योतिष-वेधशाला का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण जन्तर-मन्तर, जयपुर की वेधशाला के पूर्व-अध्यक्ष राष्ट्रपति-सम्मानित म.म. स्वर्गीय पं. कल्याणदत्त शर्मा ने किया है। इस वेधशाला में निर्मित कर्कवलय, तुलावलय एवं मकरवलय से ग्रहों के भोगांशों का ज्ञान, भित्तियन्त्र तथा चक्रयन्त्र से क्रान्ति का ज्ञान, नाडीवलय-यन्त्र से स्थानीय-काल का ज्ञान, सम्राट-यन्त्र से ग्रहों के याम्योत्तरलंघनकाल एवं स्थानीयकाल व मानककाल का ज्ञान तथा भारतीय-तारामण्डल से नतांश, अक्षांश क्रान्त्यंश आदि विभिन्न-मानकों का ज्ञान दिया जाता है।

कर्मकाण्ड-यज्ञशाला एवं देवसदनम्

विश्वविद्यालय में एक कर्मकाण्ड-यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें राजधानी के योजकों के लिये डिप्लोमा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यज्ञशाला में निरन्तर यज्ञानुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पारम्परिक-अभिकरण 'वृहस्पतिभवन' में संरक्षित है, जबकि देवसदनम् में वैदिक विधि विधान से स्थापित-देवप्रतिमाएं वैदिक-संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए विद्यार्थियों को कर्मकण्ड एवं पौरोहित्य के प्रायोगिक-पक्ष में पूर्व-दक्षता प्राप्त करने का स्थान एवं अवसर प्रदान करती है।

अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा-वर्ग-विशेष-प्रकोष्ठ

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति और अन्य-पिछड़ा-वर्ग के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष-प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । विश्वविद्यालय, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' एवं 'भारत सरकार' की आरक्षण-संबन्धी-नीतियों का अनुपालन करता है । प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित-जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, कर्मचारियों को स्टाफ-क्वार्टर और छात्रों को छात्रावास आवंटन में भी आरक्षण के प्रावधानों को लागू किये जाने की स्थिति की देख-रेख की जाती है । चयन एवं पदोन्नति के समय पर भी विश्वविद्यालय में आरक्षण-नीति का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग करता है । उपर्युक्त सभी स्थितियों में भारत सरकार की सभी आरक्षण-नीतियों को पूर्णत: लागू करने के लिए विश्वविद्यालय में अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति-प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । प्रो. नीलम ठगेला, ज्योतिष विभाग को अनुसूचित-जाति एवं जनजाति-प्रकोष्ठ का सम्पर्क-अधिकारी तथा डा. सुरेन्द्र महतो, शिक्षाशास्त्र विभाग को अन्य पिछड़ा वर्ग का सम्पर्क अधिकारी मनोनीत किया गया है।

प्रकोष्ठ के मुख्य उद्देश्य

1. विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए आरक्षण-नीति को लागू करना ।
2. विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक पदों पर चयन के समय लागू नीतियों के ऑकड़े संग्रह करना।
3. भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य-हेतु निर्धारित-उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति-हेतु प्रयास करना ।
4. विश्वविद्यालय में आरक्षण-नीति के लगातार लागू करने, नियन्त्रण एवं मूल्यांकन-हेतु भारत-सरकार की नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावशाली-कार्यान्वियन के लिए योजना बनाना ।

संगणक केन्द्र

संगणक-केन्द्र-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को संगणक-सम्बन्धित-सुविधा प्रदान करता है। यह उनके शैक्षणिक क्रियाकलापों एवं शोधकार्य में सहायता करता है। यह केन्द्र विश्वविद्यालयीय-प्रांगण में स्थित विभागों, प्राशासनिक-भवनों, छात्रावास, अतिथि-आवास, इत्यादि में संगणक-सम्बन्धी-नेटवर्क का प्रबंधन भी देखता है। संगणक-केन्द्र द्वारा ववित्तपोषित-संगणक-प्रयोग-पाठ्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

1. संगणक-केन्द्र विश्वविद्यालय में कम्प्यूटिंग-सुविधा, ई-मेल, वेबसाइट होस्टिंग, विकास एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है ।
2. यह अपने मूल्यवान-डेटा का विश्लेषण पाने के लिए शोधकर्ताओं की मदद करता है । इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है ।
3. वर्ल्ड-वाइड-वेब का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है, तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए लैब की सुविधा प्रदान करता है ।

स्वास्थ्य केन्द्र

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएँ और स्वास्थ्य जाँच प्रदान करने के लिए समर्पित है। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित, स्वास्थ्य केंद्र में अनुभवी डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हैं जो सामान्य स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन उपचार और दंत चिकित्सा देखभाल सहित विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं।

शुल्क-वापसी एवं सुरक्षित-धनराशि-सम्बन्धी-नियम

यदि कोई छात्र जिस अध्ययन-कार्यक्रम में नामांकित है, उस अध्ययन-कार्यक्रम से अपना नाम वापस / निरस्त कराना चाहता है तो छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क के प्रतिदाय के लिए शैक्षणिक-विभाग को फीस की वापसी के लिए यू.जी.सी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित निर्धारित पाँच-स्तरीय प्रणाली का पालन किया जाएगा:-

क्रमांक	कुल फीस की वापसी का प्रतिशत	समय, जब प्रवेश की वापसी की सूचना संस्था को प्राप्त हुई
1	शतप्रतिशत	प्रवेश की अंतिम-तिथि को औपचारिकरूप से प्राप्त होने का समय
2	90%	प्रवेश की अंतिम-तिथि को औपचारिकरूप से अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों से कम
3	80%	प्रवेश की अंतिम-तिथि को औपचारिकरूप से अधिसूचित किए जाने से 15 दिन।
4	50%	प्रवेश की औपचारिकरूप से अधिसूचित-अंतिम-तिथि से 15 से अधिक परन्तु 30 दिन पूर्व
5	00 %	प्रवेश की औपचारिकरूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 30 दिनों के पश्चात्

नोटः- अवधान-राशि तथा प्रतिभूति-जमाराशि, जोकि प्रभार-योग्य-शुल्क का भाग नहीं है, उनका पूर्णतः प्रतिदाय किया जाएगा।

उपर्युक्त तालिका में मद (1) के मामले में प्रतिदाय-योग्य-राशि में से संसाधित किए जाने हेतु प्रभार के रूप में छात्र द्वारा प्रदत्त-शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक राशि की कटौती नहीं की जायेगी ।

(क) यदि प्रवेश-प्राप्त-छात्र विश्वविद्यालय को छोड़कर चला जाएगा, तो सुरक्षित-धनराशि के अतिरिक्त लिया हुआ कोई भी शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। यदि छात्र एक पाठ्यक्रम छोड़कर विश्वविद्यालय में ही दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसे कुलशुल्क का 50 प्रतिशत काटकर दूसरे नामांकन में समावेश किया जा सकेगा।

(ख) सुरक्षित-धनराशि परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद अथवा सत्रावसान पर ही लौटाई जाएगी।

(ग) लेखा-विभाग में रसीद की मूल-प्रति प्रेषित करने पर ही पुस्तकालय/छात्रावास सुरक्षित-धन वापस लौटाया जायेगा।

(घ) ग्रीष्मावकाश में जो छात्र ग्रन्थालय की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षित-धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

विशेष: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश यथावत् लागू माने जायेंगे।

छात्र-परिषद्

विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में दृढ़-संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक-विकास के लिए, नियमित एवं संगठित-जीवन के लिए, अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक-वर्ग के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, छात्र-परिषद् की स्थापना की गई है। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के लिए विश्वविद्यालय में एक छात्र परिषद् गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. छात्र कल्याण पीठ प्रमुख, जो छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा।
2. 20 छात्र विद्या परिषद् द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो अध्ययन, खेलकूद, पाठयेतर गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर नामित किए जाएंगे।
3. छात्रों द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में 20 छात्रों को चयन किया जायेगा।

अन्य प्रावधानः-

1. छात्रकल्याण-परिषद् छात्र-वर्ग की शैक्षणिक-गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों पर नियमानुसार उचित-कार्यवाही-हेतु अपना प्रस्ताव लिखित रूप में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, पीठम्प्रमुख के माध्यम से सम्पर्क अधिकारी-छात्र शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेंगे, जो अपनी विशेष-टिप्पणी के साथ सम्बन्धित-प्रस्ताव को छात्रकल्याण-पीठम् को प्रेषित करेंगे। पीठम्प्रमुख, छात्रकल्याण-पीठम्-प्रस्तुत शिकायत की समीक्षा करने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम-कार्यवाही-हेतु कुलपति महोदय / कुलसचिव महोदय को प्रेषित करेंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 में दिये गये सुझावों के अनुरूप छात्रों को आत्मानुशासन का पालन भी करना होगा और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी होगी।
3. छात्रों के किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उनके विरुद्ध यथोचित-अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर-दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी प्रमाणित होने एवं अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर छात्र को छात्रकल्याण-परिषद् से निष्कासित भी किया जा सकता है।
4. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि कोई छात्र यदि परिसर की सम्पति का नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक-कार्यवाही का योग्य माना जायेगा तथा नुकसान की गई सम्पत्ति की भरपाई के लिए सम्बन्धित छात्र या छात्र-समूह जिम्मेदार होगा।
5. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि सभी छात्र विश्वविद्यालय परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। किसी भी अवांछित-गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, जो परिसर की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा।
6. परिसर में स्वयं या अन्य छात्रों के द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति-भंग करने, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास करने पर अनुशासन-समिति उस छात्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक-अनुशासनात्मक-कार्यवाही कर सकती है।
7. छात्र-कल्याण-परिषद् का गठन प्रत्येक शैक्षणिक-वर्ष में प्रविष्ट प्रत्येक-विषय के छात्रों की विगत-परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित-वरीयताक्रमानुसार सूची से किया जायेगा।
8. छात्रकल्याण-परिषद् प्रत्येक छात्र को प्रेरित करेगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर छात्रों के लिए आयोजित समस्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक-कार्यक्रमों में ज्ञान-वर्धनार्थ भाग लेंगे।
9. छात्रकल्याण-परिषद् के गठन, संचालन एवं अन्य क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा आवश्यक-निर्णय लिया जा सकता है। नियमों में किसी विसंगति, अस्पष्टता या आवश्यकतानुसार परिषद् के गठन एवं संचालन-हेतु कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
10. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा।

छात्रवृत्ति नियम

1. उद्‌देश्य

विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख-उद्‌देश्य प्राच्यपद्धति में संस्कृत-शिक्षा-ग्रहण करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

2. छात्रवृत्ति की पात्रता

(क) विश्वविद्यालय में शास्त्री, आचार्य, शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि के छात्रों को पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा में योग्यताक्रम से छात्रवृत्ति दी जाएगी। शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं में छात्रवृत्ति पाने के लिए अन्तिम पूर्व-उत्तीर्ण-परीक्षा में 40 प्रतिशत या विकल्पाधारित-क्रेडिट-प्रणाली के अन्तर्गत उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह नियम शास्त्री एवं आचार्य-कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों पर भी लागू होगा।

(ख) शिक्षाशास्त्री-छात्रों की छात्रवृत्ति की अर्हता के लिए शास्त्री या बी.ए. (संस्कृत) की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत-अंक अपेक्षित होंगे। छात्रवृत्तियों का वितरण 80 प्रतिशत परम्परागत-धारा के छात्रों का तथा 20 प्रतिशत आधुनिक-धारा के छात्रों में किया जायेगा। आरक्षित-श्रेणी के छात्र अपनी-अपनी धाराओं में ही समाहित होंगे।

(ग) शिक्षाचार्य-कक्षा में प्रविष्ट-छात्रों को छात्रवृत्ति पाने के लिए अन्तिम पूर्व-परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत-अंक होना अनिवार्य है।

(घ) छात्रवृत्ति वरीयता-क्रम से स्वीकृत की जायेगी। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य-पिछड़ा-वर्ग के छात्रों को आरक्षण-नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत-सीमा के अनुसार प्रत्येक कक्षा में छात्रवृत्ति देय होगी। परन्तु उन्हें छात्रवृत्ति पाने हेतु पूर्व-परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम-अंक पाना अनिवार्य होगा।

(ङ) छात्रवृत्ति का निर्धारण छात्रवृत्ति-समिति के द्वारा संस्तुति के उपरान्त किया जाता है। छात्रवृत्ति-समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. समस्त पीठम्प्रमुख
2. छात्रकल्याण पीठम्प्रमुख
3. सम्पर्क-अधिकारी, छात्र-शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ
4. छात्रावासाधिष्ठाता
5. सम्पर्क-अधिकारी, अनुसूचित-जाति /जनजाति-प्रकोष्ठ
6. सहायक-कुलसचिव (शैक्षणिक)
7. सहायक-कुलसचिव (लेखा)
8. अनुभाग-अधिकारी (शैक्षणिक) संयोजक

(च) जिन छात्रों को पाठ्यक्रमों के प्रथमवर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, उनको पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष तक छात्रवृत्ति में सभी प्राथमिकता दी जायेगी, यदि वे प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के योग्यता-क्रम में आएंगे। उनको एतदर्थ कम से कम 40 प्रतिशत अंक रखना अनिवार्य होगा, एतदर्थ उन्हें भी नियमानुसार-आवेदन करना होगा।

(छ) छात्रवृत्तियों की स्वीकृति छात्रों द्वारा उत्तीर्ण-परीक्षा में प्राप्त-अंकों के आधार पर योग्यताक्रम से छात्रवृत्ति-समिति की अनुशंसा पर की जायेगी। माईग्रेशन एवं संबंधित कक्षा / सेमेस्टर की अंक तालिका शैक्षणिक-विभाग में निर्धारित-समय के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ज) छात्रवृत्तियाँ शेष हो, तो द्वितीय या तृतीयवर्ष की कक्षाओं में प्रविष्ट उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है, जिनको पूर्व वर्षों में छात्रवृत्ति न मिली हो तथा वे अर्हता पूरी करते हो।

(झ) किन्हीं कारणवश छात्रवृत्ति निलम्बित या निरस्त होने पर पुनः चालू करने हेतु कुलपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ञ) छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जायेगी, जिनकी प्रतिमाह न्यूनतम-उपस्थिति 75% होगी।

3. छात्रवृत्तियों की संख्या एवं राशि

विश्वविद्यालय -बजट में प्रावधान होने, धनराशि की उपलब्धता, कुलपति की स्वीकृति एवं पाठ्यक्रम के चलते रहने पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित-संख्या में छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होगी।

1.	शास्त्री सम्मानित (बी.ए.)	योग्यताक्रम सें 120 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष	800/- रुपये मासिक
2.	आचार्य (एम.ए.)	25 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष / प्रतिविषय में	1000/- रुपये मासिक
3.	शिक्षा शास्त्री (बी.एड्.)	60 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष	800/-रुपये मासिक
4.	शिक्षाचार्य (एम.एड्.)	13 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष	1000/- रुपये मासिक
5.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.)	नॉन नेट फैलोशिप/	8000/- रूपये मासिक
		अन्य व्यय	8000/- रूपये प्रति वर्ष

4. छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम

(क) अग्रिम-वर्ष में छात्रवृति उत्तम-शैक्षणिक-प्रगति, चरित्र एवं नियमित 75 प्रतिशत उपस्थिति (कम से कम 75 प्रतिशत प्रति सेमेस्टर) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) प्रथमवर्ष में प्रवेश-प्राप्त एवं पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होकर द्वितीय, तृतीयवर्ष में प्रवेश-प्राप्त छात्रों का प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए चुनाव किया जाएगा। छात्रवृत्ति पाने वाले जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या किसी खण्ड में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको अग्रिम-वर्ष या अग्रिम-कक्षा में छात्रवृत्ति योग्यता-क्रम से ही प्रदान की जाएगी।

(ग) इन नियमों के अन्तर्गत **किसी भी छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को किसी अन्य-स्थान से छात्रवृत्ति, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करने की छूट नहीं होगी।** अन्यत्र से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व उसे वह छात्रवृत्ति छोड़नी होगी और यदि कोई धन प्राप्त किया हो, तो वह वापस करना होगा, परन्तु वर्षभर में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि के बराबर तक कोई नगद या किसी अन्यरूप में आकस्मिक-पुरस्कार प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति पाने के लिए अयोग्य नहीं होगा। इसीप्रकार छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क-शिक्षा, छात्रावास, पुस्तकें एवं यातायात में सुविधा प्राप्त करने की अनुमति भी होगी।

(घ) विश्वविद्यालय के नियमित-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट-छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(ङ.) निर्धारित-समय-अवधि में जो छात्र निष्क्रमण-प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति के लिए अर्ह होने पर भी तब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक वे निष्क्रमण प्रमाणपत्र उसी सत्र में प्रस्तुत नहीं कर देते। सत्रान्त के बाद निष्क्रमण-प्रमाणपत्र जमा करने पर पूर्व-सत्र की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(च) छात्रवृत्तियों की प्राप्ति और उनको जारी रखने के लिए प्रत्येक कक्षा में नियमानुसार 75 उपस्थिति और विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा-पालन अनिवार्य-शर्त होगी। अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर छात्रवृति निरस्त की जा सकेगी।

(छ) उत्तम आचरण तथा उपस्थिति में नियमित पाठ्यक्रम के मध्य छात्रवृत्ति को चालू करने की शर्ते हैं। किसी कक्षा में 75 प्रतिशत से कम उपस्थित होने वाले छात्र को तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह उपस्थिति की कमी को उसी सत्र में पूर्ण कर 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं कर लेता। प्रत्येक माह में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 75% उपस्थिति-नियम पूर्णत: लागू होगा।

(ज) 10 दिन से अधिक निरन्तर अनुपस्थिति रहने पर उस माह की छात्रवृत्ति निरस्त हो जाएगी। अन्य स्थितियों में भी10 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित होने पर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

(झ) एन.सी.सी./एन.एस.एस. शैक्षणिक एवं खेलकूद-प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित छात्र को उस अवधि का अवकाश मिलेगा। परन्तु एन.सी.सी. प्रभारी/क्रीडा प्रभारी/प्रतियोगिता प्रभारी के माध्यम से इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी,जिससे उसकी उपस्थिति की गणना की जा सके।

शोधकार्य-हेतु छात्रवृत्ति-भुगतान नियम

उपर्युक्त-नियमों के साथ-साथ सामान्यतः कुल उपस्थितियों तथा प्रगति-विवरण के आधार पर सम्बन्धित-शोधनिर्देशकों, विभागाध्यक्षों, पीठम्प्रमुखों की अनुशंसा एवं शोध-समीक्षा-समिति द्वारा संतोषजनक-शोधप्रगति के मूल्यांकन पर छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश प्रत्येक त्रैमासिक के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। पञ्जीकरण-तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी। त्रैमासिक-प्रगति-विवरण निर्धारित-समय-अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय में समय-समय पर होने वाले शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक-कार्यक्रमों में भी सभी शोधछात्रों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। अनुशासन-सम्बन्धी-नियमों का उल्लंघन करनेवाले तथा अनुचित-आचरण करनेवाले छात्रों को विश्वविद्यालय तथा छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा और छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

छात्रवृत्ति की प्राप्ति और उसको जारी रखने के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति, प्रगति-विवरण में दिये गये निर्देशों एवं विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा-पालन अनिवार्य-शर्त होगी। जिस माह की उपस्थिति 75% से कम होगी, उस माह की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की अवधि

नॉन नेट फैलोशिप का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित नियमों का शोध छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. छात्रवृत्ति के लिए चुनाव प्रक्रिया

(क) प्रविष्ट-छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदनपत्र भरकर विश्वविद्यालय -कार्यालय में निर्धारित-तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदनपत्र प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति-प्रदान करने के लिए दिये गये नियमों के अन्तर्गत योग्यताक्रम से विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति-समिति छात्रवृत्ति स्वीकार करेगी।

(ख) छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र प्रवेश लेने के 10 दिन के अन्दर शैक्षणिक-अनुभाग-कार्यालय में जमा कराने होंगे।

6. छात्रवृत्ति की अवधि

(क) सामान्य छात्रवृत्ति की अवधि एक शैक्षणिक-सत्र में अधिकतम 10 माह के लिये होगी। **जिसका भुगतान शैक्षणिक-वर्ष में दो किस्तों में किया जायेगा। प्रत्येक सेमेस्टर मे 05 माह की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित-छात्र की प्रवेश-तिथि से लेकर परीक्षा-समाप्ति की अन्तिम-तिथि तक की अवधि की गणना की जायेगी ।**

(ख) विद्यावारिधि के लिये नॉन-नेट फेलोशिप की अवधि अधिकतम चार वर्ष के लिये होगी।

(ग) सत्रीय-परीक्षा में अनुपस्थित रहनेवाले छात्र की छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

7. छात्रवृत्ति भुगतान

सामान्यतः कुल उपस्थितियों के आधार पर संकायाध्यक्षों की समिति की अनुशंसा पर कुलपति के आदेशानुसार छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश किया जाएगा। प्रवेश या कक्षा में उपस्थिति में से जो तिथि बाद की होगी, उसी तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी।

विशेष: विश्वविद्यालय में समय–समय पर होने वाले शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक-कार्यक्रमों में भी सभी छात्रों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करनेवाले तथा अनुचित-आचरण करनेवाले छात्रों को विश्वविद्यालय तथा छात्रावास से पृथक् कर दिया जायेगा और छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी।

सह–शैक्षणिक–प्रवृत्तियाँ

विश्वविद्यालय छात्रों की प्रतिभा के बहुआयामी विकास के उद्देश्य से विविध सह-शैक्षणिक-प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिनमें निम्नलिखित-प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं-

1. विशिष्ट-व्याख्यानमालाएँ
2. संगोष्ठियाँ
3. वाग्वर्धिनी एवं धीवर्धिनी-सभा
4. विभागीय-परिषदें
5. विभिन्न-सांस्कृतिक-प्रतियोगिताएँ
6. स्वच्छता-कार्यक्रम
7. योग-दिवस
8. संस्कृत-सप्ताह
9. हिन्दी-पखवाड़ा
10. मातृभाषा-दिवस
11. एक भारत श्रेष्ठ भारत
12. संविधान दिवस

पुस्तकालय

महामहोपाध्याय पद्मश्री मंडनमिश्र ग्रंथालय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शोध–कार्यक्रमों में छात्रों के हित पोषण में सतत–सहभागी एवं सक्रिय रहा है। यह ग्रंथालय अपने आधुनिक एवं पारंपरिक–संग्रहों के लिए विख्यात है। वर्तमान में दो मंजिलें भवन में स्थापित पुस्तकालय में विभिन्न–विषयों की लगभग एक लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद्, योग, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, दर्शन, मनोविज्ञान आदि का श्रेष्ठ–संग्रह इस ग्रंथालय को वास्तव में ज्ञानकोष–भंडार की श्रेणी में ला खड़ा करता है। शोध–पत्रिकाओं एवं सामान्य–पत्रिकाओं तथा समाचार–पत्रों की उपलब्धता छात्रों, अध्यापकों एवं शोध–विद्यार्थियों की अद्यतन–सूचना–आवश्यकता को पूर्ण करती है। संस्कृत–अध्ययन एवं शिक्षण एवं प्रसार हेतु अन्य ग्रंथालय सूची–पाठकों को विशेष–ग्रंथालय सदस्यता भी प्रदान करता है।

पुस्तकालय–शुल्क एवं सुरक्षित–धन

क्रम सं.	कक्षा	शुल्क (रू)	पुस्तकालय सुरक्षित धन (रू)	कुल राशि (रू
1.	शास्त्री (B.A.)	300	1500	1800
2.	बी.ए. (योग)	300	1500	1800
3.	आचार्य (M.A.)	300	1500	1800
4.	एम.ए. हिन्दू-अध्ययन	300	1500	1800
5.	एम.ए. हिन्दी	300	1500	1800
6.	एम.ए. अंग्रेजी	300	1500	1800
7.	एम.ए. (योग)	300	1500	1800
8.	एम.ए. समाजशास्त्र	300	1500	1800
9.	एम.ए. राजनीति विज्ञान	300	1500	1800
10.	एम.ए. पर्यावरण	300	1500	1800
11.	एम.ए. भारतीय ज्ञान परम्परा IKS	300	1500	1800
12.	एम.ए. जैनविद्या अध्ययन	300	1500	1800
13	शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)	300	1500	1800
14.	शिक्षाचार्य (M.Ed.)	300	1500	1800
15.	डिप्लोमा/प्रमाणपत्रीय–पाठ्यक्रम	300	1500	1800
16.	विद्यावारिधि (Ph.D.)	1000	1500	2500
17.	विशेष–सदस्य	2000 (वार्षिक)	3000	5000

सामान्य नियम :

१. ग्रंथालय में केवल पंजीकृत–सदस्य का प्रवेशही मान्य है।

२. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय द्वार पर रखे रजिस्टर की प्रविष्टियों को पूर्ण करके तथा अपना बैग, छाता, पुस्तकें, मुद्रित–सामग्री आदि यथास्थान रखकर ही पुस्तकालय में प्रवेश करें। द्वार पर बैठे कर्मचारियों को अपना प्रवेशपत्र दिखाना अनिवार्य है। बिना प्रवेशपत्र दिखाये पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।

३. ग्रंथालय में व्यक्तिगत–सामग्री तथा मुद्रित पुस्तकों, सी. डी., डी. वी. डी., लैपटाप, झोला, छाता आदि लेकर प्रवेश वर्जित है। उपर्युक्त–सामग्री को यथास्थान पर रखकर ही प्रवेश करें। बहुमूल्य वस्तुएँ, रुपया–पैसा, आभूषण आदि गेट पर न रखें, उसे अपने पास ही रखें। ऐसी वस्तुओं के रखने पर यदि वे गायब हो जायें, तो पुस्तकालय उसका उत्तरदायी नहीं होगा।

४. विद्यार्थी को निर्धारित–अविधि तक के लिए पुस्तक दी जाती है। यदि पुस्तक निर्धारित–अवधि तक नहीं लौटाई गई, तो पुस्तक पर ०१ रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब–शुल्क देना होगा।

५. छात्र को एक ही पुस्तक की दो प्रतियाँ नहीं निर्गत की जायेगी। बिना परिचय–पत्र दिखाये पुस्तक निर्गत नहीं की जायेगी।

६. सामान्यतः स्नातक एवं स्नातकोत्तर–विषयों की पाठ्यपुस्तकें शिक्षाशास्त्री के छात्रों को तथा शिक्षाशास्त्री की पाठ्य–पुस्तकें स्नातक/स्नातकोत्तर–छात्रों को नहीं निर्गत की जायेगी।

७. सन्दर्भ–पुस्तकें, कोश तथा बहुमूल्य–पुस्तकें निर्गत (इशू) नहीं की जाएंगी।

८. पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में पुस्तक लेनेवाले को वैसी ही पुस्तक लेकर देनी होगी अथवा पुस्तकालय के नियमानुसार पाँच गुणा मूल्य चुकाना होगा। पाठक को पुस्तक भलीभाँति देखकर लेनी चाहिए। पुस्तक में दोष पाये जाने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित कर सम्बन्धित–कर्मचारी से हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए। पुस्तक लौटाते समय उसमे पाये जाने वाले दोष का उत्तरदायित्व छात्र पर होगा तथा नई पुस्तक/नियमानुसार मूल्य जमा कराना पड़ेगा।

९. पुस्तकों पर पेन या पेन्सिल आदि से चिह्न बनाना, नाम लिखना अथवा पन्ने फाड़ना वर्जित है।

१०. पुस्तकालय से चोरी–छिपे पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं को बाहर ले जाने अथवा पृष्ठों को फाड़ने की स्थिति में पकड़े जाने पर सम्बन्धित–छात्रों की पुस्तकालयीय–सदस्यता तत्काल समाप्त करके पुस्तकालय में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तथा सुरक्षित–धन जब्त करके अग्रिम–अनुशासनात्मक–कार्यवाही–हेतु भेज दिया जायेगा, जिसमें विश्वविद्यालय से निष्कासन भी सम्मिलित है।

११. वार्षिक–परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें और पुस्तकालय परिचय–पत्र वापस करना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा–प्रवेशपत्र–प्राप्त्यर्थ अदेयता–प्रमाणपत्र नहीं दिए जाएंगे। पुस्तकालय–कार्ड खोने की स्थिति में दुबारा कार्ड बनाने हेतु एक कार्ड के लिये ४० रुपये जमा कराना होगा।

१२. पुस्तकालय–सदस्यता–पत्र अहस्तान्तरणीय हैं। पुस्तकालय द्वारा दिये गये पुस्तकालय–सदस्यता–पत्र का केवल सदस्य–विशेष ही प्रयोग कर सकता है। अन्य–व्यक्ति किसी सदस्य–विशेष के सदस्यता–पत्र पर पुस्तकें नहीं ले सकेगा। ऐसा करने पर सम्बन्धित–छात्र की पुस्तकालय–सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

१३. पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक बैठना एवं अध्ययन करना अपेक्षित है। किसी भी तरह का शोरगुल,उच्च स्वर में बातचीत तथा मोबाइल फोन का प्रयोग भी वर्जित है।

१४. पाठकगण पत्रिकाएँ पढ़कर यथास्थान रखें, बिना स्वीकृति के किसी भी पुस्तक अथवा पत्र–पत्रिका को पुस्तकालय से बाहर ले जाना वर्जित है। पत्रिकाओं को वाचन कक्ष में पढ़ने के लिए अपना परिचय–पत्र देकर प्राप्त कर सकते हैं।

१५. यदि कोई पाठक पुस्तकालयीय पुस्तक पुस्तकालय के अन्दर ही बैठकर पढ़ना चाहे, तो उसे आभ्यन्तर–निर्गमन कराना अनिवार्य है।

१६. पुस्तकालय के नियम–पालन न करने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार पुस्तकालयाध्यक्ष को है।

१७. पुस्तकालय में बुकबैंक की भी व्यवस्था है। शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री–पाठ्यक्रम के छात्रों को सत्रान्त तक दो पुस्तकें निर्गत की जाती है।

१८. यदि आवश्यक हो, तो पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों को समय से पहले भी लौटाने का आदेश दे सकता है।

१९. पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति से एवं कुलपति की स्वीकृति के बाद अन्य विश्वविद्यालयों के शोधछात्र एवं अन्य अध्ययनकर्ता भी पुस्तकालय की विशेष–सदस्यता–शुल्क रुपये 5000/–(2000 वार्षिक शुल्क तथा 3000 रुपये सुरक्षित धन) जमा करके प्राप्त कर सकते हैं।

२०. पुस्तकालय–समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा पुस्तकालय–सम्बन्धी–नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है।

पुरस्कार

विश्वविद्यालय की पाठ्य एवं सहगामी प्रवृत्तियों में भाग लेकर प्रथम-स्थान पानेवाले, परीक्षाओं में सर्वाधिक अङ्कप्राप्त करनेवाले तथा उपस्थिति, प्रगति एवं आदर्श व्यवहार द्वारा पुरस्कारार्हता प्रमाणित करनेवाले छात्रों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणपत्र तथा निम्नलिखित-पदक प्रदान किये जाते हैं-

1. **'पूर्व-राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्णपदक'** - यह पदक कुलपति जी द्वारा नियुक्त विशिष्ट समिति के निर्णय पर विश्वविद्यालय की समस्त प्रवृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ छात्र को दिया जायेगा।
2. आचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'श्रीमती भारती मिश्र स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
3. आचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाली छात्रा को **'श्रीमती शान्ति देवी भार्गव स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
4. साहित्याचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **डॉ. सी. आर. स्वामीनाथन् स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
5. पुराणेतिहासाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'पं. दर्यावप्रसाद शर्मा स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
6. नव्य न्यायाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'पं. हरिराम शुक्ल स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
7. प्राचीनन्यायवैशैषिक आचार्य परीक्षा में सर्वप्रथम सीान प्राप्त आनेवाले छात्र को ''सन्तशिरोमणि श्री पंजाबी भगवान स्वर्णपदक'' दिया जाएगा।
8. सांख्ययोगाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'श्री बी.बी. अग्रवाल स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
9. पौरोहित्याचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'वेदमूर्तिदत्तात्रेयदीक्षित स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
10. वेदान्ताचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्तं करनेवाले छात्र को **'श्रीरामशरणपाण्डेय स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
11. वेदाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. रामकरण शर्मा स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
12. व्याकरणाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'श्रीदत्तभारद्वाज स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
13. जैनदर्शनाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'आचार्य कुन्दकुन्दस्मृति स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
14. सिद्धान्त-फलितज्योतिषाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'श्री संकठाप्रसाद उपाध्याय स्वर्णपदक'** प्रदान किया जायेगा।
15. फलितज्योतिषाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. शुकदेव चतुर्वेदी स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।
16. सिद्धान्तज्योतिषाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'पं. कल्याण दत्त शर्मा स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

17. धर्मशास्त्राचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'पं. लालनकृष्णपण्ड्या स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

18. सर्वदर्शनाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. बदरी नारायण पञ्चोली (प्रणव) स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

19. विशिष्टाद्वैतवेदान्ताचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'श्रीमदुत्तराहोविलराजगुरुचित्रकूटधाम स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

20. शिक्षाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. आशा तिवारी स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

21. प्राकृतभाषा-आचार्य में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. शशिप्रभा जैन' स्वर्णपदक** दिया जायेगा।

22. शास्त्री-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. नीना डोगरा स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

23. शास्त्री-परीक्षा दर्शन-सङ्काय में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'टी.टी. चेरिटेबल-ट्रस्ट स्वर्ण पदक'** दिया जायेगा।

24. शास्त्री-परीक्षा दर्शन-सङ्काय में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'सेवास्वामीनल्लूर श्रीनिवासराघवाचार्य स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

25. शास्त्री-सम्मानित-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'आचार्य रमाकान्त शास्त्री स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

26. विशिष्टाचार्य-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'महन्त रामेश्वरपुरी स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

27. शिक्षाशास्त्री-परीक्षा में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'डॉ. वी. राघवन् स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

28. संस्कृतभाषण-प्रतियोगिता में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'रायबहादुर श्री शिवचरण दास स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

29. अन्त्याक्षरी-प्रतियोगिता में सर्वप्रथम-स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र को **'पं कन्हैयालाल मिश्र स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

30. बी.ए. (योग) में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करनेवाले छात्र को **'जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन माधवाश्रम जी महाराज स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

31. एम.ए. (योग)में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करनेवाले छात्र को **'जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन कृष्णबोधाश्रम महाराज स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

32. शिक्षाशास्त्री अन्तिम वर्ष में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली अनुसुचित जाति की छात्रा को **'स्वर्गीय प्रो. कुसुम यदुलाल स्वर्णपदक'** दिया जायेगा।

33. दर्शनशास्त्र पीठ में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्रा को आचार्य प्रो. पीयूष कांत दीक्षित स्वर्णपदक दिया जाऐगा।

छात्रावास

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) अखिल भारतीय स्तर की शिक्षण-संस्था है। इसमें अध्ययन करने हेतु देश के सभी भागों के छात्र आते हैं। अत: छात्रावास का सञ्चालन विश्वविद्यालय की एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। छात्रावास में प्रवेश के लिए नामांकनोपरान्त छात्रावास-कार्यालय से आवेदनपत्र क्रय करके भरना होगा। इस सम्बन्ध में छात्रावास-नियमावली में उल्लिखित-नियम प्रभावी होंगे।

पारम्परिक विषयों में प्रविष्ट शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्र, शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षा के छात्रों हेतु 100 स्थानीय पुरूष छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध हैं। अन्य छात्रावास की उपलब्धता हेतु प्रयास जारी हैं।

उपाधियों की नामावली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3/1956) के अनुच्छेद (22) के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन तथा डिग्रियों के विनिर्देशन से संबद्ध पिछली सभी अधिसूचनाओं का प्रतिस्थापन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), केन्द्र सरकार की स्वीकृति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन 2014 के अनुसार अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों की नामावली विनिर्देशित की गई है। डिग्रियों का विनिर्देशन 2014 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रदान की वाली उपाधियों के नामावली को निम्नलिखित विवरण के अनुसार है :-

क्र.सं.	विनिर्देशित उपाधि नामावली	हिन्दी भाषा	आग्ल भाषा	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षो में)
1	शास्त्री (बी.ए.) (सम्मानित)	स्नातक (सम्मानित)	Bachelor of Arts (Honours)	बैचलर्स	3/4 वर्ष
2	बी.ए. योग	स्नातक	Bachelor of Arts	बैचलर्स	3/4 वर्ष
3	आचार्य (एम.ए.)	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
4	एम.ए. योग	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
5	एम.ए. हिन्दी	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
6	एम.ए. हिन्दू-अध्ययन	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
7	एम.ए. अंग्रेजी	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
8	एम.ए. समाजशास्त्र	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
9	एम.ए. राजनीति विज्ञान	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
10	एम.ए. पर्यावरण	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
11	एम.ए. भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS)	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
12	एम.ए. जैनविद्या अध्ययन	स्नातकोत्तर	Master of Arts	मास्टर्स	2 वर्ष
13	शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)	स्नातक	Bachelor of Education	बैचलर्स	2 वर्ष
14	शिक्षाचार्य (M.Ed.)	स्नातकोत्तर	Master of Education	मास्टर्स	2 वर्ष
15	विद्यावारिधि (Ph.D)	विद्यावारिधि	Doctor of Philosophy	डॉक्टोरल	3 वर्ष
16	वाचस्पति (D.Litt.)	वाचस्पति	Doctor of Literature	शोधोत्तर	1 वर्ष

प्रवेश हेतु सम्पर्क सूत्रों का विवरण

क्रमांक	पीठम् / विभाग	दूरभाष नं
1	प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी पीठप्रमुख, वेद-वेदांग पीठ निदेशक, 'आन्तरिक-गुणवत्ता-आश्वासन-प्रकोष्ठ' तथा 'कुलानुशासक'	011-46060622
	प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र वेद-विभागाध्यक्ष	011-46060354
	प्रो. रामराज उपाध्याय पौरोहित्य-विभागाध्यक्ष	011-46060356
	प्रो. सुधांशु भूषण पण्डा धर्मशास्त्र-विभागाध्यक्ष	011-46060675
	प्रो. दयाल सिंह व्याकरण-विभागाध्यक्ष	011-46060644
	प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा ज्योतिष-विभागाध्यक्ष	011-46060668
	प्रो. अशोक थपलियाल वास्तुशास्त्र-विभागाध्यक्ष	011-46060615
	प्रो. परमानन्द भारद्वाज नोडल अधिकारी 'रैगिंग-रोकथाम'	011-46060699
2	प्रो. अनेकान्त जैन पीठप्रमुख, दर्शनशास्त्र पीठ	011-46060623
	प्रो. मार्कण्डेयनाथ तिवारी योग-विज्ञान विभागाध्यक्ष	011-46060641
	प्रो. विष्णुपद महापात्र अद्वैतवेदान्त-विभागाध्यक्ष	011-46060575
	प्रो. वीरसागर जैन जैनदर्शन-विभागाध्यक्ष	011-46060576
	प्रो. मार्कण्डेय नाथ तिवारी सांख्ययोग-विभागाध्यक्ष	011-46060562
	प्रो. रामचन्द्र शर्मा न्याय-विभागाध्यक्ष	011-46060551
	प्रो. जवाहर लाल शर्मा सर्वदर्शन-विभागाध्यक्ष	011-46060578
	प्रो. ए. एस. आरावमुदन मीमांसा-विभागाध्यक्ष	011-46060575
	प्रो. के. अनन्ता विशिष्टाद्वैत - विभागाध्यक्ष	011-46060575
3	प्रो. कल्पना जैन पीठप्रमुख, साहित्य एवं संस्कृति पीठ	011-46060624
	प्रो. सुमन कुमार झा	011-46060685

	साहित्य-विभागाध्यक्ष	
	प्रो. कल्पना जैन प्राकृत-विभागाध्यक्ष	011-46060653
	प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल पुराणविद्या-पीठाध्यक्ष	011-46060542
4	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा पीठप्रमुख, आधुनिक विषय पीठ	011-46060526
	प्रो. आदेश कुमर आधुनिक ज्ञान -विभागाध्यक्ष	011-46060460
	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा मानविकी-विभागाध्यक्ष	011-46060515
	प्रो. विष्णुपद महापात्र शोध -विभागाध्यक्ष	011-46060609
	प्रो. राम सलाहि द्विवेदी हिन्दू अधययन -विभागाध्यक्ष	011-46060609
5	प्रो. रचना वर्मा मोहन पीठप्रमुख, शिक्षाशास्त्र-पीठ	011-46060636
6	प्रो. भागीरथि नन्द पीठप्रमुख, शैक्षणिक	011-46060685
7	डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल परीक्षा नियंत्रक	011-46060536
8	प्रो. मार्कण्डेय नाथ तिवारी पीठम् प्रमुख (छात्र कल्याण)	011-46060656
9	प्रो. जवाहर लाल सम्पर्क अधिकारी, एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ	011-46060578
10	डॉ. कान्ता उपकुलसचिव (परीक्षा)	011-46060520
11	डॉ. सुरेन्द्र महतो सम्पर्क अधिकारी, अन्य-पिछड़ा-वर्ग-प्रकोष्ठ	011-46060635
12	डॉ. अभिषेक तिवारी (छात्र वर्ग),एन.सी.सी. अधिकारी डॉ. मिनाक्षी मिश्र (छात्रा वर्ग), एन.सी.सी. अधिकारी	011-46060515
13	श्री बनवारी लाल वर्मा सिस्टम एडमिन्सट्रेटर	011-46060616, 46060645
14	श्री राजेश कुमार सहायक-कुलसचिव (शैक्षणिक)/ शाोध एवं विकास प्रकोष्ठ	011-46060548/503 /542/820
15	श्री सुच्चा सिंह सहायक-कुलसचिव (विकास)	011 46060656
15	डॉ. विजय गुप्ता सहायक आचार्य, सर्वदर्शन विभाग/ जन सम्पर्क अधिकारी	011-46060583
16	श्री आदित्य पंचोली	

पूर्णकालिक-पाठ्यक्रम-शुल्क-तालिका

क्र सं	कक्षा	प्रवेश/ नामाभि -लेखन शुल्क	परिचय-पत्र	परीक्षा-शुल्क	कम्प्यूटर - शुल्क	विविध प्रवृत्तियाँ	विश्वविद्यालय विकास निधि	पुस्तकालय		पत्रिका-शुल्क	क्रीड़ा-शुल्क	संकाय-विकास	छात्र कल्याण कोष	छात्र क.प. शुल्क	पाठ्यक्रम	योग
								शुल्क	सुरक्षित-धन							
1	शास्त्री (बी.ए)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	300	150	50	100	3350
2	बी.ए. (योग)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	7350	150	50	100	10400
3	आचार्य (एम.ए.)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
4	एम.ए. (योग)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	17350	150	50	100	20400
5	एम.ए. (हिन्दू-अध्ययन)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
6	एम.ए. (हिन्दी)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
7	एम.ए. (अंग्रेजी)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
8	एम.ए. (समाजशास्त्र)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
9	एम.ए. (राजनिति विज्ञान)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
10	एम.ए. (पर्यावरण)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	1950	150	50	100	5000
11	एम.ए. (IKS)	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
12	एम.ए. जैनविद्या अध्ययन	200	50	300	100	200	--	300	1500	--	100	400	150	50	100	3450
13	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	250	50	350	100	500	--	300	1500	100	100	2100	150	50	100	5650*
14	शिक्षाचार्य (एम.एड.)	250	50	350	100	500	--	300	1500	100	100	3100	150	50	100	6650
15	विद्यावारिधि (पीएच.डी)	650	50	150	100	200	--	1000	1500	250	100	3700	150	50	100	8000

नोटः- सम्बन्धित छात्र को प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा।

शास्त्री एवं बी.ए. योग, द्वितीयवर्ष एवं तृतीयवर्ष, आचार्य द्वितीयवर्ष, एम.ए. (योग, हिन्दी, हिन्दू-अध्ययन, समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी) द्वितीयवर्ष, शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष, शिक्षाचार्य द्वितीयवर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से **प्रतिवर्ष पुस्तकालय-सुरक्षित-धन छोड़कर सभी-शुल्क ग्राह्य होंगे।** प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा।

आगामी कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर प्रवेश शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण स्वत: निरस्त माना जायेगा।

छात्रावास के शुल्क इसके अतिरिक्त होंगे।

***शिक्षाशास्त्री-** 1. स्काउट-गाईड-प्रशिक्षण के 1500/- 2. विद्यालय-सम्बद्धता-कार्यक्रम / विविध-सामग्री के निमित्त 500/-रुपये से पुस्तकालय सुरक्षित-धनराशि पाठ्यक्रम छोड़ने अथवा पूर्ण होने पर ही वापिस की जायेगी।

अंशकालिक-पाठ्यक्रम-शुल्क-तालिका

क्रसं	कक्षा	प्रवेश/ नामाभि-लेखन शुल्क	परिचय-पत्र	परीक्षा-शुल्क	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क	क्रीडा शुल्क	विश्वविद्यालय विकास- निधि	पुस्तकालय		योग
								शुल्क	सुरक्षित-धन	
1	षाण्मासिक ज्योतिष-प्रवेशिका प्रमाणपत्रीय	275	50	375	-	-	5625	375	1000	7,700
2	एकवर्षीय ज्योतिषप्राज्ञ डिप्लोमा	275	50	375	-	-	6975	375	1000	9,050
3	द्विवर्षीय ज्योतिषभूषण-एडवांस डिप्लोमा	275	50	375	-	-	9125	375	1000	11,200
4	एकवर्षीय भैषज्य ज्योतिष (मेडिकल-एस्ट्रोलॉजी) डिप्लोमा	275	50	375	-	-	6975	375	1000	9,050
5	षाण्मासिक वास्तुशास्त्र प्रमाणपत्रीय	275	50	375	-	-	5625	375	1000	7,700
6	एकवर्षीय वास्तुशास्त्र डिप्लोमा	275	50	375	-	-	6975	375	1000	9,050
7	द्विवर्षीय वास्तुशास्त्र एडवांस डिप्लोमा	275	50	375	-	-	9125	375	1000	11,200
8	द्विवर्षीय पी.जी. वास्तुशास्त्र डिप्लोमा	275	50	375	-	-	9125	375	1000	11,200
9	षाण्मासिक योग प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम	275	50	375	-	100	7825	375	1000	10,000
10	एकवर्षीय पी.जी. योग डिप्लोमा- पाठ्यक्रम	275	50	375	-	100	12825	375	1000	15,000
11	एकवर्षीय पी.जी योग एवं नैचुरोपैथी डिप्लोमा	275	50	375	-	100	12825	375	1000	15,000
12	एकवर्षीय पी.जी संस्कृतभाषा-पत्रकारिता डिप्लोमा	275	50	375	-	-	16675	375	1000	18,750
13	एकवर्षीय संस्कृत-वाङ्मय(दर्शन) डिप्लोमा	275	50	375	-	-	10425	375	1000	12,500
14	षाण्मासिक पौरोहित्य(कर्मकाण्ड) प्रशिक्षण -प्रवेशिका प्रमाणपत्रीय	275	50	375	500	-	5625	375	1000	8,200

15	एकवर्षीय पौरोहित्य(कर्मकाण्ड) डिप्लोमा	275	50	375	1000	-	6975	375	1000	10,050
16	संस्कृत व्याकरण प्रायोगिक-प्रशिक्षण एवं सम्भाषण डिप्लोमा	275	50	375	-	-	6475	375	1000	8,550
17	एकवर्षीय संगणक अनुप्रयोग डिप्लोमा	275	50	375	-	-	7925	375	1000	10,000
18	षाण्मासिक जैनविद्या प्रमाणपत्रीय	275	50	375	-	-	5125	375	1000	7,200
19	एकवर्षीय जैनविद्या डिप्लोमा	275	50	375	-	-	6475	375	1000	8,550
20	षाण्मासिक पाडुलिपि-विज्ञान एवं अभिलेखशास्त्र प्रमाणपत्रीय	275	50	375	-	-	3425	375	1000	5,500
21	पुरालिपि एवं पाण्डुलिपि पाठ्यक्रम	275	50	375			3925	375	1000	6000
22	एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा संगीत (गायन)	275	50	375	-	-	12925	375	1000	15000
23	एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा कथक नृत्य	275	50	375	-	-	12925	375	1000	15000

नोट: किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश-हेतु बाह्य-अभ्यर्थियों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से एकसमान प्रवेश-शुल्क लिया जाऐगा। द्विवर्षीय-डिप्लोमा -पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष शुल्क देना अनिवार्य है।

शैक्षणिक कैलेण्डर 2026-27

(पांच कार्य द्विवसीय सप्ताह के अनुसार)

माह	शिक्षण के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली अन्य गतिविधियों का विवरण	शिक्षण दिवस	भारत सरकार द्वारा घोषित राजपत्रिक अवकाश / अन्य अवकाश
JULY 2026	प्रथम सत्र		
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ **सत्रारम्भ** 08/07/2026 ➢ प्रोन्नत छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क परीक्षा परिणाम घोषित होने के 07 दिन के भीतर (ऑनलाईन माध्यम से) जमा करवाना अनिवार्य होगा। ➢ शास्त्री/बी.ए. योग/आचार्य/एम (योग, हिन्दी,हिन्दू-अध्ययन, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge Systems - IKS) एवं अंग्रेजी)/ शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किया जायेगा। ➢ अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया।	**18**	
AUGUST 2026			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, शास्त्री प्रथम वर्ष, बी.ए. योग प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष, एम.ए.योग प्रथम वर्ष, एम.ए. हिन्दू अध्ययन प्रथम वर्ष, एम.ए. हिन्दी प्रथम वर्ष, एम.ए समाजशास्त्र प्रथम वर्ष, एम.ए, अग्रेजी प्रथम वर्ष, राजनीतिविज्ञान प्रथम वर्ष, भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge Systems - IKS) प्रथम वर्ष, एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों का सत्रारंभ। ➢ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन ➢ संस्कृत-सप्ताह का आयोजन ➢ संस्कृत दिवस ➢ साम्प्रदायिक सद्भाव दिवस	**20**	15/8/2026 स्वतंत्रता दिवस (शनिवार) 26/08/2026 ईद-ए-मिलाद (बुधवार)

SEPTEMBER 2026			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	➢ स्वच्छता पखवाडा ➢ हिन्दी सप्ताह ➢ शिक्षक दिवस ➢ 14 सितम्बर से 30 सितम्बर 2026 तक मध्यावधि परीक्षा	**21**	04/09/2026 जन्माष्टमी (शुक्रवार)
OCTOBER 2026			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जन्म-दिवस -समारोह ➢ स्वच्छ-भारत-अभियान ➢ सर्तकता जागरूकता सप्ताह ➢ राष्ट्रीय एकता सप्ताह	**14**	02.10.2026 श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जन्म-दिवस शारदीय पूजा अवकाश 12.10.2026 से 20.10.2026 (09 दिन) दशहरा 20/10/2026 (मंगलवार)
NOVEMBER 2026			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	➢ परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम सप्ताह में समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा हेतु (ऑनलाईन माध्यम से) परीक्षा आवेदन आमंत्रित करना। तथा परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करना। ➢ राष्ट्रीय जागरूकता दिवस का आयोजन ➢ युवा दिवस का आयोजन ➢ अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ➢ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन ➢ जनजातीय गौरव दिवस ➢ संविधान दिवस का आयोजन ➢ 26.11.2026 से 30.11.2026 तक परीक्षा हेतु अध्ययन अवकाश।	**17**	दीपावली 08/11/2026 (रविवार) 24/11/2026 गुरू नानक देव जन्म-दिवस (मंगलवार)
DECEMBER 2026			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ सशस्त्र सेना झंडा दिवस ➢ वीर बाल दिवस ➢ 01.12.2026 से 24.12.2026 तक नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा।	**00**	क्रिस्मस डे 25/12/2026 28.12.2026 से 01.01.2027 तक शीतावकाश (05 दिन)
	कुल शैक्षणिक-दिवस	**90**	

महीना	शिक्षण के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली अन्य गतिविधियों का विवरण	शिक्षण दिवस	भारत सरकार द्वारा घोषित राजपत्रिक अवकाश / अन्य अवकाश
JANUARY 2027	द्वितीय सत्र (२०२६-२०२७)		
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ 04.01.2027 **से द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर सत्र का सत्रारंभ।** ➢ श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस ➢ पराक्रम दिवस ➢ राष्ट्रीय मतदान दिवस ➢ गणतंत्र दिवस का आयोजन ➢ शहीदी दिवस ➢ विवेकानन्द जयंती	**19**	26/01/2027 गणतंत्र-दिवस (बुधवार)
FEBRUARY 2027			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	➢ सरस्वती पूजा ➢ मातृ भाषा दिवस ➢ विभागों द्वारा संगोष्ठी/ कार्यशाला/ व्याख्यानमाला का आयोजन। ➢ 22 फरवरी से 05 मार्च 2027 तक मध्यावधि परीक्षा	**20**	
MARCH 2027			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ विभागों द्वारा संगोष्ठी/ कार्यशाला/ व्याख्यानमाला का आयोजन।	**20**	10/03/2027 ईद-उल-फित्र (बुधवार) 22/03/2027 होली (सोमवार) 26/03/27 गुड फ्राईडे (शुक्रवार)
APRIL 2027			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		**20**	15/04/2027 रामनवमी (गुरूवार) 19/04/2027 महावीर जयन्ती (सोमवार)
MAY 2027			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	➢ 17.05.2027 से 21.05.2027 तक परीक्षा हेतु अध्ययन अवकाश। ➢ दिनांक 24.05.2027 से 10.06.2027 तक द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ-सत्र की परीक्षा।	**13**	17/05/2027 बकरीद (सोमवार) 20/05/2027 बुधपूर्णिमा (गुरूवार)

	कुल शैक्षणिक-दिवस	**90**	
JUNE 2027			
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	➢ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस ➢ 01.07.2027 से **'शैक्षणिक-सत्र** 2027-2028 **आरम्भ**		16/06/2027 मुहर्रम (बुधवार) 11.06.2027 से 30.06.2027 तक ग्रीष्मावकाश

* कुल शैक्षणिक दिवस - 90+90 =180

* शारदीय अवकाश - 07

* शीतावकाश - 05 (शनिवार एवं रविवार के अतिरिक्त)

* ग्रीष्मावकाश - 18

कुल अवकाश दिवस **30**

नोटः राजपत्रित अवकाश की तिथियाँ भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पालन की जायेंगी।